खण्ड-339, अंक-7
शनिवार, 5 ज्येष्ठ, शक संवत् 1901
(26 मई, 1979 ई0)

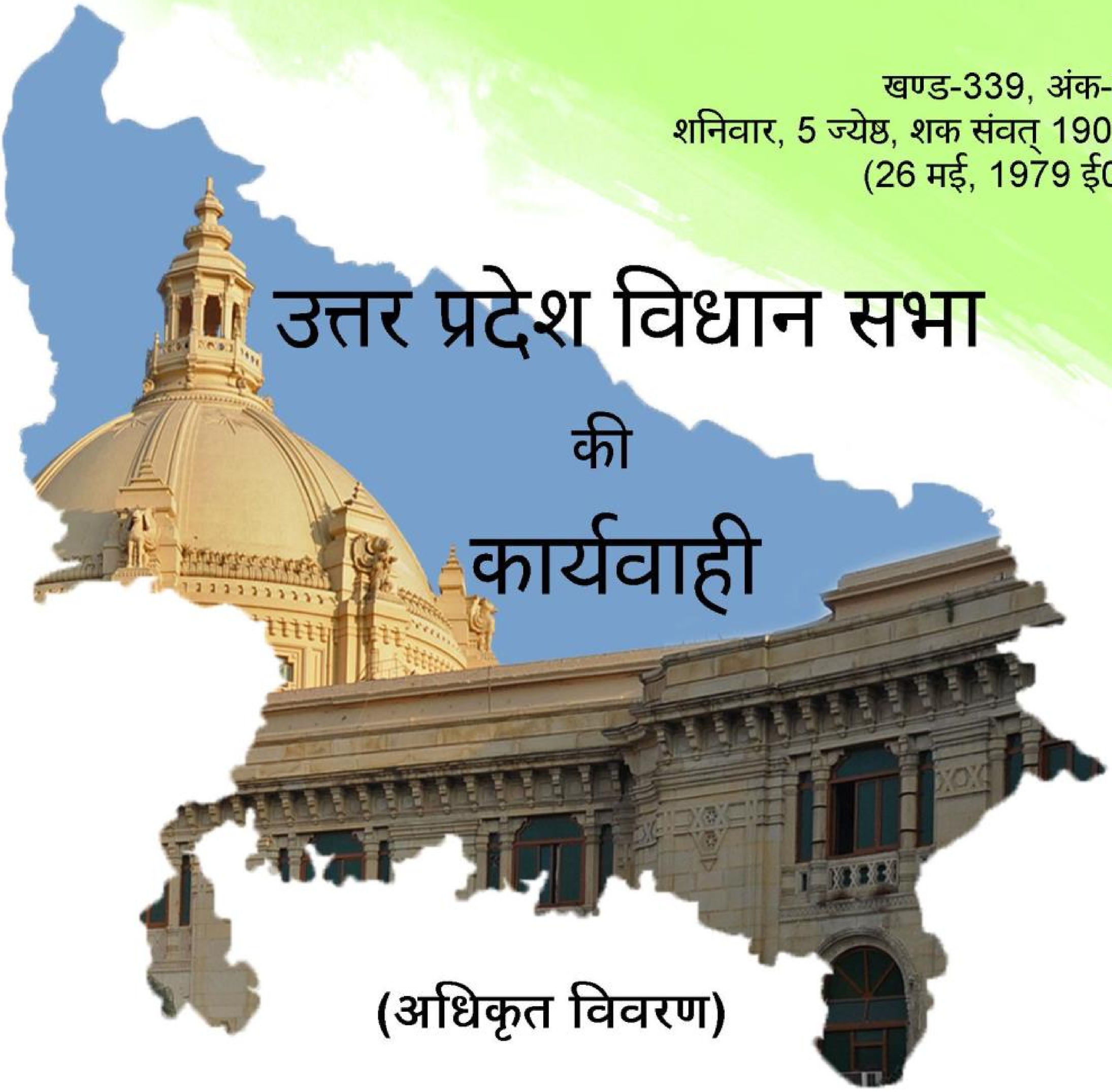

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 339 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1979

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय | पृष्ठ संख्या

1979–80 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए माँगों पर मतदान–अनुदान संख्या 72––सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य–राजस्व लेखा) अनुदान संख्या 73––सिंचाई विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या 105––सिंचाई विभाग (निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय) तथा अनुदान संख्या 106––सिंचाई विभाग (बहु प्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय) (जारी) 618–624

अमीनाबाद, लखनऊ में पुलिस तथा व्यापारियों के बीच संघर्ष के संबंध में वक्तव्य की माँग 624–626

1979–80 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए माँगों पर मतदान–अनुदान संख्या 72––सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य-राजस्व लेखा), अनुदान संख्या 73––सिंचाई विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या 105––सिंचाई विभाग (निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय) तथा अनुदान संख्या 106––सिंचाई विभाग (बहु प्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय) (जारी) 626–634

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं 634

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) .. 634–637

नीरा की बिक्री तथा नीरा से गुड़ बनाने के उद्योग में हो रही अनियमितताओं के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य 637–644

अमीनाबाद, लखनऊ में पुलिस तथा व्यापारियों के बीच हुए संघर्ष के सम्बन्ध में वक्तव्य 644–646

नियम 51 की स्वीकृत सूचना पर तिथि निर्धारण 646

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, दिनांक 26 मई, 1979

विधान सभा की बैठक सभा मन्डप, लखनऊ में 11 बजकर 4 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री जगन्नाथ प्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—244

अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अनवार अहमद समदनी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अशफाक अहमद खान, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली , श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
ईशदत्त यादव श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदयनाथ, श्री
उदित नारायन, श्री
उमा कान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
काली चरण, श्री
कासिम हसन, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छेदी, श्री (उर्फ छेदी लाल)
छोटे लाल, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नथ सिंह, श्री
जयराम, श्री
जय शंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
झामलाल अहेरवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री

त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव कुमार, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धर्मदत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभु दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बदन सिंह, श्री
बलदेव, श्री
बशीर अहमद, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल "सरोज" श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बिन्दू लाल, श्री
बिहारी लाल हन्स, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज बल्लभ सिंह, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीषम, श्री
मंगल देव, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मूल चन्द्र, ठाकुर
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोतो राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुबर दयाल वर्मा, श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री

राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
रामजी, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम बक्श, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शरन सिंह, कुंवर
राम सागर, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंशगोपाल चतुर्वेदी, श्री
विक्रमा राय, श्री
विद्या शंकर, श्री
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शफीकुर्रहमान वर्क, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिवलाल मित्तल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्यामदत्त पालीवाल, श्री
श्यामधर मिश्र, श्री
श्याम नारायण तिवारी, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ मुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सन्त बख्श रावत, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुरेन्द्र पाल, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सोहन बीर सिंह तोमर, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर गोविन्द सिंह, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरि चरन यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हाकिम लाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट—श्रम मन्त्री, श्री क्रान्ति कुमार तथा हरिजन समाज कल्याण मन्त्री, श्रीमती चन्द्रावती भी सदन में उपस्थित थीं।

सदन में कोरम का अभाव

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, ऐसे कैसे सदन चलेगा ? यह कोरम ही नहीं रख पा रहे हैं। यह सरकार का कर्त्तव्य है कि कोरम रखे।

श्री उपाध्यक्ष—

अब तो कोरम है। श्री हरिश्चन्द्र जी, आप अपनी सूचना पढ़िये।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

आज असल में सिंचाई विभाग का बजट है, इसलिये कोरम का यह दृश्य देखने को मिल रहा है। 'सिंचाई' नहीं सच्चाई'।

श्री उपाध्यक्ष—

सरकार को इसका ध्यान रखना चाहिए कि जब काम है तो कोरम पूरा होना चाहिए।

बस्ती जिले के बांसी निर्वाचन क्षेत्र के कतिपय ट्यूबवेल बन्द हो जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री हरिश्चन्द्र (जिला बस्ती)—

मान्यवर, बस्ती जिले के बाँसी निर्वाचन क्षेत्र के 9 राजकीय ट्यूबवेल बन्द पड़े हैं। यह ट्यूबवेल दानोकुइयाँ, बनकटा, सेखुई, जीवां, चरथरी, जमलाजोत, सोनखर, करही तथा बेलउख स्थानों पर स्थित हैं। इन 9 राजकीय ट्यूबवेलों में क्रम से पाँच ट्यूबवेल पुराने हैं। शेष चार ट्यूबवेल विगत दो वर्षों में लगे हैं परन्तु खेद का विषय है कि यदि किसी ट्यूबवेल का मोटर खराब पड़ा है तो किसी की नाली या तो टूट गई है अथवा अभी तक बनी ही नहीं है। विगत दो वर्षों में जो ट्यूबवेल लगे हैं उनमें अभी तक बिजली का कनेक्शन नहीं लगा है। इन ट्यूबवेलों के क्षेत्र में 30 ग्राम आते हैं। किसानों ने इस आशा से कि सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, गन्ने तथा जायद की फसल लगा रखी है। जो पानी के अभाव में सूख रही है। खरीफ के लिए धान का बीज डालने का भी समय आ गया है। अपनी सूखती हुई फसल को देखकर किसान अपनी होने वाली हानि से विशेष चिन्तित है तथा सरकार के प्रति उनमें भारी असन्तोष तथा क्षोभ व्याप्त है।

मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान इस उद्देश्य से आकृष्ट कर रहा हूं कि सरकार तत्काल संबंधित अधिकारियों को आदेश दे कि बन्द पड़े ट्यूबवेल सात दिन के अन्दर चला दिए जाएं, जिससे कि सूखती हुई फसल को बचा लिया जाएं और खरीफ के लिए धान का बीज डालने का काम समय से हो सके।

बहराइच जनपद में सिरसिया व भिनगा थानों के बीच घने जंगल में असामाजिक तत्वों के जमाव के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

मान्यवर, जनपद की 140 किलोमीटर सीमा नेपाल के जंगलों से मिली हुई है। तराई व दोआबा अर्थात् सिरसिया व भिनगा थानों के बीच 12 किलोमीटर चौड़ा घना जंगल पड़ता है। तराई व दोआबा को लोग इसी जंगल के रास्ते से होकर आते जाते हैं। नेपाल से तस्करी का कारोबार इसी रास्ते से मौका पाकर होता रहता है। नेपाल भिनगा जंगलात में आये दिन क्षेत्रीय व विदेशी असामाजिक तत्व आकर आने-जाने वाले राहगीरों को मार-पीट कर कपड़े उतरवाकर डकैती व राहजनी करते हैं और पेड़ों में बाँध देते हैं। हाल ही में भूतपूर्व सिपाही की बन्दूक दिनदहाड़े छीन ली, घोड़े पर लदा सामान लूट लिया,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया।

स्त्रियों के जेवरात छीन लिये। यहाँ तक कि मार-पीट कर गठरियाँ तक छीन लेते हैं। जंगल के रास्ते से कोई भी व्यक्ति आने जाने का साहस नहीं करता। चालीस किलोमीटर चक्कर काटकर लोग आते जाते हैं। जंगल में गश्ती दल के अभाव एवं पुलिस की कमी से उत्पन्न राहजनी एवं डकैती से सामान्य जनता में भय, असुरक्षा, आतंक एवं रोष व्याप्त होने से सनसनी फैली हुई है। थाने पर केवल दर्खास्तें ले ली जाती हैं।

अस्तु अविलम्बनीय लोक महत्व के इस निश्चित प्रश्न पर माननीय सदन एवं सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए शासन से मांग करता हूं कि भिनगा जंगलात में अविलम्ब सशस्त्र गश्ती दल "अन्टा" के पास नियुक्त करके गश्त कराया जावे तथा नेपाल सीमा पर कम से कम तीन चौकियां स्थापित की जायें। ताकि जंगल की डकैती, राहजनी समाप्त होकर जनजीवन सुरक्षित हो सके और भय, आतंक एवं रोष का वातावरण समाप्त हो सके।

इलाहाबाद के मंझनपुर विकास खण्ड में अलवारा झील की बाढ़ से होने वाली क्षति के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनपद इलाहाबाद की तहसील मंझनपुर विकास खण्ड सरसवां के अन्तर्गत झील अलवारा की विनाशलीला की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

मान्यवर, आपके माध्यम से निम्नलिखित लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से अनुरोध करता हूं कि शीघ्र उचित कदम उठा कर जन धन की हानि से मुक्ति दिलाने की कृपा करें।

झील अनवारा, जनपद इलाहाबाद की तहसील मंझनपुर के दक्षिणी भाग तथा जमुना नदी के उत्तर लगभग 5 या 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसका संबंध 7 किलोमीटर लम्बे क्षेत्र में जमुना नदी से संबंधित विभिन्न भयंकर नालों से है। पिछले सितम्बर, 1978 की भयंकर जमुना नदी की बाढ़ का पानी उक्त झील अलवारा में जुड़ गया था जिसका क्षेत्रफल 7 या 8 किलोमीटर लम्बा चौड़ा बन गया था और एक सप्ताह तक फैले रहने के कारण निवास स्थान ग्राम के ग्राम सम्पूर्ण फसल खरीफ, धराशायी एवं नष्ट हो गयी थी। झील के विनाश से समाज एवं फसलों को बचाने के लिये झील के विकास के लिये शासन को बार-बार लिखा गया है, स्थानीय जिला अधिकारी, मण्डल विकास निगम जिला उद्योग विभाग की रपटें शासन में मौजूद है, किन्तु कोई उचित कदम अब तक नहीं उठाया गया है। अतएव आप के माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये झील के विकास के लिये उचित कदम उठाने की मांग करता हूं।

उक्त झील आज भी हजारों एकड़ भूमि अपने क्षेत्र में डुबाये हुये है। पर्यटन विभाग के लिये अति उपयोगी है।

सीतापुर जिले के मछरेहटा क्षेत्र के गेहूं क्रय केन्द्रों पर धांधली के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री लाल दास (जिला सीतापुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं—

यह कि मेरे क्षेत्र मछरेहटा जिला सीतापुर में सरकार द्वारा स्थापित गेहूं केन्द्रों पर हो रही धांधली एवं किसानों की भरसक लूट की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं। प्राप्त सूचना के अनुसार क्रय केन्द्र सदना केरोना, मछरेहट पर प्रति कुन्टल गेहूं की छनाई 1|2 किलो, पल्लेदारी 1 किलो प्रति कुन्तल जबरदस्ती वसूल की जा रही है।

[श्री लाल दास]

इससे किसानों में अत्यन्त क्षोभ तथा असंतोष का वातावरण पैदा हो गया है। यह भी सूचना मिली है कि यदि समय से इस पर ध्यान न दिया गया तो रोष के कारण गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जाने का खतरा पैदा हो गया है मेरी मंत्री व सरकार से मांग है कि इस मामले में तुरन्त हस्तक्षेप करके इससे उत्पन्न होने वाली भयंकर परिस्थिति से मेरे क्षेत्र को बचाया जाये।

बाराबंकी जिले के कतिपय गेहूं क्रय केन्द्रों में गड़बड़ी के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)---

उपाध्यक्ष महोदय, बाराबंकी जिले की हैदरगढ़ तहसील में गेहूं क्रय केन्द्र भिलवल, त्रिवेदीगंज, लक्ष्मणपुर, हैदरगढ़, नसीपुर, सुतेहा, चौबीसी में किसानों की निर्मम लूट एवं व्यापारियों को खुली छूट की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये कहना चाहूंगा कि हैन्डलिंग एजेन्टों के माध्यम से अधिकारी कर्मचारी किसानों को तबाह कर रहे हैं। प्रति बोरा 5 रुपये से लेकर 10 रुपये तक व्यापारियों से कमा रहे हैं। त्रिवेदीगंज क्रय केन्द्र पर वहां के कर्मचारियों के निलम्बन के कारण ठप्प पड़ा है। अन्य केन्द्रों पर कहीं बोरों की, कहीं पैसों की किल्लतें बनी हुई हैं। गत सप्ताह माननीय कारागार मंत्री हमारे क्रय केन्द्रों से होते हुये गुजरे वहां उन्होंने बोरों के अभाव में खरीद रोक देने के मौखिक निर्देश दिये, खरीद रोक दी गयी।

किसानों को गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे लोक महत्व की सूचना सदन के सामने रखते हुये खाद्य मंत्री से अविलम्ब हस्तक्षेप की मांग करता हूं।

फिरोजाबाद जिला आगरा में छाल भट्ठी मालिकों द्वारा अनियमित ताला बन्दी के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)---

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय सदन के संज्ञान में यह लाना चाहता हूं कि जनपद आगरा के उद्योग नगर फिरोजाबाद में छाल भट्ठी मालिकों ने गत एक सप्ताह से अनियमित रूप से बिना किसी नोटिस व पूर्व सूचना के भट्ठियां बंद कर रखी हैं। छाल भट्ठियों की इस अनियमित तालाबंदी से छाल भट्ठियों के 225 श्रमिक बेकारी के शिकार हो गये हैं।

मान्यवर, श्रमिकों ने इस अनियमित तालाबंदी के विरुद्ध श्रम कार्यालय फिरोजाबाद को शिकायत की लेकिन छालभट्ठी मालिकानों से कोई जांच पड़ताल श्रम कार्यालय ने नहीं की। परिणाम यह हुआ है कि यह अल्प वेतन भोगी श्रमिक भूखों मरने लगे हैं और एक जन असंतोष चूड़ी श्रमिकों में उत्पन्न हो गया है जिससे किसी भी क्षण फिरोजाबाद में श्रमिकों की हड़ताल हो सकती है और वातावरण खराब हो सकता है।

अस्तु माननीय सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि तुरन्त तालाबंदी को समाप्त कराये तथा श्रमिकों की बेकारी का पैसा दिलाया जाय और छाल भट्ठी मालिकों को उनके द्वारा की गयी तालाबंदी के लिये दंडित किया जाय तथा काम तुरन्त आरम्भ कर मजदूरों को बेकारी और भुखमरी से बचाया जाय।

मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि तुरन्त विभाग से हस्तक्षेप करा कर इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पुलिस थाना जहानाबाद, जनपद फतेहपुर के विरुद्ध शिकायत के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री प्रभु दयाल यादव (जिला कानपुर देहात)—

महोदय, पुलिस थाना जहानाबाद, जनपद फतेहपुर की जनता के प्रति उदासीनता व दुर्व्यवहार से क्षेत्रीय जनता में अत्यन्त क्षोभ पैदा हो गया है। जनजीवन बहुत ही खतरे में है तथा पुलिस बदमाशों की मदद कर रही है। जुर्मों को छुपा रही है। डकैती, राहजनी, चोरी की घटनाओं को दर्ज नहीं किया जाता है और गाली-गलौज करके वापस कर दिया जाता है। इस प्रकार जनजीवन बहुत ही संकट में है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से 20/21-5-79 को घटित दो डकैती की घटनाओं की ओर माननीय गृह मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उपरोक्त तारीख को श्री देवी प्रसाद पुत्र गुलजारी धोबी व राम कुमार पुत्र शम्भू तेली निवासी ग्राम लालपुर, जरारा, थाना जहानाबाद, जिला फतेहपुर के घर में डकैती पडी फायर किये गये सोने चांदी का जेवर तथा नकद पैसा लूटा गया किन्तु इन लोगों की रिपोर्ट थाने में नहीं लिखी गई और उपरोक्त दोनों मुद्दईयान को गाली देकर लौटा दिया गया तथा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई।

उपरोक्त तारीख को ही श्री भागीरथ पुत्र प्रह्लाद गड़रिया व चौधरी प्रसाद पुत्र अयोध्या प्रसाद निवासी गो नेंवा, थाना जहानाबाद जिला फतेहपुर के घर में डकैती पडी। फायर करते हुए बदमाशों ने सोने चांदी व नकदी माल लूटा। इन लोगों की भी रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं की गयी तथा थाने से गाली दे कर भगा दिया गया।

उपरोक्त तारीखों को ही श्री रामरती पुत्र रामनाथ ग्राम मोहद्दीपुर थाना जहानाबाद को लूटा गया उसकी रिपोर्ट दर्ज कर ली गयी किन्तु पुलिस केस की तरफ कतई ध्यान नहीं दे रही है और मुद्दई जिसके परिवार के लोगों का जीवन खतरे में फंस गया है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि पुलिस थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर के विरुद्ध अविलम्बनीय कार्यवाही किये जाने व उपरोक्त मामलों में मुनासिब कार्यवाही किये जाने का आदेश करें।

राज्य सेवा परीक्षा (पी०सी०एस०) में अभ्यर्थियों की अधिकतम आय सीमा बढ़ाए जाने की मांग के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

उपाध्यक्ष महोदय जी की आज्ञा से विधान सभा की नियमावली के नियम 301 के अन्तर्गत अत्यन्त सार्वजनिक एवं लोक महत्व का विषय उठाने की अनुमति चाहता हूं:—

जैसा कि सर्व विदित है कि इस वर्ष केन्द्रीय सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु सीमा 26 वर्ष से बढ़ाकर 28 वर्ष कर दी है, परन्तु अभी स्वतंत्र भारत में दिनांक 25-5-79 को विज्ञापित सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा में अधिकतम आयु सीमा पूर्ववत 27 वर्ष रखी गई है। पिछली बार जब भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु सीमा में वृद्धि हुई थी, तब राज्य सम्मिलित सेवा परीक्षा की भी अधिकतम आयु सीमा में वृद्धि की गयी थी। इस वर्ष सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा (पी० सी० एस०) में अधिकतम आयु सीमा बढ़ा कर 30 वर्ष किये जाने हेतु कई पत्र शासन को दिये जा चुके हैं, परन्तु शासन इस महत्वपूर्ण मामले पर निर्णय न लेकर प्रदेश के अनेक व्यक्तियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है।

प्रश्न अत्यन्त लोकमहत्व का एवं अविलम्बनीय है। कृपया नियम 301 के अन्तर्गत इस सूचना को स्वीकार कर इस सम्बन्ध में तत्काल वक्तव्य दिलवाने की कृपा करें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पी०सी०एफ० द्वारा संचालित रबी खाद्यान्न क्रय केन्द्रों पर गेहूं की खरीद न किए जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान म लाना

श्री श्याम दत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में पी0 सी0 एफ0 द्वारा संचालित रबी खाद्यान्न क्रय केन्द्र किसानों से केवल उतना ही गेहूं लेते हैं जितना उनके ऊपर सहकारी संघों का ऋण है, इसके अतिरिक्त गेहूं लेने से मना कर दिया जाता है तथा उन किसानों से गेहूं बिलकुल नहीं लिया जाता जो सहकारी संघों के बकायेदार नहीं हैं।

मुझे ज्ञात हुआ है कि उपरोक्त प्रकार से खरीद करने के मौखिक आदेश पी0 सी0 एफ0 के मुख्यालय से सभी जिलों के सहायक निबंधकों को दिये गये हैं, कारण यह है कि पी0 सी0 एफ0 को जो धन गेहूं खरीदने के लिये दिया गया था, अन्य कहीं प्रयोग कर लिया गया है।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर किसानों को दुर्दशा से बचाने के लिये शासन अपनी नीति के अनुसार आज ही घोषणा करे कि प्रत्येक किसान का पूरा गेहूं जो वह क्रय केन्द्र पर लेकर जायेगा अवश्य ही खरीदा जायेगा।

राजकीय सेवा में भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में कम से कम 3 वर्ष की वृद्धि किए जाने से सम्बन्धित श्री राम जी मिश्र द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, मैं राजकीय सेवा में भर्ती के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में कम से कम 3 वर्ष की वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम जी मिश्र, लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

भिनगा, जिला बहराइच के भूतपूर्व विधायक, श्री चन्द्र मणि कान्त सिंह की लखनऊ पुलिस द्वारा गिरफ्तारी व दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में वक्तव्य

स्वास्थ्य मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—

मान्यवर, प्राप्त सूचना के अनुसार दिनाँक 19–5–1979 को आरक्षी चालक श्री त्रिवेणी सिंह पुलिस लाइन लखनऊ ने 17.20 बजे सायं थाना कैसरबाग में इस आशय की सूचना दी कि वह गाड़ी लेकर जा रहा था जब उसकी गाड़ी अंडियन सिनेमा के पास पहुंची, अचानक एक आदमी ने गाड़ी के सामने से दौड़कर सड़क पार की और वह गाड़ी की चपेट में आने से बाल-बाल बच गया। चालक ने गाड़ी रोकर उस व्यक्ति से कहा कि सड़क पर दौड़ना न चाहिये। इस पर पास वाले मकान से एक व्यक्ति जो राजा साहब भिनगा कहलाते हैं निकल कर आये और बिगड़ने लगे। उसने उनको उक्त बात बतलायी तथा समझाया परन्तु वह गुस्से में आकर लात घूसों से अपने चौकीदार की मदद से मारने लगे।

उक्त सूचना पर मुकदमा अपराध संख्या 460 धारा 332 भा0 दं0 वि0 बनाम राजा साहब भिनगा व उनके चौकीदार के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचना प्रारम्भ की गयी। श्री त्रिवेणी सिंह को उनकी चोटों के निरीक्षण एवं उपचार हेतु बलरामपुर अस्पताल भेजा गया।

दिनाँक 21–5–1979 को 15.20 बजे दिन अभियुक्त श्री चन्द्रमणि कान्त सिंह पुत्र श्री युवराज अलकसेन सिंह, निवासी भिनगा जनपद बहराइच व छेदी पुत्र शिवलाल, निवासी भिनगा जनपद बहराइच हाल निवासी भिनगा हाउस कैन्ट रोड थाना कैसरबाग, लखनऊ बन्दी बनाये गये। उन्हें उसी दिन 16.15 बजे न्यायालय भेजा गया तथा न्यायालय द्वारा उन्हें जमानत पर रिहा किया गया।

यह सही नहीं है कि घटना के समय आरक्षी ड्राइवर सादे कपड़ों में था। यह भी सही नहीं है कि घटना के तत्काल बाद 10–12 पुलिसजन अभियुक्तगण के मकान पर गये थे।

यह कहना सही नहीं है कि किसी दबाव के कारण पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही की गयी।

पंजीकृत अपराध की विवेचना प्रचलित है।

(स्वायत्त शासन मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

मैं इस वक्तव्य के सम्बन्ध में प्रश्न करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इस पर प्रश्नों की इजाजत नहीं देता।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर स्पष्टीकरण भी नहीं होता।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, एक निवेदन सुन लें कि जो यह वक्तव्य दिया गया है वह सही नहीं है इस लिये मैं कहना चाहता हूं कि यह झगड़ा सिनेमा हाल के पास हुआ है बल्कि यह झगड़ा यहाँ पर न होकर राजा साहब की कोठी के अन्दर हाते में जहां कि एक कारखाना है, वहाँ पर हुआ। वहाँ पर यह ड्राइवर मोटर बनवा रहा था और खड़े होकर वह चौकीदार के दरवाजे के सामने पेशाब करने लगा जिससे वहां झगड़ा शुरू हो गया। मान्यवर, इस लोकैलिटी के 40–50 लोगों ने यह सूचना दी है कि इस तरह से झगड़ा हुआ है। इसलिये वक्तव्य में जो कहा गया है वह गलत है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह कृपया इसकी पुनः जाँच करवा लें और सही तथ्यों को देखते हुये कार्यवाही करें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लिख कर दे दें। मंत्री जी उन तथ्यों को देखकर दुबारा जाँच करा लेंगे।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

ठीक है।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

इसी सदन के दो व्यक्ति सम्मिलित है इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष—

आप इसी के संबंध में कुछ कह रहे हैं?

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

मैं एक मिनट का समय लेना चाहता हूं। इस सदन के दो सदस्य सम्मिलित हैं जिस पर माननीय मुख्य मंत्री ने वक्तव्य दिया। मुझे इस बात का फख्र है कि कौशिक जी जैसे व्यक्ति अपने जीवन भर सही बात कहते आ रहे हैं। लेकिन आज सम्मानित सदन में गुमराह करने वाला वक्तव्य दे दिया है.....

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)—

कौशिक जी का इससे कोई संबंध नहीं है, आप मुख्य मंत्री जी से कहिये।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

जिन अधिकारियों ने इसकी जाँच की उनके खिलाफ आप कार्यवाही करें और इस मामले में पुनः जाँच करवा कर उपाध्यक्ष महोदय, दुबारा वक्तव्य दिलाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

जो माननीय सदस्यों ने जानकारी दी है इस घटनाक्रम के संबंध में उस बयान पर आपत्ति उठाई है कमला प्रसाद वर्मा जी ने और सुन्दर लाल दीक्षित जी ने इसके परिपेक्ष में आप फिर से इसे दिखवा लीजिये ।

श्री छेदी (जिला गोंडा)--

इसमें मान्यवर, तथ्य को छिपाया गया है और सदन को गुमराह किया गया है । माननीय मुख्य मंत्री के सुपुत्र भिनगा साहब के किरायेदार थे और उन्होंने किराया नहीं दिया था। इस पर वाद विवाद हुआ, यह पुरानी रंजिश है। इस मामले की जाँच सदन की एक कमेटी बनाकर कराई जाय। माननीय मुख्य मंत्री के बच्चे सोचते हैं कि हम सब मुख्य मंत्री हो गये हैं । उनके सारे खानदान के लोग अधिकारियों पर नाजायज दबाव डालकर ऐसा काम कराते हैं । एक इज्जतदार आदमी की बेइज्जती इसमें की गई है । वह मुख्य मंत्री जी हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि उनके कुनबे के लोग गुण्डागर्दी करवायें और लोगों को बदनाम करें । पुलिस पर नाजायज दबाव डाल कर यह कार्यवाही की गई है ।

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है आप कहिये कि यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा बिना इजाजत के यह बोल रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप लिख कर भेज दीजिये । कृपया बैठिये ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

अब यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा । आप दुबारा फिर खड़े हो गये ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने वक्तव्य दिया और आपने सुन लिया और यह सदन के सामने है इसे दोहराने की जरूरत नहीं है। माननीय वर्मा जी ने जो कुछ कहा वह भी रिकार्ड का हिस्सा बन गया है । यह बात जो माननीय मंत्री जी ने कही जिसने जाँच करके दिया उस पर आपत्ति आई कि असत्य है। यह सारी बातें जो माननीय सदस्य यहाँ सूचना दे रहे हैं तो क्या आप उपयुक्त नहीं समझेंगे कि आप निर्देश दें कि इसमें सी० आई० डी० से या अन्य किसी एजेंसी से जाँच की जाय जो स्वतंत्र रूप से हो जिसमें वर्मा जी को और अन्य लोगों को संतोष हो जाय और वह जाँच रिपोर्ट यहाँ आ जाय ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

मै एक निवेदन कर दूं आन दि फेस आफ दि स्टेटमेंट में है जो प्रथम सूचना दी गई उसमें केवल इतना लिखा गया है कि पुलिस का अधिकारी गाड़ी में जा रहा था ....

श्री रमा शंकर कौशिक--

अधिकारी नहीं, आरक्षी चालक ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

चालक भी अधिकारी होता है, ड्राइवर साहब ही सही सूचना में लिखा है कि कहीं गाड़ी में जा रहे थे । प्रथम सूचना में यह नहीं है कि वह सरकारी ड्यूटी पर थे ।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री रमा शंकर कौशिक--
है साहब इसमें....

श्री गोविन्द सिंह नेगी--
यह क्यों टोकते हैं इन्हें आप रोकें । जरा यह सीखें कि यहाँ पर कैसे बोला और व्यवहार किया जाता है .....

श्री रमा शंकर कौशिक--
आप इस पर बहस करा रहे हैं, तो मुझे भी मौका दीजिये, सारी बातों का जवाब देने के लिए । मेरे पक्ष को तो आप सुन नहीं रहे हैं ।

श्री नुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)--
मैंने श्याम धर मिश्र के पहले व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, लेकिन आपने मुझे मौका नहीं दिया और उनको दे दिया । मेरी भी व्यवस्था को आप सुन लीजिये । वर्मा जी खड़े हुए थे, आप ने उनको चर्चा का अवसर नहीं दिया, वह बैठ गये । लेकिन इसके बाद नेगी जी, उन्होंने पूरी बात कह दी, श्यामधर जी ने व्यवस्था के प्रश्न के नाम पर सब बात कह दी और वह कार्यवाही का अंग हो गया । दीक्षित जी खड़े हो गये, नेगी जी खड़े हो गये और सबकी बात उसमें आ गयी । जब आपने वर्मा जी से कह दिया कि वह लिख कर भेज दें और मुख्यमंत्री का वक्तव्य आ जाएगा जाँच कराकर....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--
यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--
इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि यहाँ इसमें एफ0 आई0 आर0 में इसका जिक्र नहीं है, और दफा लगाई गई है 332 यानी-सरकारी कार्य में दखल देना । इसलिए इस वक्तव्य में आन दि फेश कुछ गड़बड़ी नजर आती है । अत: आप इस पर आध घंटा या दो घंटे की चर्चा करा दें ।

श्री उपाध्यक्ष--
इस पर मैं चर्चा की इजाजत नहीं दूंगा, लेकिन यह निर्देश दे चुका हूं कि माननीय सदस्यों ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, उनका आदर करते हुए मुख्य मंत्री जी इसको पुन: दिखवा लें ।

श्री बाबू बदरे--
जब आपने घोषणा कर दी कि अब किसी को मौका नहीं देंगे तो उसके बाद भी माननीय सदस्यों के कथन जो कार्यवाही के अंग बने हैं, उसे आप कार्यवाही से निकलवा दें, जो आप की आज्ञा के बिना बोला गया है ।

श्री उपाध्यक्ष--
सदन की भावनाओं को भी अध्यक्ष पीठ से देखना होता है ।

श्री बाबू बदरे--
तो फिर आप अपने आदेश रोके रहकर पहले भावनाएं देख लिया करें, तभी निर्देश दिया करें ।

श्री उपाध्यक्ष--
वह सही है या गलत, इस पर मैंने कहा है कि वह सदन की भावनाओं का आदर करेंगे । वह कार्यवाही का अंग तो है ही, वह उससे निकाला नहीं जाएगा ।

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, मुझे निवेदन करना है, आपने जो आदेश दिया है, माननीय सदस्यों ने जिन बिन्दुओं पर आशंका प्रकट की है, उस पर जाँच कराने में शासन को कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जहाँ तक इस बयान का संबंध है, इसमें जो घटनाक्रम है और जिस पर एफ0 आई0 आर0 दर्ज है और जो शिकायतें उसमें हैं, जो उसके बाद पुलिस ने कार्यवाही की है, उसका हवाला इसमें दिया गया है। जहाँ तक इस बात का सवाल है कि मुख्य मंत्री के लड़के, जो आज से 5 साल पहले उनके किरायेदार थे, उन पर कोई किराया बाकी था और उस पर यह हुआ, तो यह समझ में बात नहीं आती है—5 साल तक उस किराये के बाबत कोई नालिश कहीं नहीं हुई और कौन जानता था उस समय कि पाँच साल बाद कौन मुख्य मंत्री होगा ?

श्री छेदी—

उस किरायेदार के साथ उनका जो एग्रीमेंट हुआ है, वह मेरे पास है, उसकी फोटो स्टेट कापी आप देख सकते हैं।

श्री रमा शंकर कौशिक—

जो आरक्षी चालक था, जब गाड़ी ठीक कराने जा रहा है, तो वह ड्यूटी पर ही है। अलग नहीं है, फिर भी जिन बिन्दुओं पर आशंका है, बता दें, हम देखवा लेंगे।

उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथ-कर) विधेयक, 1979†

स्वास्थ्य मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथ-कर) विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथ कर) विधेयक, 1979 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथ-कर) विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित करता हूं।

1979–80 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 72—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य–राजस्व लेखा), अनुदान संख्या 73—सिंचाई विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या 105—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 106—सिंचाई विभाग (बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

श्री उपाध्यक्ष—

वित्तीय वर्ष 1979–80 के आय-व्ययक पर मतदान।

*सिंचाई मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 72—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य–राजस्व लेखा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 79,78,42,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या

---

†दिनाँक 26 मई, 1979 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

73—सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 34,61,93,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 105—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,66,12,42,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 106—सिंचाई विभाग (बहु प्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 30,14,71,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय उपाध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान देश है यानी 78 फीसदी जन संख्या कृषिपर या कृषि सम्बन्धित उद्योगों पर अपनी जीविका का निर्वाह करती है। प्रदेश की 54 फीसदी आय कृषि से ही राज्य को होती है। प्रदेश की बढ़ती हुई जन संख्या की गरीबी को दूर करने के इरादे से तथा यहाँ की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि हम कृषि योग्य जमीन पर जो 172 लाख हैक्टर है, इस प्रदेश में उस पर सघन खेती, कृषि की सघनता करें इसका तात्पर्य यह है कि जमीन सीमित है, यह बढ़ा नहीं सकते, आबादी बढ़ती जा रही है, इसी जमीन से देहात के रहने वाले गरीब किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारना है तो यह आवश्यक है कि हम जमीन से कम से कम दो और जहाँ सम्भव हो सकता है वहाँ तीन फसलें लें। हमारे देश की जलवायु और इस प्रदेश की भूमि इस बात के लिए उपयुक्त है, हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यह सब तभी सम्भव हो सकता है आज के युग में, साइंटिफिक युग में, जबकि कृषि के अन्दर एक नवीन क्रान्ति होती जा रही है, नये-नये हाई यील्डिग वेराइटीज के सीड सामने आते जा रहे हैं, फर्टिलाइजर का उपयोग और बढ़ता चला जा रहा है तभी किसान उनका उचित लाभ उठा सकते हैं जबकि सिंचाई का समुचित प्रबन्ध हो। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सिंचाई पहले अत्यन्त आवश्यक है। खाली फर्टिलाइजर से प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया जा सकता, खाली उत्तम बीज से प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया जा सकता। एक बार फर्टीलाइजर के बिना काम चल सकता है, लेकिन सिंचाई के बिना काम नहीं चल सकता है। 5 मई के इन्डियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकिल निकला है, उसका थोड़ा सा भाग मैं आपके समक्ष पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेजी में छपा है। आप आज्ञा दें तो मैं पढ़ दूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप हिन्दी में उसका अनुवाद कर दें।

श्री राजेन्द्र सिंह—

With the passage of time, the use of new seeds has also spread to those small and marginal farmers who have proper irrigational facilities because the new technology is neutral to scales. But the access to inputs inculding irrigation not being neutral to scales, the bulk of the

[श्री राजेन्द्र सिंह]

small marginal farmers have not yet been able to raise their incomes and the landless farmers conntinue to live in poverty.

समय के साथ साथ नये बीजों का प्रयोग छोटे किसानों तक पहुंचा है जिनके पास सिंचाई की सुविधाएं हैं।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)---

यह तो हिन्दी में होना चाहिए। सदन की भाषा हिन्दी है।

श्री उपाध्यक्ष---

वे हिन्दी में उसका रूपान्तर कर देंगे।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)---

अंग्रेजी पढ़ी जा सकती है और उसका अनुवाद वह कर रहे हैं, इसलिए यह ठीक है।

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)---

चौधरी साहेब सो रहे थे।

श्री उपाध्यक्ष---

चौधरी साहेब आप तो वरिष्ठ सदस्य हैं। आप तो यह जानते हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह---

आज कृषि की तरक्की के लिए कृषि को सघन करना चाहिए। यदि हम कृषि उपज को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए इर्रीगेशन का होना नितान्त आवश्यक है। श्रीमन्, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सिंचाई कार्यों में कोई अधिक ध्यान नहीं दिया गया। गति बहुत धीमी रही। वर्ष 1950 से 1974 तक सिर्फ हमारे प्रदेश में जो सिंचाई क्षमता बढ़ी है वह 15.51 लाख हेक्टेयर बढ़ी है जबकि इस पर धन व्यय हुआ 332.85 करोड़ रुपया। उसके बाद इस योजना के अन्त तक हमारी गति थोड़ी बढ़ी है। सिंचाई क्षमता का जो सृजन हुआ वह 41.04 लाख हेक्टेयर हो गया। यह जो हुई वह बृहत और माध्यमिक परियोजनाओं के माध्यम से हुई। लघु सिंचाई परियोजनाएं भी हैं जिनके द्वारा सिंचाई की जाती है। इसके माध्यम से सिंचन क्षेत्र बढ़ा वह था 19.80 लाख हैक्टयर, लेकिन पाँचवीं पंच वर्षीय योजना के अन्त तक सिंचाई के कार्यों में बहुत तेजी आ गयी और वह पिछले 3 सालों में 260.18 करोड़ पूंजी व्यय किया गया। जिससे सिंचाई क्षमता में वृद्धि हो गयी, यानी 8.24 लाख हेक्टेयर बढ़ी। मान्यवर, इसमें कुछ तेजी आयी। सिंचाई की ओर अंतिम वर्ष में पुनः ध्यान दिया गया और अंतिम वर्ष 1977-78 में 109.92 करोड़ रुपया खर्च हुआ और सिंचाई क्षमता 5.44 लाख हेक्टेयर बढ़ी। यह क्षमता हमारी बृहत योजनाओं और माध्यमिक योजनाओं के द्वारा हुई। नलकूप तथा अन्य जो सिंचाई के साधन हैं उन पर पिछले 3 वर्षों में खर्च हुआ 64.21 करोड़ और उससे क्षमता बढ़ी है 2.82 लाख हेक्टेयर। सभी वर्षों की अपेक्षा अधिक खर्च किया गया है और सिंचाई क्षमता को भी बढ़ाया गया है। पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष 1977-78 के अन्दर लघु सिंचाई योजना में जो खर्च हुआ वह था 39.41 करोड़ रुपया और इसमे सिंचाई क्षमता बढ़ी है 1.84 करोड़ हेक्टेयर। श्रीमन्, 1978-79 के अन्दर सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया गया और पहले एक वर्ष के अन्दर 15 नयी योजनाओं पर कार्य आरम्भ किया गया। इसके अतिरिक्त इसमें एक और चीज का विशेष रूप से ध्यान दिया गया, वह क्षेत्रीय विषमता थी। हमारे प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में सिंचाई के जो साधन हैं वे अन्य क्षेत्रों से पहले ही से अधिक हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य क्षेत्र, बुन्देलखंड तथा पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशेष योजनायें चलायी गयीं और इनमें खास तौर से बेबर बाँध, माधो टाँडा, ज्ञानपुर पम्प नहर, पूर्वी जमनिया और चम्बल आदि और भी हैं। इसी वर्ष के अन्दर 2 और कठिन परियोजनाएं थीं जो प्रदेश की बहबूदी के लिए और यहाँ पर पानी या सिंचाई की क्षमता के लिए नितान्त आवश्यक है, एक है टिहरी बाँध परियोजना

और दूसरी लखवाड़ व्यासी परियोजना। इस पर भी गत वर्ष कार्य आरम्भ कर दिया गया था। इसी तरह से शारदा सहायक समानान्तर निचली गंगा नदी, मध्य गंगा नहर जो कि पश्चिमी क्षेत्र में हैं उन पर भी कार्य आरम्भ हो गया है। लेफ्ट बैंक घाघरा, कनहर सिंचाई परियोजना और पूर्वी गंगा नहर पर भी कार्य प्रारम्भ हो गया है। सन् 1978–79 में जो 15 योजनाएं ली गयीं, उनसे प्रदेश को काफी लाभ हुआ।

इसी तरह से नलकूप विभाग में जिसे लघु सिंचाई में कहते हैं भी गत वर्ष 1300 नलकूपों का छिद्रण किया गया और जिस पर 33.20 करोड़ रुपया खर्च हुआ। इन सब के बावजूद जैसा कि मैंने कहा यह आवश्यक नहीं कि हर जगह पानी के एक ही प्रकार के श्रोत हों। हमारे प्रदेश में विभिन्न क्लाइमेटिक कन्डीशन्स होने के कारण पानी के श्रोत भी विभिन्न हैं अतः एक ही प्रकार की योजना हर जगह काम नहीं कर सकती है। इस प्रदेश में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं कि जहाँ पर नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है, उस क्षेत्र में देखा गया है कि वाटर लेविल बहुत नीचे होता गया। मुजफ्फरनगर और मेरठ में पीने के पानी तक की समस्या भयंकर रूप धारण कर गयी है। वहाँ पर नहरें निकाली जायेंगी ताकि खरीफ की फसल की सिंचाई हो सके और पानी नीचे जमीन में जाकर वाटर लेविल ऊपर उठ जाय। पूर्वी क्षेत्र में नहरों और नदियों से सिंचाई होती है। जिससे पानी की सतह बहुत ऊंची हो गयी है। विशेषकर गंडक नहर परियोजना के क्षेत्र में। अतः वहाँ के लिए ट्यूबवेल की एक योजना बनायी गयी है ताकि अन्डरग्राउन्ड से पानी निकाल कर पानी की लेविल को नीचा किया जा सके। प्रथम प्रयास के रूप में 250 सम्वर्धन नलकूप लगाये जायेंगे। हम प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से सतही पानी और अन्डर ग्राउन्ड पानी का मैक्सिमम यूज कैसे कर सकते हैं। यह एक नयी चीज हमने की है।

इसी तरह से नहरों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है जिससे सिंचाई की क्षमता बढ़ती चली जाय। हमारी जो नहरें हैं, वे बहुत पुरानी हैं, 100–200 साल की हैं। उनका आधुनिकीकरण भी करने की तरफ हमारा ध्यान है। वर्ष 1977–78 में पूर्वी यमुना नहर, आगरा नहर घाघरा पम्प नहर, इससे पानी की क्षमता काफी अधिक बढ़ जायेगी। ऊपरी गंगा, फर्रूखाबाद, शाखा बेरशाखा, भोगनीपुर शाखा, अनूपशहर शाखा का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इससे भी सिंचन क्षमता बढ़ेगी।

इसके अलावा कुछ हमारी बुन्देलखण्ड और बघेल खंड के ऐसी परियोजनाएं भी हैं जिनका संबंध दूसरे प्रदेशों से भी है। उसके लिये हमें बिहार और मध्य प्रदेश से भी सहमति लेनी पड़ती है। राजघाट और बानसागर की योजनाओं के लिये अब स्वीकृति हमें प्राप्त हो गया है। 1978–79 में इन पर कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है। वर्ष 1979–80 के अन्दर 25 नयी योजनायें ली गयी हैं। जैसा मैंने कहा, राजघाट और बान सागर की योजनाएं भी हमारी प्रगति पर हैं। इनके लिये 158 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया है। इससे 3.32 लाख हेक्टेयर में सिंचन क्षमता बढ़ने का अनुमान है।

इसी तरह से लेफ्ट बैंक घाघरा से पहले घाघरा और राप्ती के दोआब के कुछ भाग को ही सिंचाई उपलब्ध कराने का विचार था, अब इस परियोजना का और अधिक विस्तार किया जा रहा है, राप्ती को पार कर इस परियोजना की नहरों से राप्ती के उत्तरी भाग में राप्ती रोहिणी दोआब के क्षेत्र में भी सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाने का प्राविधान

[श्री राजेन्द्र सिंह]

है। इससे बहराइच, गोंडा और बस्ती जिलों को लाभ होगा। बुन्देलखंड की सिंचाई के विकास के लिये इस वर्ष खपरार बाँध पर कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।

इसके अलावा राजकीय लघु नलकूपों की परियोजना हेतु 34.24 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। इस वर्ष 1300 नलकूप लगायें जायेंगे और इनसे 1.70 लाख हेक्टेयर एरिया में सिंचाई क्षमता बढ़ेगी। हमारे प्रदेश में कुल 17 लाख नलकूप हैं स्थिति कुछ खराब यूं हो गयी कि 1100 नलकूपों को विद्युत कनेक्शन्स नहीं मिल पाये जबकि हमने बी0एल0 फार्म भी भर कर जमा कर दिया। बातचीत से यह अब हम आशा करते हैं कि उनको विद्युत कनेक्शन जल्दी मिल जायेगा। हमने एक योजना यह भी बनायी है कि हम 500 डीजल जेनरेटिंग सेट्स लगाकर नलकूपों को बिजली देंगे।

बाढ़ नियंत्रण का कार्य भी इसी विभाग के अन्तर्गत आता है। गत वर्ष इस प्रदेश में भयंकर बाढ़ आयी। उसके कारण पूरे प्रदेश का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। श्रीमन् पिछले साल 55–56 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए थे और हमारी 73 हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो गयी थी। बाढ़ से श्रीमन्, सामान्यतया हमारी 25 लाख हेक्टेयर भूमि हर साल प्रभावित होती है लेकिन गत वर्ष 73 लाख हेक्टियर भूमि प्रभावित हुई। गत वर्ष इसी को देखते हुए शासन की तरफ से प्लान के अन्दर 14 करोड़ रुपये इस बाढ़ नियंत्रण पर खर्च किया गया तथा केन्द्रीय सरकार से 17.60 करोड़ रुपये की सहायता मिली। इस तरह से 31.60 करोड़ रुपये हमने गत वर्ष में बाढ़ में खर्च किया। वर्ष 77–78 की कापी भी हमारे पास है। अब इसमें एक आता है माननीय सदस्य शायद जानना चाहें, टोटल बता दूं। हमने इसमें सीमा 700 किलोमीटर बनाई, 200 किलोमीटर ड्रेन का प्राविधान किया। मथुरा जिले की कुछ समस्या इस संबंध में है। 61 से लेकर 65 तक हमारे प्रदेश के मथुरा जनपद के बार्डर पर मथुरा, राजस्थान, हरियाणा बार्डरों पर एक गोवर्द्धन ड्रेन का निर्माण किया। मुझे कहने में कोई हिचक नहीं कि जिस निर्दयता से उस ड्रेन का निर्माण हुआ, वह श्रीमन्, एक अभिशाप बन गया। वह श्रीमन्, ड्रेन नहीं, वह तो एक नहर है। इस योजना पर धन व्यय हुआ 2.75 करोड़ रुपये प्रदेश शासन का। इसको बनाया हमारे यहाँ के इंजीनियरों ने, लेकिन हमारे ही विपरीत उस ड्रेन का निर्माण किया, वह अधिकारी जिन्होंने इस ड्रेन का हमारे विपरीत निर्माण किया, क्यों इस तरह से ड्रेन बनाया, मैं समझता हूं कि उनके खिलाफ कोई ऐक्शन होना चाहिये। म इसमें सदन को आश्वस्त करता हूं कि जो भी व्यक्ति इस ड्रेन के बनाने में दोषी पाये जायंगे, उनके खिलाफ निश्चित रूप से कडी से कड़ी कार्यवाही की जायगी, क्योंकि उन्होंने क्रिमिनल ऐक्ट किया है। मथुरा जनपद के प्रति श्रीमन्, जो नेचुरल फ्लो था, उसका भी ध्यान नहीं रखा। वहाँ कोई साइफन भी नहीं किया गया। श्रीमन्, इस तरह से वहाँ पर भयंकर स्थिति बन जाती है। मुझे उस ड्रेन को देखने का मौका मिला। श्रीमन्, मुझे वैसे बताया यह गया, वैसे जहाँ पर एक तरफ अधिकारियों की गलती की बात कहता हूं, वहाँ यह भी कहूंगा कि उस समय की सरकार ने न मालूम किस प्रेशर में आकर इस ड्रेन के निर्माण को स्वीकार किया। मैं यह नहीं समझता, यह भी एक बहुत गलत स्थिति हुई, क्योंकि कर्मचारी ने तो बाद में काम किया, निर्णय शासन का था।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल) —

जिस प्रेशर में आपको यह बुरा लग रहा है, उसी प्रेशर में माना जाय।

श्री हुक्म सिंह परिहार (जिला आगरा)—

मान्यवर, जो उस समय सिंचाई मंत्री थे, उस मंत्री के खिलाफ भी कार्यवाही होगी क्या?

श्री राजेन्द्र सिंह—

वह श्रीमन, जनता ने उन्हें सजा दे दिया है। ये आपके सामने हैं। इसलिए उसको कहलवाना ठीक नहीं है। मैंने इसलिए कहा कि ड्रेन के निर्माण का निर्णय शासन ने लिया होगा लेकिन जो टेक्नालाजी एडाप्ट की गई वह निश्चित रूप से 5–6 फिट गहरी होनी चाहिये थी। तो मैंने कहा इस तरह से कुछ ड्रेन का निर्माण हुआ। हमारे यहाँ पर मथुरा जिले की छाता तहसील हरियाना से लगी हुई है। हमारे यहाँ की भूमि नीची है। हरियाना का पूरा पानी हमारे यहाँ आ जाता है

श्री हुक्म सिंह परिहार—

मान्यवर, आगरा को न भूले इससे आगरा जिले की तहसील क्वारी प्रभावित हो जाती है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको मौका मिलेगा। मन्त्री जी अपना भाषण दे दें, इसके बाद आप कहियेगा। माननीय सिंचाई मंत्री, आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री राजेन्द्र सिंह—

माननीय परिहार साहब और माननीय सदस्य की जानकारी प्राप्त होने पर कार्यवाही करूंगा। जहाँ पर यमुना नदी में यह ड्रेन गिरता है वहाँ मैंने देखा है। उसे देखने के बाद मैं नहीं समझ पाया कि वह आगरा जिले में कहाँ पर जाता है। गोवर्धन ड्रेन किस स्थान पर आगरा में जाता है। क्योंकि मैं टेक्निकल हैण्ड नहीं हूं। 80 किलोमीटर का ड्रेन है सबसे ज्यादा मथुरा के बार्डर से निकलता है और 17 किलोमीटर राजस्थान से जाता है और फिर मथुरा नदी में गिर जाता है। दूसरी बात मैं कहूंगा वर्ष 1979–80 के लिये हमारे यहाँ जो बाढ़ नियंत्रण कार्य ह उसमे 24 .50 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्राविधान है। इसकी मुख्य परियोजनायें जो हैं, काफी लम्बी हैं, इसलिये पढ़ना उचित नहीं होगा। इसके साथ-साथ सिंचाई विभाग का कार्य भी हमें करना है। कार्य काफी बढ़ता जा रहा है। आई0 एन0पी0 एण्ड डिजाइन, इसको गत वर्ष स्ट्रेन्थ किया गया है। कोई भी योजना और परियोजना बनाने के लिये सर्वे, अनुसंधान तथा बाद में डिजाइन जरूरी है। यह आजतक नहीं किया गया था उसमें अब काफी स्टाफ दिया गया है क्योंकि जब तक योजनायें नहीं बनेगी तब तक कार्य ही नहीं हो पायेगा।

जहाँ तक अधिकारियों के बारे में मैंने कहा, यह मुझे देखने को मिला। गोमती अक्वेडक्ट हमारे यहाँ बनाया गया है। वह अपनी तरह का एक यूनीक चीज है। जहाँ मैंने अधिकारियों के दोष की बात की वहाँ उनकी तारीफ भी करनी पड़ेगी जो अच्छा काम करते हैं। 1979–80 की इन तीनों प्रयोजनाओं में जैसा मैंने कहा 158 करोड़ रुपये का प्राविधान है। लघु सिंचाई में 34.24 करोड़ का प्राविधान है और बाढ़ नियंत्रण, जिसमें 24.50 करोड़ रुपये का प्राविधान प्रस्तावित है। जल विद्युत् का कार्य जो है, वह भी सिंचाई विभाग को करना पड़ता है, वह करीब 40 करोड़ का है। इस वर्ष इस विभाग को 265 करोड़ रुपए का कार्य सम्पादित करना है। श्रीमन, सबसे बड़ी कठिनाई इस कार्य को करने में जो शासन के सामने आ रही है, वह सीमेन्ट और लोहे का उपलब्ध न हो पाना है। अभी तक कोई एश्योरेन्स इन चीजों का पूरी मात्रा में मिलने का नहीं मिल सका। मैं नहीं समझता इनके अभावों में हम इन योजनाओं को कैसे पूरा कर सकेंगे। बरनाला साहब से बात हुई थी उन्होंने एश्योर किया था कि वह मदद करेंगे।

[श्री राजेन्द्र सिंह]

एक बात जैसा मैंने कहा कि अपने कर्त्तव्य को पूरा नहीं कर पाऊंगा। मैंने शुरू में ही कहा कि कृषि उत्पादन में सिंचाई का बहुत बड़ा महत्व है।

मान्यवर, मैं इस सदन के माध्यम से प्रदेश के किसानों से निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि यह जितनी भी योजनाएं हैं जो अब तक बनी हैं, जो अब तक प्रस्तावित है, इनमें काफी योजनायें ऐसी हैं जिनसे सिर्फ खरीफ में पानी उपलब्ध हो सकेगा, रबी में नहीं। अगर हमको सघन कृषि या कृषि क्षेत्र में सघनता लानी है तो निश्चित तौर से इस प्रदेश के किसानों को अपने निजी साधनों को भी उपलब्ध कराना होगा। सिंचाई विभाग की जितनी नई योजनाएं हैं वह प्रोडक्टिव टाईप की हैं। इस क्षेत्र में हमारी क्षमता काफी बढ़ी है। दो वर्ष में पानी काफी उपलब्ध हुआ है। कई जगहों पर ऐसा हुआ कि पानी की अधिकता के कारण नहरें बन्द करनी पड़ी। काफी एरिया अभी पड़ा हुआ है। जो हाई-ईल्डिग वेराइटीज हैं, जिसे अच्छी खेती कहते हैं, उसमें रबी के लिए 5 या 6 पानी से कम की जरूरत नहीं पड़ती उसके लिए अपने निजी साधन किसान को उपलब्ध कराने होंगे। आज के युग में उन्नतिशील कृषि के लिए जो पानी आवश्यक है, सिंचाई विभाग उसकी पूर्ति नहीं कर पायेगा। इसलिये मुझे स्वयं अपने साथियों से, अपने इस सदन से, अपने प्रदेश की जनता से यह कहने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि यह विभाग पूरे देहाती किसानों से, देहात से सम्बन्धित है, इस विभाग द्वारा किसानों को क्या सहूलियतें होनी चाहिए उनके साथ क्या-क्या तकलीफें हैं, हम उन पर विचार करेंगे, उनको दूर करेंगे, उन योजनाओं को कार्यान्वित करेंगे जिनका कार्यान्वयन सम्भव हो सकेगा।

कटौती का प्रस्ताव हमारे नेगी जी ने रखा है, वह आयेगा। यह अपनी जगह फार्मेलिटी है, आपने निभाई। यह आवश्यक है कि इस विषय पर गम्भीरता से विचार किया जाय। यह गरीब किसानों तक पहुंचता है, हम उनको क्या-क्या सहूलियतें दे सकते हैं। कौन-कौन सी दिक्कतें हैं किस तरह से वह उन्नति कर सकता है? 80 लाख पास-बुकें किसानों में वितरित कर दी गयीं। शिकायत यह है कि उन पर लिखा नहीं जाता। मानता हूं, शिकायत सच हो सकती है। पास-बुक किसान के पास रहती है, जब तक किसान पास-बुक नहीं ले जायेगा और अंकित नहीं करायेगा तब तक पास-बुक में अंकित नहीं हो सकता। यह भी हो सकता है कि उस लेविल पर जो हमारा कर्मचारी है वह अंकित न करता हो, ट्यूबवेल आपरेटर अंकित न करता हो, तो इसमें क्या परिवर्तन हो सकता है, श्रीमन्, मैं इस पर माननीय सदस्यों के सुझाव जरूर चाहूंगा। एक ओसरा बन्दी होती है, अब तक यह था कि कुलाबे पर थोकदार के हिसाब से ओसरा बन्दी होती थी। श्रीमन, हम वह बदल रहे हैं। तो अब ओसराबन्दी चक वाइज होगी जिससे हर व्यक्ति को पता लग जाय कि उसको कितने घंटे पानी मिलता है। अब ओसराबन्दी चक-वाइज होगी, थोकदार के हिसाब से नहीं होगी। एक और हमारे किसानों की समस्या है, जो किसान इन्टीरियर, देहात में रहते हैं, पिछले साल से हमने लिंक रोड का प्रोग्राम बनाया है। इस वर्ष पी0डब्लू0डी0 के माध्यम से करीब 50 किलो मीटर नहरों की पटरियां पक्की करने का प्रस्ताव है।

हमने यह किया है कि जो किसान बुग्गी, टायर वाली बुग्गी नहर और रजबहों की पटरियों पर ले जाना चाहते हैं उनको अनुमति दी जाय। श्रीमन्, यह सभी साथी जानते हैं कि जो ताकतवर व्यक्ति हैं वह तो निकाल ही ले जाते थे तो फिर गरीब किसान को यह परमीशन क्यों न दी जाय, इसलिए नहर और रजबहों की पटरियों पर वह अपनी बुग्गी जिसमें रबर टायर लगे हों, ले जाने की अनुमति दी गयी है। किसानों की एक परेशानी शामिल बरहा के सम्बन्ध में है। श्रीमन्, यह जरूर है कि न किसान का नुकसान हो और न शासन का हो तो अब तक यह प्राविधान था कि अगर वह हमारी गूल को क्रास करना चाहता

है तो किसान के प्रार्थना-पत्र पर विभाग उसकी तरफ से खर्च लेकर साइफन बना देता था। श्रीमन्, मैं यह विचार कर रहा हूं कि यह कार्य सिंचाई विभाग को करना चाहिए उन गरीब किसानों के हित में।

श्रीमन्, एक चीज के बारे में मैं और कहना चाहता हूं कि तावान की प्रथा है। श्रीमन्, मैं जानता हूं कि कहीं-कहीं कुछ केसेज में ऐसा होता है कि व्यक्ति विशेष उसको काटते हैं, लेकिन जो इसके लिए नियम हैं, मैं उस पर विचार कर रहा हूं कि उसमें परिवर्तन होना चाहिए। यह जो तावान का तरीका है उसमें परिवर्तन की गुन्जाइश है और होनी चाहिए। वह किसान के प्रति अन्याय है, मैं इसको फील करता हूं। इस पर गम्भीरता से विचार करना होगा कि किसान का और शासन दोनों का अहित न हो। इसलिए हम इस तावान को नार्दन इंडिया कैनाल ड्रेनेज ऐक्ट, 1873 के सेक्शन 33-34 जो इसको प्रोवाइड करते हैं, में परिवर्तन चाहता हूं, इसलिए माननीय सदस्य इसमें अपने सुझाव दें। यह ठीक है कि पूरा गांव नहीं काटता और यह भी मानता हूं कि अपनी चीज की रखवाली विभाग को करनी चाहिए, लेकिन देहाती क्षेत्र में नहरें फैली रहती हैं तो जब तक जनता का इसमें सहयोग प्राप्त नहीं होगा विभागीय कर्मचारी इसकी अकेले रक्षा नहीं कर सकते हैं। नहर जब कटती है तो इसमें नुकसान और फायदे दोनों होते हैं। इसलिए तावान में क्या परिवर्तन होनी चाहिए इसमें माननीय सदस्य अपने सुझाव दें।

मान्यवर, अब मैं लैण्ड एक्वीजीशन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। वैसे इसका एक कानून और लैण्ड एक्वीजीशन करने का एक तरीका होता है लेकिन इसमें ऐसा देखने को आता है कि नहर 4 साल से चल रही है, सड़क बने चार साल हो गये हैं, लैण्ड एक्वीजीशन हुए 4 साल हो गये हैं लेकिन किसानों को आज तक मुआवजा नहीं मिल पाया है और यही नहीं उनकी उस जमीन का लगान भी आ रहा है। चूंकि लैण्ड एक्वायर सिंचाई विभाग करता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इसमें भी अपने सुझाव दें। हरियाना में उझानी ड्रेन बना है, तो वहां के अधिकारियों ने मौके पर जाकर किसानों को कम्पेन्सेशन पहले भुगतान कर दिया तब शासन ने उस जमीन पर फावड़ा लगाया है। इसलिए मैं इसमें सुझाव चाहता हूं क्योंकि किसानों के पास रोजी-रोटी खेती है और वह भी एक्वीजीशन में चली जाती है।

मान्यवर, राजकीय नलकूपों के सम्बन्ध में मैं मानता हूं कि हमारे राजकीय नलकूपों की परफारमेंस बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। इसमें मैं कुछ सोच रहा हूं लेकिन फिर भी चाहूंगा कि माननीय सदस्य अपने सुझाव दें। क्योंकि जैसे अभी एक माननीय सदस्य ने कहा था कि फसल की रोपाई, धान की रोपाई, नर्सरी के लिए यदि ट्यूबवेल खराब हैं तो पानी नहीं मिलता है। मैं मानता हूं कि कुछ टेक्निकल खराबी हो सकती है जिसमें समय लगे लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि उनका जो रख रखाव है वह अच्छा होना चाहिए क्योंकि प्राइवेट ट्यूबवेल भी किसानों के पास हैं और वह अच्छे चलते हैं इसलिये राजकीय नलकूपों का रख-रखाव कास्टली क्यों होता जा रहा है इसमें मैं माननीय सदस्यों के सुझाव चाहता हूं। उनके क्षेत्र के 50 परसेन्ट ट्यूबवेल काफी दिन से खराब पड़े हुए हैं। समस्या तो है लेकिन उसको कैसे दूर किया जा सकता है, यह देखना है। बातें तो बहुत सी हैं, अधिक न कहकर मैं एक-दो चीजें और कहूंगा। एक चीज है, जैसा मैंने अभी कहा कि अभी शासन के राजकीय जितने भी सिंचाई कार्य हैं, उनसे एश्योर्ड इरिगेशन अभी सम्भव नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह विचार किया जा रहा है कि नहरी क्षेत्र के अन्दर भी जो

[श्री राजेन्द्र सिंह]

किसान अपनी अच्छी खेती करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम अधिक से अधिक उत्पादन करें, तो वे अपने निजी साधनों को भी बनायें। श्रीमन्, जब एक तरफ यह बात कही जा रही है तो यह भी आवश्यक हो जाता है कि जो प्रतिबन्ध नहर कमान्ड का उन पर है, वह हटा लिया जाय। अगर कोई किसान रबी और खरीफ की सीजन से पहले हमें यह सूचित कर दे कि मैं इस नहर या ट्यूबवेल से पानी नहीं लेना चाहता, मैं अपना निजी साधन बनाना चाहता हूं, तो हमें उसको परमीशन देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। शासन केवल यह सुनिश्चित कर लेगा कि वहाँ पानी नहीं जा रहा है। दूसरी चीज यह है कि पिछले 2–3 सालों में जो परियोजनायें बनाई गई हैं, उनसे सिंचित क्षमता में काफी वृद्धि हुई है लेकिन उसका उपयोग अभी नहीं बढ़ा है। इसलिए यह भी आवश्यक है कि किसान के चक तक मेन ड्रेन बनाना चाहिए ताकि पानी का नुकसान न हो और उसका सही इस्तेमाल हो सके। कमाण्ड एरिया राष्ट्रीयकृत बैंकों से पैसा लेकर इस कार्य को कर रहे हैं। कुल 3 कमान्ड एरिया हैं, रामगंगा, शारदा सहायक तथा गण्डक। जहाँ कमान्ड एरिया नहीं हैं वहाँ हम विभाग द्वारा इस कार्य को कराने पर विचार कर रहे हैं।

श्री हुक्म सिंह परिहार––

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, रामगंगा परियोजना का आपने जिक्र किया, इस सम्बन्ध में आगरा नहर के बारे में 1967 में मेरे एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने यह उत्तर दिया था कि रामगंगा परियोजना से 1250 क्यूसेक पानी आगरा नहर को मिलेगा। इसी पर 1973–74 में मेरे ही प्रश्न पर सरकार ने एक आश्वासन दिया था लेकिन 450 क्यूसेक पानी रह गया। दिल्ली नगर के लिए पानी दे दिया गया। क्या आगरा नहर के पानी के लिए आपने कोई प्रबन्ध किया है, यह स्पष्ट करने की कृपा करें ?

श्री राजेन्द्र सिंह––

माननीय परिहार जी ने जो प्रश्न उठाया है 1250 क्यूसेक पानी के बारे में, इसके लिए मुझे सूचना की आवश्यकता होगी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा।

श्री हुक्म सिंह परिहार––

चूंकि परियोजना बन चुकी है और पानी बंट चुका है, इसलिए आगरा नहर के लिए आपने योजना में क्या प्रबन्ध किया है, उसको तो स्पष्ट करें ?

श्री उपाध्यक्ष––

माननीय परिहार जी, आपको मौका मिलेगा, तब आप बोल लीजिएगा।

श्री राजेन्द्र सिंह––

मैं एक बात और कह दूं, शायद माननीय सदस्य जानते हों। हमारे जितने भी नलकूप हैं. . .

श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा)––

यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि परिहार साहब को जरूर मौका मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष––

यह सुनिश्चित है। परिहार साहब को मौका दिया जायगा।

श्री राजेन्द्र सिंह––

श्रीमन्, हमारे जितने भी राजकीय नलकूप हैं उनसे पानी गैलन के हिसाब से दिया जाता है। श्रीमन्, अभी तक यह भी कमी रही है कि हमारे ट्यूबवेल्स पर मीटर नहीं हैं। पहले विद्युत् विभाग यूनिट के हिसाब से चार्ज करता था तो उन्होंने मीटर लगा रखे थे। बाद में सभी मीटर निकाल दिए। अब बड़ी कठिनाई होती है। कठिनाई भी दोनों तरफ होती है। एक तो सरकार को नुकसान होने की सम्भावना है और दूसरा कृषकों को भी नुकसान की सम्भावना है कि जितना पानी नलकूप से चलता है उतना मिलता

है या नहीं। इसके लिए प्रयास हो रहा है कि सभी नलकूपों पर मीटर लगवा दिए जायं ताकि मीटर रीडिंग से हम सुनिश्चित कर सकें कि बिजली का इस्तेमाल कितना हुआ, नलकूप कितने घंटे चले और कितनी आमदनी हुई। मीटर के अभाव में श्रीमन्, शासन भी यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है कि जो व्यक्ति नलकूप में नियुक्त है वह पानी की मात्रा सही बताता है या नहीं। किसानों के हित में नलकूपों पर मीटर लगाना आवश्यक है। हालाँकि मीटर लगाना हमारा काम नहीं है विद्युत् विभाग का काम है, किन्तु हम उनसे बात कर रहे हैं, लगवा तो हम देंगे लेकिन टेस्टिंग तो उन्हीं को करनी होती है।

इन्हीं शब्दों के साथ श्रीमन्, मैं पुनः माननीय सदस्यों से चाहूंगा कि क्योंकि इस विभाग का पूरा कार्यक्रम देहात में रहने वाले हमारे उन किसानों से सम्बन्धित है जिन के वोट पर हम यहाँ चुन कर आते हैं इसलिए बड़ी गम्भीरता से जो प्वाइन्ट्स मैंने अपनी तरफ से उठाए हैं और जो माननीय सदस्यों की तरफ से सुझाव आयें उन पर विचार किया जाय। मैं चाहता हूं कि बड़े अच्छे और प्रैक्टिकल सुझाव आने चाहिए जिनको कि कार्यान्वित करने में हमको कठिनाई न हो।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 72—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य राजस्व लेखा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक पया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 73—सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 105—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 106—सिंचाई विभाग (बहु प्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, जैसा कि आपको मालूम था इस माँग पर कटौती का प्रस्ताव माननीय रियासत हुसैन साहब को पेश करना था लेकिन दुर्भाग्यवश वह पूरे सत्र का बहिष्कार कर गये हैं लेकिन कल ही उन्होंने मुझे आदेश दिया कि मैं इस कटौती के प्रस्ताव को मूव करूं। तो इतने कम समय में मैं विशेष तैयारी तो नहीं कर पाया हूं लेकिन थोड़ी बहुत बातें मैं माननीय मन्त्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि सिंचाई विभाग एक ऐसा विभाग है जिससे हमारा पूरा जन जीवन बिल्कुल जुड़ा हुआ है। माननीय मन्त्री जी तो देहात की बात कहते हैं, मैं तो कहता हूं कि देहात ही नहीं पूरे देश का जन जीवन सिंचाई विभाग के ऊपर है। सिंचाई के साधन होंगे, खेती होगी, खेती होगी तो अनाज पैदा होगा, कपास पैदा होगा, कच्चा माल पैदा होगा, कच्चे माल से हमारे देश के अन्दर उद्योग चलेंगे, देश फलेगा, फूलेगा। पूरा जन-जीवन सिंचाई विभाग से सम्बन्धित है।

मान्यवर, पाँच पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी हैं। अब हमें देखना यह है कि योजना के अनुसार जिस ढंग से हमारी सिंचाई की योजना बन रही है उसके अनुसार वह कार्यान्वित हो रही है या नहीं। यानी योजना का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि आँकलित परिव्यय के अन्तर्गत एक समयबद्ध कार्यक्रम बने। लेकिन सिंचाई विभाग के बारे में एक सबसे बड़ी शिकायत यह है कि न तो समय बद्ध कार्यक्रम हो सका और न आँकलन परिव्यय के मुताबिक कार्यक्रम पूरा किया गया। आप देखें कि राम गंगा परियोजना का कार्य 1961 में प्रारम्भ हुआ था और इसकी पूर्ति का लक्ष्य था 1968-69 तक, लेकिन पुनरीक्षित करके 10 साल बाद यह पूर्ण हो रही है। पश्चिमी गण्डक पर 1960–61 में कार्य प्रारम्भ हुआ। 1968–69 तक कार्य पूर्ण होना था लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। शायद 1980-81 में पूरा हो सकेगा। इसी तरह शारदा सहायक पर 1968–69 में कार्य प्रारम्भ हुआ, 1980 में कार्य पूर्ण हो जाना था। अब कहा जाता है कि 1981 तक हो जायगा लेकिन बजट में यह नहीं बतलाया गया है कि कितने परसेंट कार्य इसमें हो चुका है और कोई यकीन नहीं है कि 1981 में भी यह कार्य पूर्ण हो जायगा। समानान्तर निचली गंगा नहर पर 1974–75 में कार्य प्रारम्भ हुआ। 1980 में पूरा होना था लेकिन अब कहा जाता है कि 1981 में पूरा हो जायगा लेकिन कितना काम पूरा हो चुका है और कितना रह गया है इस बजट में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। केनर योजना मिर्जापुर में 1969-70 में कार्य प्रारम्भ हुआ और 1973–74 में खत्म होने को था। अब कहा जाता है कि 1982-83 में शायद यह पूरा हो जाय। राजघाट योजना 1974–75 में प्रारम्भ हुई और 1977-78 में इसको पूरा होना था लेकिन अब कहा जाता है कि 1982 में यह योजना पूरी होगी। तो यह समयबद्ध कार्यक्रम है। आप इनका आँकलन भी देखिए कितना बड़ा अन्तर है जब आँकलन तैयार किया जाता है और जब एक्चुअल खर्चा किया जाता है। रामगंगा का मूल आँकलन था 67 करोड़ 98 लाख और अब यह बतलाया जा रहा है कि 170 करोड़ 82 लाख खर्च हो गया। पश्चिमी गण्डक पर 50 करोड़ 38 लाख के स्थान पर 915 करोड़ खर्च हो गया। शारदा सहायक पर 99 करोड़ 81 लाख के स्थान पर 314 करोड़ 85 लाख खर्च हो गया। समानान्तर निचली गंगा नहर पर 25 करोड़ 67 लाख के स्थान पर कहा जाता है कि 45 करोड़ 27 लाख अब तक खर्च हो चुके हैं। लेकिन पूरी नहीं हुई है। इसी तरह से केनर नहर पर 48 लाख का प्राविधान था और 110 करोड़ खर्च हो चुका है लेकिन कम्प्लीट नहीं हुई है। राजघाट के लिए 16 करोड़ 74 लाख का प्राविधान था और अब तक 87 करोड़ 75 लाख खर्च हो चुका है। मैं पूछना चाहता हूं यह कौन सी नियोजन है। आपने एक समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किया था कि इस लक्ष्य के अन्दर काम हो जायगा। लक्ष्य भी खतम हो गया और 10 साल तक योजना आगे बढ़ाई गयी और लागत में दुगुना तिगुना नहीं बल्कि 10 गुना और 20 गुना खर्चा बढ़ा दिया। सिंचाई विभाग का जो कार्य पूर्ति दिग्दर्शक विवरण है उसको देखने से यह साफ मालूम हो जाता है कि कितना लम्बा गैप इन योजनाओं में है।

अब घोटाले के मामले लीजिए। मान्यवर, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाहता हूं। हमारे सामने सन् 1974–75 से लेकर 1976–77 तक की महालेखाकार की आडिट रिपोर्टस हैं। इनको अगर आप देखें तो पता चलेगा कि कितना गबन और घुटाला शारदा सहायक में ही केवल हुआ है। मान्यवर, 1,29,83,000 रु० के गबन के मामले प्रकाश

में आए हैं। माननीय मिश्रा जी, पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के चेयरमैन इस समय नहीं हैं, पता नहीं सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने इस कमेटी के सामने क्या बयान इस सम्बन्ध में दिए हैं किन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष भी जब सिंचाई विभाग की माँगें रखी गयी थीं तो इन आडिट रिपोर्ट्स का जिक्र किया गया था। मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे कृपया इन आडिट रिपोर्ट्स को देखें। मान्यवर, शारदा सहायक की 190 किलोमीटर नहर कंप्लीट हो चुकी है और 75 में उस पर पानी भी छोड़ दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2 करोड़ 98 लाख रुपया केवल नहर की खुदाई में खर्च हुआ है। मान्यवर, नहर कम्प्लीट हो गयी, 119 किलो मीटर तक कम्प्लीशन रिपोर्ट सरकार के पास है और उसके बाद 2 करोड़ 98 लाख रुपया मिट्टी की खुदाई में खर्च किया गया। आडिट ने आपको पकड़ा और हमने सुना है कि इसके बारे में माननीय बलवीर सिंह ने सदन में आश्वासन दिया था कि हम इसके बारे में इंक्वायरी करेंगे। वह इंक्वायरी शुरू हुई लेकिन उसके बाद क्या हुआ, माननीय मन्त्री जी अपने उत्तर में बतायेंगे कि उसके सम्बन्ध में क्या हुआ ? दोषी लोगों के ऊपर कार्यवाही हुई या नहीं ?

मान्यवर, ईस्ट कल्याणी साईफन के बारे में दो सौ टन लोहे की गड़बड़ी और घुटाला की सूचना मिली है। जब सिल्ट की खुदाई हुई तो पता चला कि लाखों रुपए की मशीनें दबी हुई हैं। इतनी लापरवाही से रखी हुई थीं कि वे दबी हुई हैं, उनका पता ही नहीं था। यदि खुदाई न होती तो पता ही न चलता कि लाखों की मशीनें दबी हुई हैं ? मान्यवर, यहीं लखनऊ में एक हरिहर मोबाइल है जहाँ से लाखों रुपए का तारपोलीन बगैर किसी टेन्डर के, बगैर किसी कोटेशन के, बगैर किसी प्रचार के चुपचाप खरीद लिया गया। इस सम्बन्ध में यह कहा गया कि अधिकारियों को सस्पेन्ड किया गया और अब मुझे बताया गया है कि एक महीने पहले उन अधिकारियों को वापस बुला लिया गया है, वे बहाल कर दिए गए हैं। बेचारे मन्त्री जी का इसमें कोई कसूर नहीं है आज कल एक पर्टिकुलर जात ऐसी है जो अपने को रायल-फैमली कहती है, यह बेचारे हमारे मन्त्री क्या कर सकते हैं ?

मान्यवर, आपके यहाँ 1 करोड़ 35 लाख के सेल्फ इजैक्टर लगे हुए हैं लेकिन फिर भी आप सिल्ट निकालने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। यह भी कोई कम घोटाले की बात नहीं है। इतना ही नहीं आप देखें विभाग ठेकेदारों से काम लेता है, आरबिट्रेशन की पावर आपको है उसके बावजूद भी आज आपके विभाग के 50 करोड़ रु0 के मामले अदालतों में पेंडिंग पड़े हुए हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं अदालतों में डिक्री होगी और आपके विभाग को देना पड़ेगा। पिछले सप्लीमेंटरी बजट में बहुत सा पैसा इस माननीय सदन से स्वीकार करवाया। मैं कहना चाहता हूं कि इस ढंग से डिक्रियाँ होती हैं आपके विभाग में इस प्रकार का कोई प्राविधान है कि जिस अधिकारी की गलती के कारण ठेकेदारों को पैनाल्टी देनी पड़ी उसकी व्यक्तिगत रिस्पांसिबिलिटी फिक्स की जाय। क्या आज तक किसी की रिस्पांसिबिलिटी फिक्स की गयी, जाहिर है, नहीं की गयी।

मान्यवर, जब मैं आँकड़े पढ़ रहा था तो माननीय सिंचाई मन्त्री मुस्करा कर इशारा कर रहे थे इनका मतलब था कि देव बहादुर जी के जमाने की बात है, काँग्रेस सरकार के जमाने की बात है।

(व्यवधान)

जिस जमाने में नैनीताल में गवर्नमेंट थी। यह सही है लेकिन बदकिस्मती क्या है जैसा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी कह रहे थे तो यह भी ठठेरे थे वह भी ठठेरे हैं। चाहे काँग्रेस हो या जनता हो, वही हिसाब है। अब माननीय मन्त्री जी अपनी पार्टी के जमाने

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

की सुन लीजिए। पिछले साल जब बजट पेश किया गया उस वक्त मुझे अच्छी तरह से याद है माननीय श्यामधर मिश्रा जी की तरफ से भाषण किया गया था उन्होंने कहा था कि सिंचाई विभाग की तरफ से 27 करोड़ रु0 सरेंडर किया गया तो इस पर माननीय बलवीर सिंह जो उस वक्त सिंचाई मन्त्री थे वह एक दम खड़े हुए उन्होंने कहा कि 27 करोड़ नहीं बल्कि केवल साढ़े चार करोड़ रुपया हमने सरेंडर किया। साढ़े चार करोड़ ही सही। उन्होंने यह भी कहा कि सात करोड़ रु0 केन्द्र की ओर से बाढ़ नियन्त्रण के लिए हमें सहायता मिली थी उसमें से तीन करोड़ खर्च किया गया और चार करोड़ के लिए कहा कि हम को फ्लड के लिए एडवांस में दे दीजिए। तो पिछले साल ही आप बजट माँग रहे हैं और सात करोड़ का सरेन्डर कर रहे हैं। अब जब मन्त्री जी आये हैं उसका हिसाब देख लीजिए। मान्यवर, सिंचाई में वृहद् योजनाएं और लघु योजनाएं बड़ी इम्पार्टेंट योजनाएं हैं। इतनी बड़ी-बड़ी योजनाएं हमारे यहाँ चल रही हैं उनका विकास अवश्य होना चाहिए उसमें हमारा रुपया लगा हुआ है। उसकी आपने लेजिसलेचर से सैंक्शन ले ली और उसके लिए आपने हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया और जब जाकर आपने हमें यह राशि स्वीकार कराई। आपकी ही एक किताब है, जिसमें दिसम्बर, 1978 तक के कार्यों की प्रगति दिखाई गयी है। अब आप मन्त्री जी कृपा करके अपने विभाग वालों से पूछिए कि क्या चक्कर है? दिसम्बर महीने की बात है, जबकि मार्च में वित्तीय वर्ष समाप्त होता है। दिसम्बर में इनका विभाग फैसला लेता है कि वृहद एवं मध्याकार परियोजनाओं में 22 करोड़ 15 लाख रुपया खर्च नहीं होंगे। लघु सिंचाई में 65 लाख रुपया खर्च नहीं होंगे, हायडिल द्वारा सौंपे गये कार्यों में 11 करोड़ 10 लाख रुपया खर्च नहीं हो पायेंगे। यानी यह तीन महीने पहले ही यह तय करके बैठ गए कि इतना इतना पैसा खर्च कर सकना इनके वश की बात नहीं है। तो आज हमसे इसके लिए जो 312 करोड़ रुपए की माँग यह कर रहे हैं उसके बारे में मन्त्री जी हमें कैसे यकीन दिला सकते हैं कि इसको वह पूरा खर्च कर लेंगे।

1978–79 के बजट में वृहद एवं मध्याकार योजनाओं में 149 करोड़ 50 लाख रुपए का प्राविधान था, जिसमें से ढाई करोड़ रुपया ताजीवाला के सम्बन्ध में हरियाणा सरकार को देना था। उसको देने के बाद यह दिसम्बर तक केवल 56 करोड़ रुपया खर्च कर सके हैं यानी केवल 38 परसेंट खर्च किया गया और 62 परसेंट आप दिसम्बर तक खर्च नहीं कर पाए। लघु सिंचाई के लिए 33 करोड़ 20 लाख रुपए का बजट में प्राविधान था, और दिसम्बर, 78 तक आप 33 करोड़ में से केवल 13 करोड़ 57 लाख रुपया खर्च कर सके यानी 40 परसेंट खर्च किया और 60 परसेंट पड़ा हुआ था। विद्युत् परिषद् ने पिछले वर्ष 42 करोड़ 35 लाख रुपए की व्यवस्था की थी सिंचाई विभाग को देने के लिए ताकि उनके विद्युत् गृहों का निर्माण किया जा सके। किन्तु उस पर सिंचाई विभाग ने फरमाया कि इतनी बड़ी धनराशि हमसे खर्च नहीं हो सकती है, हम ज्यादा से ज्यादा 30 करोड़ 90 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं। अतः उन्होंने इनकी असमर्थता पर इतना ही दे दिया, लेकिन यह उसमें से भी दिसम्बर तक केवल 15 करोड़ 90 लाख रुपया खर्च कर पाते हैं यानी केवल 51 परसेंट और 49 परसेंट रुपया आपके पास मौजूद था। जिसे आप खर्च नहीं कर सके। इन तीनों चीजों के बारे में मन्त्री जी अपने उत्तर में प्रकाश डालने की कृपा करें। दिसम्बर से मार्च तक तीन महीने और काम चला, तो उस अवधि में कितना पैसा आप और खर्च कर सके हैं और कितना रुपया बाकी बचा है, इसके बारे में आप अवश्य विवरण दे दें।

एक काम यह और करते हैं ताकि जाहिर न हो कि रुपया सरेण्डर हुआ है——एक मद से दूसरे मद में ट्रान्सफर दिखाया जाता है। जैसा कि दिखा दिया कि पी0डब्लू0डी0 के लिए दे दिया। मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस बारे म भी सदन में प्रकाश डालें।

शायद मन्त्री जी को मालूम हो या न मालूम हो उनके सहयोगी श्री शिवानन्द नौटियाल ने, जब वह मन्त्री नहीं बने थे, इसी सदन में कहा था कि आज भी 60 करोड़ रुपए की

मशीनें आपके विभाग में बेकार पड़ी हुई हैं कालागढ़ तथा अन्य जगहों पर, जिनमें से एक-एक की कीमत केवल 60 लाख रुपए की है और ऐसी भी हैं जो 100 घंटे भी नहीं चलीं। ये तमाम मशीनें आपके विभाग की बेकार पड़ी हैं। लेकिन राजघाट के लिए आप चार करोड़ के उपकरण खरीदते हैं, बावजूद इसके कि आलरेडी जो मशीनें हैं वह इस्तेमाल नहीं हो रही हैं। दस साल के पहले तमाम देश के सिंचाई मन्त्रियों की बैठक हुई थी और उन्होंने यह सिफारिश की थी. इस दृष्टि से कि अपव्यय न हो, एक टेक्निकल कमेटी राज्यों के स्तर पर यह देखे कि इस तरह से अगर कोई मशीन बेकार पड़ी है, उसको कहीं दूसरी जगह इस्तेमाल किया जा सके। मुझे पता नहीं उसके बारे में कि टेक्निकल कमेटी बनी या नहीं। इसके बारे में माननीय मन्त्री बतायेंगे।

321 करोड़ 67 लाख रुपए के करीब बजट है। उसमें 114 करोड़ और कुछ का रेवेन्यू एक्सपेंडीचर है, एक तिहाई से भी ज्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडीचर है। कैपिटल एक्स-पेंडीचर पिछले साल से और भी कम हुआ होगा। आपके ही बजट की नहीं पूरे बजट की विशेषता है कि इस वर्ष रेवेन्यू एक्सपेंडीचर बढ़ रहा है। कैपिटल एक्सपेंडीचर घट रहा है। उसकी तस्वीर आपके यहाँ क्या है ? आपका अपना अधिष्ठान लें। 1974 में सिविल साइड में केवल दो ऐडीशनल इन्जीनियर थे। दो से बढ़ कर पिछले साल 15 हो गए और इस साल दो और बढ़ा दिए, 17 एडीशनल चीफ इंजीनियर्स हो गए। सिविल इंजीनियर्स का जो आपने प्रमोशन किया आपका कसूर नहीं है, यह सिंचाई विभाग की पर-म्परा है कि जब तक किसी पर 10–15 विजिलेन्स के केसेज न चलें तब तक वह ऐडीश-नल चीफ इंजीनियर और चीफ इंजीनियर नहीं होगा। जो चीफ या ऐडीशनल चीफ बनेगा उसके लिए यह बुनियादी क्वालिफिकेशन है कि उसके ऊपर विजिलेन्स चलेगा, इंक्वायरी बैठे, शिकायतें हों भ्रष्टाचार की, तब तक उसका। हो नहीं सकता इन 17 ऐडीशनल चीफ इंजीनियर्स में से मुझे बताया गया है, मैं नहीं जानता कितना सही है, 15 टेम्पोरेरी आधार पर सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स का प्रमोशन करके, एडीशनल चीफ इंजीनियर बनाया गया। 15 के 15 के ऊपर भ्रष्टाचार के बारे में इंक्वायरी चली है और इन 15 में बताया गया है 5 ऐसे महानुभाव हैं जिन पर आज भी इंक्वायरी पैंडिग है। कहाँ तक सच है, माननीय मन्त्री इसके ऊपर जरूर प्रकाश डालेंगे।

ट्यूबवेल्स के बारे में माननीय मन्त्री जी ने आश्वासन दिया है 15 हजार ट्यूबवेल शायद प्रदेश में लग चुके हैं या लगाने वाले हैं। यह भी हकीकत है कि प्रदेश की सिंचाई 41 परसेंट ट्यूबवेल्स से होती है और नहरों से केवल 30 परसेंट होती है, राजकीय। यह हमको बताया गया। 15 हजार ट्यूबवेल लग गये, सिविल के अन्दर 2 से 17 ऐडीशनल चीफ हो गये और मैकेनिकल में 1974 में दो ऐडीशनल चीफ थे आज वही दो काम कर रहे हैं। और सबसे इन्टरेस्टिंग बात है आप को बताता हूं, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि 15 हजार ट्यूबवेल हैं सिंचाई विभाग में पूरे प्रदेश में केवल एक मशीन आपरेटर है। मान्यवर, पूरे राज्य में एक है। उसको पूछने वाला कोई भी नहीं है, जो उसका ग्रेड था वही अब तक चला आ रहा है, उसके ग्रेड में परिवर्तन नहीं हुआ जब कि जेईज का ग्रेड 700 रू0 तक हो गया है। अगर माननीय मंत्री जी नलकूपों के बारे में गम्भीर हैं तो आपको जो मेकेनिकल सेक्शन है उसको सुदृढ़ करना होगा और साथ ही साथ इसको सिविल से अलग रखें। 15 हजार नलकूप हैं।

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, अभी तो मेरा काफी टाइम है। मैंने आधे घंटे के लिए निवेदन किया था।

श्री उपाध्यक्ष—

आपके 5 मिनट और हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मैं कोशिश करूंगा। अगर कहीं पर मैं इररेलेवेन्ट बोल रहा हूं तो टोक दें मैं बैठ जाऊंगा। तो मान्यवर, आप मेकेनिकल सेक्शन को स्ट्रेन्थे न करें। अब मान्यवर, एडीशनल चीफ इंजीनियर्स की बात तो आपने देख ली। इनकी वृद्धि लगातार हो रही है, लेकिन जो एड-हाक एप्वाइन्टमेंटस इंजीनियर्स के किए जा चुके हैं वह अभी एड-हाक बेसिस पर चल रहे हैं। सरकार ने आश्वासन दिया था कि उनको रेगुलराइज कर दिया जायेगा। 14 मई को एक सरकुलर कार्मिक विभाग का निकाला कि 1–1–77 से पहले जो इंजीनियर्स काम कर रहे थे उनको नियमितीकरण कर दिया जायगा और जो 1–1–1977 के बाद के इंजीनियर्स हैं उनको निकाल दिया जायगा। जो निकाले जायेंगे वह नवजवान इंजीनियर्स हैं, मेरिट होल्डर्स हैं ओर वेस्ट क्रीम है उसको हटाया जायगा। एक ओर आप कहते हैं कि बेरोजगारी को समाप्त किया जायगा और दूसरी ओर रोजगार में लगे हुए जो नवजवान हैं, उनको नौकरी से हटा रहे हैं। 1–1–1977 की लक्ष्मण रेखा की क्या जरूरत है। दूसरी बात आप देखिए कि 1–1–1977 के पहले के लोगों का नियमितीकरण उस दिन से किया जायगा जिस दिन से दुबारा खपाए जायेंगे। डेट-आफ-ओरिजनल एटवाइटमेन्ट से उनका नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है। इसी बारे में एक मुकदमा भी चला, नाम मुझे नहीं याद, शायद पटवर्धन वसज स्टेट आफ गुजरात का है। उसमें भी इस सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है, लेकिन कार्मिक विभाग ने सब खतम कर दिया। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो नवजवान और जो आलरेडी नौकरी में लगे हुए हैं और जिनको 3 साल पूरे हो जावेंगे उन को रख लिया जाना चाहिए। यह जो आपने लक्ष्मण रेखा रखी है वह नहीं होनी चाहिए।

मान्यवर, सर्किल आफिस के मिनिस्टीरियल स्टाफ के प्रमोशन की प्राब्लम है। प्राब्लम क्या है। सर्किल में हेड असिस्टेंट के पद पर प्रमोशन होगा तो कोटा फिक्स है। सर्किल स्टाफ का साढ़े 12 परसेंट और डिवीजनल स्टाफ का 25 परसेंट कोटा है। और चीफ इंजीनियर के यहाँ का 62 1/2 प्रतिशत कोटा रखा है। सर्किल आफिस में जो एलिजिबिल लोग हैं उनकी संख्या 400 है, लेकिन उनका कोटा रखा है 12 1/2 प्रतिशत डिवीजनल आफिस में भी जिसकी संख्या 400 के लगभग है 25 प्रतिशत और चीफ इंजीनियर के आफिस की जिसकी सख्या केवल 100 है उसके लिए आपने 62 1/2 प्रतिशत का कोटा रखा है। मेरा निवेदन है कि आप सर्किल आफिस के स्टाफ को रैशनालाइज कीजिए और सिनियोरिटी के हिसाब से आप उनको प्रोन्नति के अवसर दीजिए।

जहाँ तक वर्ग 4 का सम्बन्ध है उसमें बहुत से मजदूर हैं जोकि बीसियों वर्षों से काम कर रहे थे। पहले यह होता था कि अगर काम नहीं होता था तो इन वर्क चार्ज्ड के लोगों को हटा दिया जाता था और काम होने पर रख लिया जाता था लेकिन अब क्या होता है, आप उनको दुबारा नहीं रखते हैं बल्कि चयन समिति से या एम्पलायमेंट से माँग लेते हैं।

हमारे यहाँ पर टिहरी परियोजना, कोटली भेल विष्णु प्रयाग और उत्यासु आदि बड़ी-बड़ी परियोजनायें हैं। अकेले टिहरी योजना के विस्थापितों को बसाने के लिए 12-14 हजार एकड़ जमीन चाहिए, जमीन कहाँ से आयेगी, उसके लिए आप जंगल काटेंगे। इसी प्रकार से 14 हजार एकड़ कोटली भेल के विस्थापितों को, 14 हजार एकड़ भूमि उत्यासु के विस्थापितों और 14 हजार एकड़ विष्णु प्रयाग के विस्थापितों के लिए चाहिए। हमारे यहाँ पर एक "भागीरथी" अखबार निकलता है। उसमें श्री वी0 के0 मूर्ति, चेयरमन, सेंट्रल वाटर एंड पावर कमीशन है, ने कहा है कि अगर आप इस तरह की योजनाएं बनायेंगे तो उचित न होगा। बिजली और पानी भी हिमालय से जोकि पैरेनियल सोर्स

आफ वाटर है वहीं से मिल सकता है। बड़े-बड़े बांध जो है वे कोयना (भारत) हूवर डैम (सं0यु0 र0 अमेरिका) सैनलुइस (यू0एस0ए0) करीबा (रोडेशिया) और मैरेथन डैम (घाना) में है। इस सम्बन्ध में भूगर्भ शास्त्रियों के अन्दर इस बारे में विचारों में बहुत अन्तर है। कुछ कहते हैं डैम्स बनने से भूकम्भ आ जाते हैं, कुछ कहते हैं कि यह बात गलत है। जो भी हो हकीकत यह है अगर बड़े-बड़े बांध बनाए जायेंगे तो जंगलों का नाश करना पड़ेगा और हमारा जो ज्योगरिफिकल इम्बैलेन्स है वह डिस्टर्ब हो जायगा। माननीय कृष्ण मूर्ति भी यही कहते हैं। तो बजाय बड़े-बड़े बांध बनाने के आप ऐसी योजनायें बनाइए जैसा कि मनेरी भाली, किसाउ, यमुना आदि सुरंगें बनाकर आप नहरें निकालिए। इससे जन जीवन डिस्टर्ब नहीं होगा और दूसरे जो और खतरे हैं वे भी दूर होंगे।

मान्यवर, हमारे यहाँ पर टिहरी परियोजना चल रही है। उसके लिए आपको जूनियर इंजीनियर नहीं मिलते हैं। मैंने आपसे बातचीत की थी कि जो आपके यहाँ पर चयन करते हैं, उसमें पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को पहले 10 प्रतिशत मार्क्स ग्रेस के देते थे, लेकिन अब नहीं देते जिसके कारण आपके चीफ इंजीनियर को कोई अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। वे अपने आप भर्ती नहीं कर सकते हैं। तो मेरी प्रार्थना है कि जैसे कुछ मार्क्स ग्रामों के लिए भी रखे थे उसको रखिए।

एक बात मुझे यह कहनी है कि इन परियोजनाओं में जो काम करा रहे हैं वह एक कन्ट्रैक्टर के द्वारा टिहरी में काम हो रहा है। उसका नाम जय प्रकाश एसोसिएट है। बाप ने काम करना शु किया तो बेटा और माँ तक सभी उसमें काम करने लगते हैं। न तो उनके खाने का समय निश्चित है, न काम करने का समय निश्चित है। अभी एक मजदूर बेचारा मर गया, उसको कोई पूछने वाला नहीं था। उन्होंने अपनी एक यूनियन बनाई, उसके सेक्रेटरी को रातो-रात गायब कर दिया गया और कहा यह कि वह छुट्टी चला गया है। अभी तक उनकी यूनियन के सेक्रेटरी का पता नहीं चला है।. . . .

(व्यवधान)

मुकीम साहब जानते होंगे वे उनके बीच काम करते हैं। मेरा निवेदन है कि जो भी छोटे-छोटे काम हैं, सिविल वर्क्स के वे आप लोकल ठेकेदारों से ही करायें न कि इन बड़े-बड़े ठेकेदारों से।

अन्त में मैं माननीय मन्त्री जी को बधाई देता हूं, इसमें कोई शक नहीं कि आप अपने विभाग में भ्रष्टाचार खत्म करने पर तुले हुए हैं, इसमें भी शक नहीं कि आप छापे भी मारते हैं, कल परसों में भी आपने छापे मारे हैं, लेकिन मैं एक बात के लिए आपको आगाह करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि आपके विभाग में एक ऐसी विशेष बिरादरी है जिसको रायल फैमिली कहते हैं। वे कहते हैं कि अब तो माननीय मुख्य मन्त्री जी भी हमारी बिरादरी के हैं, कौन क्या कर लेगा। हम तो इस प्रदेश के मालिक हैं ऐसा कहते हैं। यह जाट और बनिए में आज तो दोस्ती है. . . .

(हंसी)

लेकिन भाई साहब, बनिया-बनिया ही होता है, किस को कहाँ लगड़ी दे दे यह कहा नहीं जा सकता। कहीं ऐसा न हो कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आप चलें और आपकी ही नौकरी खतरे में पड़ जाये।

पहाड़ों पर कोटद्वार में खोह और मालन नदी में आजकल बाढ़ आई हुई है। उस ओर भी माननीय मन्त्री जी ध्यान देने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री हरिश्चन्द्र (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैं सिंचाई विभाग की अनुदानों का समर्थन करता हूं। यह माँगें बहुत ही आवश्यक हैं और इस विभाग का महत्व भी बड़ा है। मैं मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि उन्हें एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व का निर्वहन करना है। हमारे यहाँ जो उत्पादन बढ़ा उसका श्रेय सिंचाई विभाग को ही जाता है। यह सही है कि हमारे यहाँ काफी सिंचाई साधनों का विस्तार हुआ है। मैंने एक विदेशी मैगजीन देखी जिसमें लिखा था कि उत्तर प्रदेश में भारी उत्पादन। उसमें उसके बढ़ने का कारण भी यह दिया था कि इस प्रदेश में सिंचाई साधनों का काफी विस्तार हुआ है। जहाँ सिंचाई साधनों के विस्तार का श्रेय माननीय मन्त्री जी को है, वहीं एक दुखद स्थिति भी है जिसकी ओर मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी विशेष ध्यान दें। उन्होंने उल्लेख किया कि बस्ती जिले में एक निर्वाचन क्षेत्र में 9 नलकूप बन्द पड़े हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में आज न जाने कितने नलकूप ऐसे हैं जो बन्द पड़े हैं। आज लगभग 4000 नलकूप बन्द पड़े हैं। कहीं मोटर खराब है तो कहीं कुछ और खराबी है। कहीं विद्युत् कनेक्शन नहीं मिला है। इसमें अगर मन्त्री जी सुधार कर दें तो निश्चय ही आपके विभाग द्वारा प्रदेश के विकास में चार चाँद तो लगे ही हैं, एक सुनहरा पन्ना और जुड़ जायेगा। नहरें खुदी हैं, कुछ नहरें और बन रही हैं, लेकिन किसान की भूमि में मैं समझता हूं कि जो नहरों में जायेंगी, उससे उनके मन में बड़ी चिन्ता है। पहले जमीनें जाती थीं, यह मजबूर होकर देता था। पिछली यादव जी की सरकार में यह तय हुआ था कि कटौती की जमीन में से नहरें जायेंगी। माननीय मन्त्री जी से मैं कहना चाहूंगा, विधेयक को अधिनियमित होने में समय लग रहा है, उसको शीघ्र अधिनियमित करायें। आदेश दें कि जब तक विधेयक अधिनियमित नहीं हो जाता है, किसी की जमीन की अवाप्त नहीं की जायगी। अन्यथा बहुत से किसानों की जानें चली जायेंगी, अधिकारियों को काम करना असम्भव हो जायगा। मन्त्री जी ने कहा कि इसके लिए जल्दी कराई जा रही है। मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं।

मान्यवर, बन्धे बन गये हैं कि बाढ़ से बचाया जाय। मैं केवल दो नदियों के इलाके का उल्लेख करूंगा। बस्ती जिले में राप्ती और बूढ़ी राप्ती, गोरखपुर जिले में घाघरा और कुवानों, ये दो नदियों से प्रभावित हैं, बस्ती जिले के लगभग 200 गाँव, गोरखपुर जिले के लगभग डेढ़ सौ गाँव। बाँध बनने की बात बहुत पहले तय हुई थी। मिट्टी पड़ रही है, लेकिन काम रुका पड़ा है, वर्षा आ रही है, बाढ़ आ जायगी, जो मिट्टी पड़ी है, जो पैसा लगा है, वह भी बह जायगा। इसलिए इसमें युद्ध स्तर पर फिर से इस काम में दिलचस्पी लेकर पूरा किया जाय। मैंने इसके बारे में जानकारी की थी, तो मुझे अधिकारियों ने उत्तर दिया था कि शादी, विवाह का समय था, फसल कटाई में मजदूर नहीं मिले, जिससे वह काम नहीं हो सका। उत्तर सत्य नहीं है। वर्षा आने के पहले यह बाँध पूरा हो जाना चाहिए। एक योजना रखी गयी है कि ताल, पोखरे, नदियाँ गहरी कराई जायेंगी, जिसके कारण कि बाढ़ का पानी उनमें ज्यादा अटाया जा सके। यह योजना सही है। मैं इसकी सराहना करता हूं। इस वर्ष भी अनुदान में काफी धनराशि इस पर निश्चित की गयी है। लेकिन मैं माननीय मन्त्री जी से आशा करूंगा कि बहुत सी नदियाँ जैसे राप्ती, आदि छिछली हो गयी हैं, बहुत से जलाशय बस्ती जिले में जैसे चंवरताल है, वह ताल डेढ़ सौ गाँव को प्रभावित कर देता है, जैसे फजिहतवा नाला है, यदि वह गहरा हो जायगा, तो डेढ़ सो गाँवों की फसल को बचाया जायगा।

गाँव ऊंचा कराने की स्कीम हमारी है। हम लोग भी जिस समय मन्त्रि मण्डल में थे, हर जिले से 50 तहसील लिए जाने वाले थे, कुछ दिन बाद पता चला कि पए की कमी आ गई तब हर तहसील के तीन गाँव ऊंचे कराने की बात हुई। लेकिन वह तीन गाँव भी ंचे नहीं कराए गए। कम से कम यह तीन गाँव को ऊंचा कराने की योजना जो है, वहाँ पर

मिट्टी डलवा कर उस गाँवों को ऊंचा कराया जाय। इस काम को तुरन्त लिए जाने की आवश्यकता है। कुछ सुझाव आये थे कि अमुक-अमुक नदियों को एक दूसरे से जोड़ कर बाढ़ इलाके का काम भी युद्ध स्तर पर होना चाहिए, इसकी उपेक्षा न हो। इस ओर मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं और बाढ़ आने में महीने, डेढ़ महीने रह गया, मैंने पिछले सामान्य बजट में बोलते हुए कहा था। अब भी कह रहा हूं, रोज तापमान बढ़ रहा है, पिछले साल से प्रतिदिन का तापमान डेढ़ डिग्री से 3 डिग्री तक ज्यादा तापमान है, वर्षा अधिक होगी, बाढ़ आयेगी। बाढ़ के समय जो ट्रक लगती है और जो सामग्री लगती है, उसकी व्यवस्था अभी से करा दी जाय, वरना समय पर न नाव मिलती है, न ट्रक और न अनाज मिल पाता है।

अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि नदियों से काटी गयी जमीन का सर्वेक्षण नहीं हो पाया। किसानों से उस पर लगान ली जा रही है इस जमीन पर किसानों को ऋण दिया गया है उसकी वसूली हो रही है। मान्यवर, शीघ्र सर्वेक्षण कराया जाये जिससे उसके भुगतान की परेशानी से किसान बच जायें। माननीय सिंचाई मंत्री का कहना है कि रेवेन्यू मिनिस्टर जानें। 75 फीसदी फसल का जहां नुकसान हो गया है वहां लगान माफी की घोषणा तत्कालीन मंत्री जी ने की थी लेकिन मेरी जानकारी में है कि बेलघाट ब्लाक में पीपरशण्डी, मझली, मनका पार, भरसी, बिशुनपुरा आदि गांव हैं। गोरखपुर जिले में जहां शत प्रतिशत फसल बह गयी थी, वहां वसूली हो रही है, इसको रोका जाना चाहिए। ट्यूबवेल्स जो लगे हैं वे ठीक से चलते रहे, इसकी विशेष व्यवस्था करनी पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ सिंचाई विभाग के अनुदान का मैं समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि आने वाला कल अच्छा होगा।

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)—

अभी माननीय सिंचाई मंत्री तथा अन्य माननीय सदस्यों का भाषण मैंने सुना। श्रीमन् 80–90 फीसदी तर्क नेगी जी के सही थे।

श्री उपाध्यक्ष—

ये 80–90 फीसदी क्या ?

श्री मुकीमुर्रहमान —

जो तर्क नेगी जी ने दिये थे वे 80–90 फीसदी सही थे। अभी श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने किसानों के मसले पर भाषण दिया तथा एलान किया कि किसानों को सड़क पर चलने की इजाजत दे रहे हैं। किसानों के नाम पर बड़ा अनुदान दिया गया इसके लिये मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। नहरों की गूलें जो पक्की बनावायी गयी थीं, पटरी पक्की बनवायी उन पर चलने की इजाजत दे रखी है। जैसा कि हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट में जिलेदार होता है और वह उसमें तावान डालता है। किसानों के नाम पर बड़े भाषण दिये जाते हैं लेकिन किसानों को भाषण से ऋण दिया जाता है, जबकि किसान के नाम पर भाषण दिया जाता है। यह 1947 से अब तक विचाराधीन है। वह एलान करें कि उन पर जो तावान पड़ता है वह न रहे, इसका निर्णय ले लें। फसल पर नजर गयी, कटान पर गयी लेकिन साथ ही साथ बहुत से सेक्शन जो बनते हैं, जैसा नेगी जी ने कहा था कि 48 फीसदी हमारी आबपाशी कुओं के जरिये होती है और बाकी नहरों के जरिये होती है।

[श्री मुकीर्रहमान]

(इस समय 1 बज कर 19 मिनट पर अधिष्ठात्री, श्रीमती सुनीता चौहान पीठासीन हुईं।)

सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। जांच तस्कीम करने के बाद गलत आंकड़े आते हैं। आधे प्रतिशत आंकड़े सच होते हैं, आधे झूठे। 50 फीसदी चीजें होती हैं जिनको 100 फीसदी पेश किया जाता है। पानी मिले या न मिले आबपासी होगी। होता यह है कि कुलाबा नहीं खुलता, पानी नहीं आता। कुलाबा खुले या न खुले आबपासी लेंगे। क्या तरीका है। ए0 डी0 एम0 (ई0) मुरादाबाद के मुताबिक उन्होंने रिपोर्ट की है कि 97 गांव ऐसे हैं जहां पानी नहीं पहुंचा। 1952 की भी रिपोर्ट आई, 59 की भी आई, 77--78 की है। तीन साल के आंकड़े आ चुके हैं। आज माननीय सदस्य नहीं हैं, हमारे गन्ना के महान नेता, माननीय गेंदा सिंह जी ने हमेशा किसानों की वकालत की गांवों की वकालत की। हम गांव के बारे में क्या कर रहे हैं। एक योजना हमारी बनती है, जो अधिकारी योजना बनाते हैं, तीन साल बाद चले जाते हैं, दूसरे आते हैं। नये सिरे से कार्य करते हैं। मैं यह आरोप नहीं लगाता एक आदमी काम करता है, गलत होता है, सही बताता है। गल्ती सभी के साथ हो सकती है। एक गल्ती के बाद दूसरी होती है तीसरी होती है चौथी होती है। किसान मारा जाता है।

कहीं-कहीं ऐसा भी है कि कमान्ड एरिया में किसानों के लिये नहरें नहीं हैं, ट्यूबवेल लगा नहीं सकते, नहरें पानी देती नहीं हैं जो नहरें हैं भी। ठाकुरद्वारा के अन्दर नहरों का लेबिल खेतों के लेविल से एक फिट दो फिट ऊंचा है खेत नीचे है। पानी चढ़ नहीं पाता...

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, यह बत्ती जल गयी। मैंने तो अभी शुरू ही नहीं किया बोला ही कहां है, मैंने मान्यवर.....।

मान्यवर, किसानों की जहां तक सुविधाओं का सवाल है, कोई भी उनके बारे में नहीं सोचता। उस बे पढ़े लिखे किसानों के बारे में, बेजबान किसानों के बारे में कुछ नहीं सोचता, कहता चला जाता है। फला मंत्री ने किसानों के लिये यह कहा, फला मंत्री ने किसानों के बारे में यह कहा। जब कहते हैं मंत्री जी तो ऐसा लगता है कि कोई काम अब किसानों के लिये छोड़ेंगे नहीं।

दूसरी बात अभी माननीय मंत्री जी ने जो भाषण दिया है, उसमें बहुत अच्छे ढंग से कहा है, बड़े अच्छे ढंग से समस्याओं को सुलझाने की चेष्टा की है लेकिन माननीय मंत्री जी ने चोरी से डंडी मार दी।

कई सदस्य—

क्या मार दी ?

श्री मुकीमुर्रहमान—

डंडी मार दी। मान्यवर, बड़ी खूबी से डंडी मार दी। सारे मामले में यह जिक्र नहीं आया कि कहां-कहां बाढ़ आई है, डेढ़ महीने बाद फिर बाढ़ आ रही है, यह हमारी खासियत है कि बाढ़ आती रहती है, हम बैठे रहते हैं। हमारे प्रदेश का बहुत बड़ा आदमी होता है, गवर्नर होता है, पटवारी, हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। पतरौल का हम कुछ कर नहीं सकते। इन लोगों की ओर हम देखें कैसे कार्य करते हैं। किसान के यहां पहुंच

गये, भर लाये 25 किलो अनाज। कहते हैं यह कोई वसूली नहीं, मेरी फीस है।.... श्रीमन् सरकार ने बड़े आराम से एलान किया कि यह सरकार जो बनी है यह सरकार देहातों के अन्दर, किसानों के अन्दर; बेरोजगारी को मिटायेगी और किसानों और मजदूरों के लिये उपलब्धियां पैदा करेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि कब आप इस तरफ कदम बढ़ायेंगे। इस सरकार को दो साल हो गए हैं, आपके अधिकारी तस्वीर बेनकाब नजर आ रहे हैं। मजदूरों को, कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। जैसे मुगलिया सल्तनत के जमाने में जिन्होंने तामीरात किए थे उनके हाथ कलम करा लिए गये थे उसी तरह से आज मजदूरों की हालत है। अधिकारी लेबर को हटाकर चाहते हैं कि ठेकेदार से काम कराया जाय ताकि 5 परसेन्ट से 15 परसेन्ट कमीशन मिले और शादियों में दो-दो, चार-चार लाख रु0 खर्च हो। तो मजदूरों के खून चूसने की परम्परा अगर जारी रहेगी तो लेबर उसको किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त कीजिये।

श्री मुकीमुर्रहमान—

मैं बहुत जल्दी समाप्त कर रहा हूं। श्रीमन्, मजदूरों के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि राम गंगा परियोजना में 12342, जमरानी में 244, टिहरी के अन्दर 162 मजदूरों की सेवायें समाप्त की गयी हैं। यह मैं तुरन्त के आंकड़े बता रहा हूं। श्रीमन्, मजदूरों की हालत की तरफ मंत्री जी ध्यान दें। इसी तरह से सन 77 में झांसी के अन्दर 1 लाख 60 हजार रुपये का अनुदान दिया गया था। उसमें से केवल 30 हजार का सामान खरीदा गया था लेकिन जब यह समझा गया कि वह पैसा जमा करना पड़ेगा तो बाकी 1 लाख 30 हजार का सामान जल्दी-जल्दी खरीद लिया गया जिसमें 30 हजार का कमीशन लिया गया है। तमाम सामान बहुत सी जगहों पर पड़ा और उसमें जंग लग रहा है। उस सामान की जरूरत नहीं थी लेकिन खरीद लिया गया। श्रीमन्, टेहरी में मशीनें खरीदी गयीं, ढाई करोड़ रूपये का जे0 पी0 कम्पनी को एडवांस पेमेन्ट किया गया, मशीनें खरीदने के लिये। जो मशीनें वहां खरीदी गयी हैं वह डिपार्टमेन्ट्स के पास पहले से हैं तो यह रुपया क्यों दिया गया। इसकी जांच की जाय। इसी तरह से जो प्रोजेक्ट हैं, तमाम प्रदेश के अन्दर 56 प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें करोड़ों रुपयों का मैटीरियल पड़ा-पड़ा जंग खा रहा है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री मुकीमुर्रहमान—

इसी तरह से चीला हरिद्वार में, मुख्य अभियन्ता चाहते हैं कि टेम्परेरी कर्मचारियों को हटाकर ठेके पर काम करवाया जाय जबकि यह परम्परा खत्म कर दी गयी है और कार्य प्रभारित कर्मचारियों से काम कराने का आदेश पारित हुआ था। इसके ऊपर मंत्री जी ध्यान दें और इसको दूर करने का प्रयास करेंगे? यह करप्शन कैसे रोका जाय। एक दुकान के अन्दर एक सांप घुस गया। सांप दुकान के अन्दर कुल्ला मार कर बैठ गया। वहां पर एक ठेकेदार खड़े थे तो उसने कहा कि मैं जाकर सांप को मार देता हूं। जब वह दूकान के अन्दर गया तो लाला ने कुण्डी मार ली। कहने लगा कि दोनों बराबर के दुश्मन हैं दोनों

[श्री मुकीमुर्रहमान]

में से एक तो मर ही जायगा। तो इसी तरह से यह आपको मार देंगे। क्या कारण है कि डिपार्टमेन्ट के अधिकारी डिपार्टमेन्टल वर्कर्स से काम नहीं कराते ?

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री मुकीमुर्रहमान—

मैं खत्म करता हूं। हमारे टिहरी के अन्दर जो यूनियन हैं उसके महामंत्री को कुछ अधिकारियों ने ठेकेदारों से गुन्डों से पिटवाकर निकलवा दिया जिसका आपको पता नहीं है। मेरे संगठन के एक महामंत्री को पिटवाकर गुजरात भिजवा दिया। मेरे दूसरे महामंत्री को जो पटना से आज आये हैं उन्होंने बताया कि उनको बुरी तरह से मारा गया। मेरा अनुरोध है कि यह सब बर्दास्त नहीं किया जायगा इसकी जांच करायें। मेरे संगठन के महामंत्री घायल है, जिसको बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में भेजा है।

मुख्य अभियन्ता मध्य गंगा व उनके लड़के ने नरौरा में कर्मचारियों को बन्दूक से धमकाया था, क्या माननीय सिचाई मंत्री जी जांच करायेंगे ? इसलिये मंत्री जी से खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि शासन का 'ए' क्लास का अधिकारी यदि इस प्रकार का व्यवहार करने पर उतर आये तो हम लोगों को कार्य करना कठिन हो जायेगा। इसलिये मैं सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि यह अधिकारी वर्ग आपके मंत्रिमंडल को डस लेगा। इसलिये इस तरफ ध्यान देना जरूरी है। इसके साथ ही मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री छोटे लाल (जिला फतेहपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं एक ऐसे अनुदान पर बोलना चाहता हूं जिसका 80 फीसदी संबंध प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण से और 20 फीसदी संबंध शहरी जनता से अप्रत्यक्ष रूप से है। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं, खुशी की बात है कि हमारे राजस्व मंत्री जी भी बैठे हैं, पता नहीं कि पहले किस तरीके से नहरों और सड़कों की योजनायें चलीं कि उसमें सभी विभाग अपनी अलग-अलग योजनायें दिया करते थे, तो मेरा कहना है कि नहर विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग और चकबन्दी विभाग, इन तीनों को एक साथ बैठकर सोचना चाहिये और योजना बनानी चाहिये। लेकिन पता नहीं कि यदि नई नहर खोदना होता है तो किसानों के पूरे चक से नहर जाती है, गाँव की सड़क को काट कर नहर जाती है। इसलिये जब नई नहर या सड़क बनाना हो तो इन तीनों विभागों को एक साथ बैठ कर यदि समन्वय करें तो जो किसानों को बेघरबार और बेरोजगार होना पड़ता है वह न हो। सरकार किसान के मुंह से रोटी छीन लेती है तो समन्वय होने से सरकार ऐसा काम नहीं करेगी।

मान्यवर, मंत्री जी ने एश्योर्ड इर्रीगेशन, यानि निश्चित सिचाई, होनी चाहिये यह कहा लेकिन मुझे अफसोस है कि उधर के लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया, आन्ध्र और केरल आदि तमाम प्रदेश हैं जहाँ जमीन से पानी निकालने के बारे में जमीन का अध्ययन किया कि पानी कितना है, कितने जमीन के नीचे है, पानी खारा है या मीठा है और ट्यूबवेल से यदि पानी लिया गया तो कितने समय में वह समाप्त हो जायेगा और फिर उसमें पानी प्रवेश करने का क्या होगा आदि चीजों का अध्ययन किया है। लेकिन यहाँ 32 साल हो गये है किन्तु इस तरह की यहाँ कोई रिसर्च इन्स्टीट्यूट नहीं बनी है। रुड़की में अब इस तरफ प्रयास किया जा रहा है। इसलिये शायद मंत्री जी नये साल में इस तरफ कुछ काम करें और उससे इस विभाग में परिवर्तन आये।

मान्यवर, 1978–79 में पहली बार उत्तर प्रदेश गल्ले के बारे में आत्म-निर्भर हुआ है। गाँव-गाँव में आदमी कहते हैं कि कम से कम अब हमको पूरा पानी मिल रहा है मैं समझता हूं कि पिछले शासन की अपेक्षा इस जनता शासन ने ख्याति प्राप्त किया है और उसमें सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं, सड़क विभाग के अभियन्ताओं ने अपने अथकनीय कामों द्वारा इस विभाग में जान डाली है। मान्यवर, पहले मैं प्रदेश के कई जिलों में जाता था तो देखा कि जमीन के अन्दर पानी है जिसके संबंध में डा0 राम मनोहर लोहिया की परिकल्पना थी। तो 4 लाख, 5 लाख की एक ट्यूबवेल की लागत लगती है, आगरा में इतना तो गहरा पानी बोरिंग करने पर मिलता है। वहाँ पर मैंने देखा है दो-दो ट्यूबवेल लगे है, मैंने पूछा कि दो कैसे लगे हैं तो बताया गया कि हनुमान जी का झंडा गाड़ कर बोरिंग की गई तो यहाँ खारा पानी मिला और थोड़ी दूर पर बोरिंग की गई तो मीठा पानी मिला मीठा पानी खेती के लिए अच्छा होता है। आज दुनिया के लोग चन्द्रमा और जाने कहाँ-कहाँ पहुंच गये हैं और हमारे यहाँ लोग इस तरह 4–5 लाख रुपये का नलकूप लगाने के बाद उसको समाप्त कर देते है यह ठीक नहीं है। इसलिये मेरा कहना है कि तीनों विभागों, लघु सिंचाई, निजी नलकूप, राजकीय नलकूप और जो जमीन के अन्दर पानी का सर्वे करने वाला विभाग है भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग, इन तीनों का समन्वय होना चाहिए ताकि जो पैसा राजकीय नलकूपों द्वारा लगाया जाए, उसका वास्तव में किसान को लाभ मिल सके। नहर, राजकीय नलकूप और निजी नलकूप, इन तीनों से अगर हम सिंचाई करें तो मेरा ख्याल है कि हर एक जिले और गाँव में पूरी सिंचाई हो सकती है। मैं समझता हूं कि करीब तीन हिस्सों में प्रदेश को रख कर माननीय मंत्री जी को विचार करना चाहिए। जो हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं 8 पर्वतीय जिलों में, उसके अलावा बुन्देलखंड और मैदानी। पर्वतीय इलाकों में प्राकृतिक स्रोत इतने हैं कि जितना लाभ हम लोगों को और हमारे बड़े-बड़े इंजीनियर्स को उठाना चाहिए, उठा सकते हैं।

सिंचाई विभाग के लोग पता नहीं क्यों हाईड्रम्स की योजना को अच्छी तरह से लागू नहीं कर पा रहे है ? कोई कहता है लघु सिंचाई का काम है, कोई कहता है सिंचाई विभाग का काम है। इस तरह प्राकृतिक पानी बेकार चला जाता है। इसमें न विद्युत् का खर्चा है और न डीजल का। सिर्फ एक रबड़ की मशीन होती है जिसको हम वाशर कह सकते हैं, उसके द्वारा ही सिंचाई हो सकती है जिससे पानी को 250–300 फुट ऊंचा पहुंचाया जा सकता है। नेपाल में आप जाकर देखें। आज नेपाल में ऊंची नीची जमीन को हाईड्रम्स का सघन प्रोग्राम बनाकर कितना सुधार किया गया है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य शीघ्र समाप्त करें। दो मिनट और शेष हैं।

श्री छोटे लाल—

यह बात सही है कि हमारी योजनायें समयबद्ध नहीं हो पा रही हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पिछले समय में जो हिस्सामार और झपट्टामार योजनायें चली थीं, इससे मेरा तात्पर्य है कुछ मंत्रियों के, कुछ सचिवों के और कुछ अभियन्ताओं के हिस्से में चला गया और जो बचा वह योजनाओं में लगा और फिर कहा गया कि रुपया का अवमूल्यन हो गया, दाम बढ़ गये, इसलिये योजना में और खर्च लगेगा और इतनी धनराशि और चाहिए। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस हिस्सेमार योजना को बन्द करके जनोपयोगी योजनाओं को लागू करेंगे। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि 302 का कत्ल कर देने पर आजीवन कारावास होता और आदमी 10 साल में छूट जाता है लेकिन अभियन्ताओं के केस दस-दस साल पड़े

]श्री छोटे लाल]
रहते हैं और कुछ नहीं होता। इससे उनकी बौद्धिक क्षमता भी खत्म हो जाती है और दस-दस साल के बाद सरकार को मुकदमे का हरजाना और उसके वेतन आदि का पूरा पैसा भी देना पड़ता है। इसलिये अगर अभियन्ता के विरुद्ध जाँच हो रही है तो उनको सेवा का मौका देना चाहिए और ऐसे मामलों का तुरन्त निस्तारण होना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें। समय हो गया है।

*श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

माननीया, यह सिंचाई का विषय इतना व्यापक, इतना बड़ा है और स्वभावतः इसकी पुस्तिका भी सबसे बड़ी है। किसी भी विभाग ने 700 पन्ने की पुस्तिका नहीं दी है और इन्होंने दिया है। किसी विभाग का बजट इतना बड़ा नहीं है जितना इनका है। मैं समझता हूं कि इतने फीसदी प्रदेश के लोगों से संबंधित और कोई विभाग है भी नहीं। माननीय मंत्री जी ने स्वतः कहा कि 78–80 फीसदी लोग इससे प्रभावित होते हैं क्योंकि खेती करते हैं। सिंचाई तो सरकारी साधनों से केवल 35–38 फीसदी होती है लेकिन यह बिडम्बना है कि 78 फीसदी लोगों की आमदनी 54 फीसदी इस प्रदेश में है, यह माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा है। बावजूद प्रयासों के, पानी के और जो वायदे किये गये पिछले 30 वर्ष के कांग्रेस शासन में किए और अब जनता सरकार कर रही है, इसके बावजूद उसकी आमदनी अभी 54 फीसदी है। यह बहुत अच्छी बात नहीं है। आप देखिये कि क्यों ऐसा है। अभी मंत्री जी ने कहा कि हम एश्योर्ड इर्रीगेशन नहीं दे सकते। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब आप एश्योर्ड इर्रीगेशन नहीं दे सकते, पाँच पानी आप नहीं दे सकते तो शिड्यूल्ड वन के रेट आप किसानों पर क्यों लगाते हैं? रेट तो आप भरपूर लेते हैं लेकिन पानी भरपूर नहीं देते। यही तो शिकायत है और आज से नहीं, पहले से शिकायत है। न पहले ठीक किया और न अब ठीक कर रहे हैं फिर भी आप भरपूर घाटा देते हैं। आपकी इस मोटी वाली पुस्तिका में मैंने पढ़ा है, जरा पन्ना 3 देखा जाए, इन दो वर्षों में जब से जनता पार्टी की सरकार आई है तब से घाटा जो पहले 52 करोड़ का था, पारसाल 62 करोड़ का हो गया था और इस साल 72 करोड़ का घाटा हो गया। इसके माने भरपूर पानी नहीं देंगे, भरपूर लगान लेंगे और भरपूर घाटा लगायेंगे सरकार को, यानि भरपूर टैक्स लेंगे। यह बिडम्बना कौन तय करेगा। आपको अगर पांच पानी नहीं देना है तो शिड्यूल वन का पैसा क्यों लेते हैं? शिड्यूल ख, ग, घ का पैसा क्यों नहीं लेते। एश्योर्ड इर्रीगेशन, माननीया नहीं है। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। माननीय मंत्री जी की बात दोहरा रहा हूं। उसमें से बातें निकाल रहा हूं। इसको उन्हें देखना चाहिए।

आज हमारे प्रदेश में कहते हैं कि 38 फीसदी, 35 फीसदी हम सिंचाई सरकारी साधनों से दे देते हैं तो क्या उनका यह कहना है कि यह सिंचाई प्रोटेक्टिव इर्रीगेशन है या प्रोडेक्टिव इर्रीगेशन है, एश्योर्ड इर्रीगेशन है। मैं तो कहता हूं कि जो अंग्रेजी राज्य में प्रोटेक्टिव इर्रीगेशन था अभी तक आप की सिंचाई प्रोटेक्टिव इर्रिगेशन के आधार पर है। वह कैसी है? आप की नहरें बनी हैं, आप की पम्प योजनायें बनी हैं, ट्यूवैल हैं, कमान्ड आप बनाते हैं, आपने बनायी है बड़ी कृपा करके, बड़ी कृपा करके आप ने आँकड़े दिये हैं, आप बना रहे हैं, बनाते चले जा रहे हैं, समय नहीं है उस पर मैं आपको बताता। सीमा के अन्दर मुझे बोलना है वरना आपको एक-एक आँकड़ा बताता। थोड़ी सी बात आप को बताना चाहता हूं। आप जितनी बात चारजेज की कर रहे हैं वह बिलकुल किसानों पर एक बोझा हो रहा है।

कमान्ड एरिया आप बना देते हैं और उसके अन्दर आप कहते हैं कि अब ट्यूबवेल बनाने के लिए स्वीकृति लेनी पड़ेगी, नहर में एश्योर्ड पानी नहीं है ट्यूबवेल बनाने के लिए

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्वीकृति। जगह जगह पर मुझे मालूम है इन स्वीकृतियों के पीछे किसानों को परेशानी है। मिलजुल कर के आप का आदेश होना चाहिए। मुझे मालूम है कि जगह-जगह यह अधिकारियों का अधिकार है वे रोक देते हैं। मैं माननीय मंत्री जी को दस मिसालें दे सकता हूं कि उन्होंने रोक दिये है। ट्यूबवेल गड़ रहा था कि बंद कर दिया। इस कमान्ड में तो इसके पास से नहर जा रही है। मैं बताऊंगा। मेरे पास समय नहीं है। (व्यवधान) आप को बधाई देता हूं। यह बिलकुल सही है।

माननीया 1954 में 400 एकड़ का कमान्ड था। बहुत कहते-कहते 300 एकड़ पर उतर आये हैं। मेरी माँग यह है और वास्तविकता के आधार पर माँग है, भावनाओं के आधार पर नहीं, कि 200 एकड़ से ज्यादा कोई सरकारी ट्यूबवेल अच्छी तरह से सिंचाई नहीं कर सकता है। (व्यवधान) ऐसा हो रहा है तो होना चाहिए। हमारी कान्सटीटुएन्सी में 250 एकड़ की एक जगह है। आपके इंजीनियरों से छः महीनों से कह रहा हूं कम से कम कृपा कर उसकी आज्ञा दे दीजिये 250 एकड़ की। नहीं दे रहे है, इसलिए कि आज्ञा 300 की है.....

श्री राजेन्द्र सिंह––

आज के बाद हो जायेगी।

श्री श्यामधर मिश्र––

बड़ी खुशी की बात है। 300 एकड़ नहीं बल्कि 200 होनी चाहिए, 225 भी नहीं, 200, मैं मंत्री जी को बधाई दूंगा क्योंकि व्यावहारिक चीज है।

माननीया मैं लिफ्ट योजनाओं के बारे में कहना चाहता हूं। सौभाग्य से हमारे प्रदेश के ऊपर भी पानी है, नदियों में पानी है, नीचे भी पानी है। दुर्भाग्य की बात है कि प्रदेश और देश में केवल 2–3 माह वर्षा होती है, वह बहुत अच्छी चीज नहीं है, खास तौर से वह पानी बह जाता है। उसके लिए बाँध चाहिए, पैसा चाहिए, इस तरफ मुझे कहने में समय लगेगा। लेकिन इस पानी को बाँधने के लिए, रोकने के लिए, ट्यूबवेल बनाने के लिए आपको अधिक से अधिक पैसा खर्च करना होगा। मैं खुशी से यह कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने गत कई वर्षों से खास तौर से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में, पंचम पंच-वर्षीय योजना में और गत दो वर्षों से ट्यूबवेल्स पर काफी जोर दिया है मुझे इस बात की निराशा है कि ट्यूबवेल पर आप उतना ही चल रहे हैं जितना पार साल थे। हर चीज में 20, 25 फीसदी बढ़ रहे है तो छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक मुझे आशा थी कि 25 हजार ट्यूबवेल तो होंगे ही और अगर ऐसा नहीं होगा तो आपकी नहरें भी बिलकुल बेकार हो जायेगी। आज आप तीनों मायनर, मीडियम तथा मेजर सिंचाई के समन्वय से और फ्लड कंट्रोल से प्रगति कर सकते हैं। इसके अलावा ड्रायट प्रोन प्रोग्राम भी है। मेरे क्षेत्र में भी वह है। लेकिन सहीं में वह एक हाथ से पैसा देने का बहाना है। मैं कार्यक्रम का विरोधी नहीं हूं। लेकिन यह ड्राउट प्रोन कार्यक्रम को एडीशनल कार्यक्रम न माना जाय। उसे सीधे अपने कार्यक्रम के अनुसार करिये और अगर ड्राउट प्रोन प्रोग्राम की स्वीकृति एक एडीशनल प्रोग्राम के रूप में होती है और ट्यूबवेल्स की अतिरिक्त गूलों को कुछ कम करके किया जाता है तो यह उचित नहीं है। मुकीम साहब तथा अन्य सदस्यों ने कहा कि एक आदेश पारित हुआ है और उस पर आप चल रहे हैं कि नहरों पर जो पटरियाँ है उनको यथा समय पक्का किया जायगा। मेरी माँग यह है कि ट्यूबवेल्स के लिये एप्रोच रोड्स को भी पक्का करिये। आपका कितना रुपया इस पर अपव्यय हो रहा है, इंजीनियर आपके कितने दौड़ रहे हैं इसे आप देखें।

]श्री श्यामधर मिश्र]

एक बात कहूंगा कि प्रतिस्पर्द्धा वाली बात बहुत खराब है। एक योजना थी कांग्रेस के जमाने में जिसे कांग्रेस ने ही मार डाला। ट्यूबवेल जहाँ बनें, वहाँ अलग से टंकी बना कर पीने का पानी दिया जाय। आपरेटर उसकी मेनटिनेन्स करे। इसके लिये गाँव सभा जिम्मेदार ठहराई गयी थी लेकिन होता यह कि आप का आपरेटर उसके लिये जिम्मेदार हो। वही उसकी वसूली करे और चाहे आप उसके लिये उसे स्पेशल एलाउंस दे दें। 15 हजार ट्यूबवेल्स में 10 हजार ट्यूबवेल्स गाँव के नजदीक होंगे। 20, 25 हजार गाँवों में 30, 40 करोड़ रुपया लगाने से तीन चार वर्ष में नीचे का शुद्ध पानी निकलने लगेगा। जल निगम मेरी तथा आपकी जिन्दागी में पूरे प्रदेश को पानी देने वाला नहीं है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहती है कि वह इसका मेनटिनेन्स नहीं करेगी। मैं कहता हूं कि इसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को नहीं, आपको करना चाहिये। आपरेटर पानी दे और वही मेनटेन करे, उसे एलाउन्स दिया जाय। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से पैसा लीजिये और चाहे जितना पैसा इसमें लगे इसको पूरा कीजिये। माननीया, मैं कह रहा था कि इतने बड़े काम इस विभाग के अन्तर्गत हो रहे हैं और उसमें बहुत धन का दुरुपयोग हो रहा है। इस ओर अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा है कि दुरुपयोग बहुत है। मेरी शिकायत है कि जो जिम्मेदारी इस सम्बन्ध में आपके विभाग को लेनी चाहिए, वह नहीं ले रहा है। यदि आपके विभाग के अधिकारियों का दोष इसमें आता है तो उस पर उन्हें जाँच न करनी पड़ी, सतर्कता विभाग को जाँच सौंप दी जाती है, लेकिन आपका विभाग नहीं देखना चाहता। सतर्कता विभाग में इसलिये जाँच दी जाती है ताकि उसमें 5–7 वर्ष लग जायं जो कि अमूमन लग जाते हैं। माननीया, इस दुरुपयोग के सम्बध में एक बात और कहना चाहूंगा और फिर बैठ जाऊंगा। जैसा नेगी जी ने कहा, मेरे पास समय नहीं है मैंने उस सम्बन्ध में आँकड़े तैयार किये है, उन्होंने दूसरे ढंग से रखे, मैं दूसरे ढंग से रखता। माननीय मंत्री जी देखें कि उनके विभाग की योजनायें 10–10 और 15–15 वर्ष से चल रही हैं जो कि चार-चार और पाँच-पाँच वर्ष में पूरी हो जानी चाहिये थी। 5 करोड़ की योजना 15 करोड़, 15 करोड़ की योजना 45 करोड़ और 68 करोड़ की योजना 172 करोड़ की हो गयी है। इस दुरुपयोग को आप बन्द करें और आगे के लिये भी एक निश्चित कदम उठायें। तब तो आप एक प्रगतिशील समाज जिसकी नींव आप मजबूत करना चाहते हैं, उसके लिये मैं समझता हूं कि आप इस पर जरूर अमल करने की चेष्टा करेंगे।

*श्री भाभी (जिला आजमगढ़)---

माननीया अधिष्ठात्री महोदया, सिंचाई मंत्री द्वारा जो सिंचाई विभाग का बजट प्रस्तुत किया गया है उसके समर्थन में मुझे निवेदन करना है। इंसान की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया हमारे प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे देश में खेत ही है जिसका सम्बन्ध सिंचाई से है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि सिंचाई का बजट जो प्रस्तुत किया गया है वह इतना बड़ा है, चाहे कोई निर्माण कार्य हो, क्या यह बात सही नहीं है कितना बजट का रुपया है उसमें से केवल 40 फीसदी रुपया ही इन कार्यों में खर्च होता है और 60 फीसदी पैसा गलत ढंग से काम करने वालों की जेब में चला जाता है। क्या इसका कोई उपाय है? यह सही है कि मंत्री जी ईमानदार हैं वे ध्यान दें लेकिन इस हाउस में बैठे हुये जो और लोग हैं, अफसरान हैं क्या वे इस बात के लिये तैयार हैं कि जो बजट आज हम पास करने जा रहे हैं उसके 100 फीसदी रुपये में से केवल 40 फीसदी ही खर्च होगा और बाकी कांग्रेसी राज की तरह खर्च होगा? उससे हमको सबक लेना होगा। हमारे सामने सब बातें स्पष्ट होनी चाहिए कि प्रदेश में क्या होने वाला है, भ्रष्टाचार का क्या होने वाला है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, यही नहीं, मेरे जिले आजमगढ़ के मुबारकपुर क्षेत्र में जहाँ से मैं चुनकर आता हूं वहाँ जब से आजादी हुई है तब से आज तक एक बिस्वा क्षेत्र में भी सिंचाई नहीं हुई है। क्या कारण है, किन नहरों का वर्णन करूं, किस सिंचाई विभाग का वर्णन करूं। मेरे पूरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी इंच भूमि की सिंचाई नहरों से नहीं होती है। वहाँ नहरें क्यों नहीं बन रही हैं उसका कारण है। नहरों के नक्शे बन गये, छोटे छोटे किसानों की जमीनों से जो नहरें जाती हैं उनके नक्शे बन गये लेकिन बड़े किसान जो हैं वह अपने खेतों से नहरें जाने नहीं देते है। मैं बार-बार चिल्लाता रहा चाहे सिंचाई विभाग के मंत्री हों या राजस्व विभाग के मंत्री हों उन दोनों को एकता करनी होगी कि जहां पर से नहरें जाने वाली हैं वहाँ अगर चकबन्दी हो गई है तो फिर से चकबन्दी की जाय। राजस्व मंत्री जी ने जो उस दिन उल्लेख किया उससे मैंसाफ बता देना चाहता हूं कि नहरें बनने वाली नहीं हैं। वह कहते हैं कि जहाँ पुराने समय की चकबंदी हैं वहीं पर चकबन्दी करायेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि सिंचाई मंत्री जी नक्शा बना कर दें राजस्व मंत्री जी को कि हमारी यहाँ-यहाँ पूरे प्रदेश में नहरें बनने वाली है इसलिये वहाँ पर सबसे पहले चकबन्दी होनी चाहिये। तब जाकर ठीक व्यवस्था होगी। इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है।

यही नहीं जितने पुरानी सरकार के समय के ट्यूबवेल लगे हुए हैं वह आधे फेल हो गये हैं, उसमें झूठ-मूठ का घाटा हो रहा है। हमारी जनता पार्टी की सरकार ने कमाँड एरिया को समाप्त कर दिया। काँग्रेसी सरकार ने तो निजी ट्यूबवैल पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। फिर भी मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो ट्यूबवैल लगे हुए हैं उनमें आपरेटर नहीं है। हमारे यहाँ आजमगढ़ जिले में ट्यूबवेल खाली पड़े हुए हैं। चुनाव कब होगा और कब सौदा पटने वाला है और कब वह आपरेटर हर जगह ट्यूबवेल में जायेंगे।

श्रीमन्, एक बात और बताना चाहता हूं जो पतरौल होते हैं उनको ईमानदारी से कसना पड़ेगा। बड़े काश्तकार अपने खेतों में पैसा देकर काम करा लेते हैं लेकिन जो छोटा काश्तकार है जिसकी कम जमीन है वह हर तरह से मारा जाता है। इसलिए मेरा कहना है कि ईमानदारी आनी चाहिये।

यही नहीं नहरें पूरी हुई नहीं है लेकिन उनमें पानी छोड़ दिया जाता है। आज जो नहरें बनी नहीं हैं और थोड़ी खुदी हैं उनमें भी पानी छोड़ दिया गया है तमाम गाँव में इससे फसल डूब जाती है। मैं अपने जिले की बात बताता हूं वहाँ यही हुआ है। इसलिये अधिकारियों को उसकी जानकारी होनी चाहिये कि पानी गलत ढंग से न छोड़ा जाय।

सभी विभागों में ज्येष्ठता के आधार पर सचिव बनते हैं लेकिन हाय रे उत्तर प्रदेश का सिंचाई विभाग यहाँ ऐसे सचिव हैं जिनको पढ़ाई का अनुभव नहीं, काम करने का अनुभव नहीं उनको बना दिया। मुझे यह भी जानकारी कराई गई कि जब ज्येष्ठता के आधार पर सूची बनती है तो वह बाद में जातपाँत के आधार पर बन जाती है जिनको पहले बनना चाहिये उनका नम्बर पीछे है। उत्तर प्रदेश की विधान सभा में जब मैं विरोधी दल में बैठता था तो लालावाद, बामन वाद और बनियावाद चलता था। तो इससे सुधार होने वाला नहीं है। ऊंची कुर्सियों में ईमानदारी होनी चाहिये। मंत्रियों को ईमानदारी से काम लेना चाहिये, सचिवों को ईमानदारी से काम लेना चाहिये तब जाकर भ्रष्टाचार कम होगा। पहले हम जानते थे कि भ्रष्टाचार नीचे से चलता है लेकिन अब मालूम हो रहा है कि भ्रष्टाचार सीधे-सीधे ऊपर से चल रहा है। करोड़ों रुपये लूटे जा रहे हैं। अब तक तो पेशकार जो होता था एक रुपया या दो रुपया रिपोर्ट दर्ज करने के लेता था लेकिन

[श्री माभी]
अब जानकारी हो रही है कि करोड़ों रुपया जितना हम बजट पास करते हैं उसका 60 फीसदी रुपया जो है लूटा जा रहा है ।

आखिर में एक बात कह कर निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि मैं आपके आदेशों का उल्लंघन नहीं करता । सिर्फ दो मिनट में समाप्त करता हूं । हमारे सिंचाई विभाग के मंत्री जी ईमानदार हैं । उनके पूरे भाषण को मैंने सुना लेकिन यह बता देना चाहता हूं कि आपके विभाग में जो पुराने भ्रष्टाचारी लोग है जिनको आदत पड़ गई है उनसे लड़ाई लड़नी पड़ेगी नहीं तो आप भी इनसे वंचित नहीं रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)--

माननीय अधिष्ठाता जी, सिंचाई मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है--बहुत बड़ी उपलब्धियों की इसमें व्यवस्था है, यह सन्तोष की बात है । मैं सदन को स्मरण दिलाऊंगा । कि जनता पार्टी के प्रथम वर्ष में किसानों ने सगर्व कहा था हमें इतना पानी कभी नहीं मिला, जितना पहली बार इस वर्ष मिला है । मैं मंत्री जी से यह भी निवेदन करूंगा कि भारत सरकार का जो सद्भावना शिष्टमंडल विदेशों में गया था, उसने वहाँ पर सिंचाई पानी और जलस्रोतों का अध्ययन करके बताया है कि सेवान, जापान और इजराइल ने अपने देश की ऊसर, बंजर और सूखी धरती के लिए इस प्रकार से जलस्रोतों की व्यवस्था की है कि वहाँ पर एक-एक बूंद के सद्पयोग की व्यवस्था है । भारत में, दुनिया में ऐसा जल है, जो कृषि योग्य है, पीने योग्य है और नदियाँ सर्वाधिक समय में खुली रहती हैं और उत्तर प्रदेश में माना हुआ दुआबा का स्थल है । लेकिन खेद है कि जो पंचवर्षीय योजनाएं काँग्रेस के जमाने में रही, वे सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था आज तक नहीं कर सकी हैं । आज भी 34 प्रतिशत से अधिक सिंचाई अपने साधनों से उपलब्ध नहीं करा पाए । मैं समझता हूं, कि आपके सामने लिमिटेशन है ।

आपने एश्योर्ड इर्रीगेशन तो नहीं दी, लेकिन अपका 1/3 हिस्सा जो रेवेन्यू की ओर व्यय हो रहा है, उसमें ऐसी योजनाएं बनाएंगे, जिससे किसानों के हित में उसका अधिक से अधिक लाभ उसे मिले । मेरी अलीगढ़ में इंजीनियर्स से बात हुई । जो पानी आप देते हैं, उसमें कुछ हफ्ते नहर ज्यादा चलेगी और कुछ हफ्ते कम चलेगी । मुख्यालय पर भी अभियन्ताओं से मेरी बात हुई वह कुछ योजनाएं देना चाहते हैं । कोई तीन पानी लेता है और कोई किसान 5 पानी लेता और कोई-कोई किसान तो एक ही पानी लेता है, किन्तु आप उन सबसे मूल्य एक लेते हैं । यह उचित नहीं है, आपको इस नीति में परिवर्तन पर विचार करना चाहिए और परिवर्तन करना होगा । ट्यूबवेलों से हमारे यहाँ सिंचाई का बहुत ज्यादा काम हो सकता है, लेकिन आज 15 हजार ट्यूबवेल बेकार पड़े हुए हैं। नीचे जल कैसा है, यह आप अध्ययन नहीं करते हैं, जिसके कारण यह दशा पैदा होती है । हमारे क्षेत्र में भी बहुत से बेकार पड़े रहे, बहुत से खारी पानी देते रहे । उन्होंने हमें बताया कि विभाग का एक-एक आपरेटर 3-3 बार उनसे पैसा ले गया, लेकिन वह ठीक नहीं हुए । इसमें बड़ा भारी भ्रष्टाचार है । वहाँ के अभियन्ता ने यह कहा कि मैंने आपके कहने से 3-4 लोगों को सस्पेण्ड किया, अब और कितनों को सस्पेण्ड किया जाय । आज उनकी भराई की जो किताब जारी की गयी है, उसमें ज्यादा प्रभावशाली लोग अपने में ज्यादा भरवा लेते हैं, कुछ जबरदस्ती भरवाई होती है । यह तो आपका नियम है कि इतनी सिंचाई अवश्य हो जानी चाहिये, उसके कारण भी गलत भरा जाता है, जो नहीं होता है और किसानों को उसका पैसा देना पड़ता है । तो आप कोई ऐसी व्यवस्था करें कि यह काम न हो आप किसानों के हितचिन्तक हैं; आपने कहा कि उन्हें अपने साधनों पर निर्भर रहना पड़ेगा

---

*वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया ।

आप उनको जो ऋण दिलवाते है, उस पर विचार करें और इस पर भी विचार करें कि उनको जो सामान मिलता है वह किस किस्म का होता है, वह किस तरह का मिलता है। वह बहुत खराब मिलता है। आप उनको टेक्नीकल नालेज दिलवायें। इसी प्रकार से जो पतरौल और अमीन है और आपरेटर्स है, क्या वह समय से पहुंचते हैं, किसानों की सारी जाँच पड़ताल या भराई संबंधी काम कर पाते हैं, इसको भी आप ठीक से देखें।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में 56 जिले हैं जिसमें से 39 से अधिक में आपकी नहरों की पटरियाँ हजारों किलोमीटर हैं। अपने बजट भाषण में मंत्री जी ने बताया कि 50 किलोमीटर पक्की सड़क बनवायेंगे। मैं समझता हूं पी0 डब्लू0 डी0 से बनवायेंगे। आप का बहुत बड़ा बजट है। आपने 50 किलोमीटर सड़क पी0 डब्लू0 डी0 से बनवा दिया तो उससे काम चलने वाला नहीं है। माननीय चौधरी साहब कहते थे, जब हमारी सरकार आयेगी तो सबसे पहले नहरों और ट्यूबवेलों की पटरियाँ पक्की करवा दी जायेंगी। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि आप इसको प्राथमिकता दें जिससे किसान का हित होगा।

इसी तरह से अपने क्षेत्र की बात कहता हूं। आपने ट्यूबवेलों की व्यवस्था की है। लेकिन मेरे क्षेत्र में अब तक डीप बोरिंग की मशीनें नहीं पहुंच पा रही है और सिंचाई की सुविधा किसान प्राप्त नहीं कर पा रहा है। जितने ट्यूबवेल्स सैंक्शन कर दिये है वे वास्तव में बोर नहीं हो पाये हैं।

पानी टेलपर बेकार हो जाता है उसकी वह व्यवस्था करें। मेरे क्षेत्र में रजबहों के पानी से सैकड़ों एकड़ भूमि खराब होती चली जा रही है। माननीय मंत्री जी उसकी ओर ध्यान दें।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री नेम सिंह चौहान—

जो बाढ़ की समस्या है, आपने बहुत बड़ी धनराशि खर्च की और अलीगढ़ जनपद में वहाँ पर मुख्यालय बना रखा है। लेकिन अब तक उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं हो पायी है जितनी होनी चाहिए। आप आदेश करें। लेकिन आगे अब नहीं कह सकता। माननीय अधिष्ठाता जी कह रहे है कि बैठ जाऊं, तो मैं बैठ रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता—

हमारी मदद करें। सात-सात मिनट बोलें तो सभी को मौका मिल जायगा।

श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

मान्यवर, माननीय सिंचाई मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री जी ने इस बजट को जिस हिसाब से रखा है, उससे किसानों की सिंचाई क्षमता बढ़ेगी और सही मानी में प्रदेश के किसानों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और जब वह सिंचाई से ज्यादा उत्पादन करेंगे।

अभी 38.4 परसेंट प्रदेश में सिंचाई क्षमता हो पायी है। इससे सारी खेती की सिंचाई नहीं हो सकती। 229 लाख हैक्टर जमीन ऐसी है जिस पर दो बार खेती बोई जाती है। उसमें 38 परसेंट आप सिंचाई कर पाये हैं। यह अपर्याप्त है। इससे पूरी खेती नहीं हो सकती। मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूं। किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या है जिन दिनों में नहर और नलकूप से पानी नहीं आता है, तो उन दिनों में अपने निजी सिंचाई साधनों से या दूसरे निजी साधनों से पानी ले जाने की। तो किसानों को गूल के प्रयोग की छूट होनी चाहिए, ताकि वह अपनी सिंचाई कर सके। होता यह है कि

[श्री रघुवर दयाल वर्मा]

गूल पर छूट नहीं होती है तो निश्चित रूप से आबपाशी लगा देते हैं। अगर किसान अपने कुएं से या दूसरे किसान से पानी लाता है तो भी आबपाशी लगा दी जाती है जब कि आपसे पानी नहीं लेता है। जब नहर नहीं आती है तो उनके पास वायरलेस जाता है कि नहर का पानी नहीं आ रहा है उन वायरलेसों के बावजूद भी बिना नहरों के आये काश्तकारों पर आबपाशी लगा दी जाती है। इस तरह का प्रतिशत जो है काफी ऐसा है जिसमें बिना पानी दिये हुए आबपाशी दर्ज होती रहती है। इस ओर आपका विशेष ध्यान जाना चाहिये जब नहर में इस प्रकार का वायरलेस मौजूदा है ऐसे जिलेदार या पतरौल के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए कि उन्होंने झूठी आबपाशी कैसे दर्ज की।

मान्यवर, नलकूपों पर आपके कूपचालक नहीं जाते है और जिसके कारण किसान खूंटा ठोक देता है और मशीन चलती रहती है जिसके कारण लो वोल्टेज होने पर भी मशीन चलती रहती है और जल्दी ही खराब हो जाती है। जो आपके मशीनमैन है वह नलकूपों पर नहीं पहुंच पाते है। वह मशीन को हटा ले जाते हैं और जब किसान से रुपया पा जाते हैं तो मशीन ठीक हो जाती है। जब तक आपके नलकूप चालक नलकूपों पर ही नहीं रहेंगे तब तक सिंचाई ठीक से नहीं हो सकेगी। इस तरह का प्राविधान सेवा पंजिका में बना दिया जाना चाहिए।

मान्यवर, अब मैं झूठी आबपाशी के बारे में कहना चाहता हूं। इसका मसला सारे प्रदेश में चल रहा है। आप इसको रोकिए, नहीं तो आप सिंचाई के मामले में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जब नहर अपने आप कट जाती है, नहर की हालत खराब हो जाती है और किसान के खेत के खेत बह जाते है परन्तु फिर भी उन पर तावान लगा दिया जाता है। मैं अपने क्षेत्र की बात बताना चाहता हूं कि वहाँ पर खेड़ा गनेशपुर के पास नहर टूट गयी अपने आप लेकिन वहाँ के किसानों से तावान वसूल किया गया। नहरों की पटरी खराब रहती है और वह टूट जाती है, तो ऐसी दशा में किसान पर तावान नहीं लगना चाहिए। मेरा निवेदन है कि सिंचाई के मामले में आप कोई ऐसा क्रान्तिकारी कदम उठायें जिससे सिंचाई की क्षमता बढ़े। नहरों का जो आखिरी हिस्सा है वहाँ पर पानी नहीं पहुंच पाता है, इस लिए वहाँ पर पानी की मात्रा बढ़नी चाहिए और जब तक पानी की तादाद नहीं बढ़ायेंगे वहाँ के किसानों को पानी नहीं मिल पायेगा। हमारे क्षेत्र में हाथरस माइनर का आखिरी हिस्सा फिरोजाबाद के पास है। वहाँ पर पानी नहीं पहुंच पाता है क्योंकि वहाँ पर आखिरी हिस्सा है नहर का। इसके साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आखिरी हिस्से को और बढ़ा दिया जाना चाहिए जिससे 10–15 गाँव जो हैं उनको सिंचाई की सुविधा मिल सके। वहाँ पर सिंचाई का कोई साधन नहीं है।

मान्यवर, नहर और नलकूप ऐसे संसाधन है जिनसे अच्छी तरह से खेती हो सकती है। पिछले साल जितने भी कुएं बने उनका विद्युतीकरण नहीं हो सका। इस बात को आप स्वीकार भी करते हैं। जब आप कुआँ बनवाना प्रारम्भ कर दें तभी से आप बिजली के कनेक्शन की भी कोशिश करना प्रारम्भ कर दें। इससे यह होगा कि जब तक कुआँ बनेगा तब तक बिजली कनेक्शन की सारी फारमैलिटीज भी पूरी हो जावेगी। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सिंचाई मंत्री, विद्युत मंत्री और कृषि मंत्री तीनों का जो लक्ष्य रखा जाता है इसमें समन्वय होना चाहिए। जितने कुएं बने उनको बिजली मिल जावे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कृषि मंत्री जी उत्पादन का भी लक्ष्य ठीक प्रकार से रख सकेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन तीनों विभागों की एक समन्वय समिति बना दी जानी चाहिए जो यह फैसला करे कि आगे आने वाले वर्षों में कितना आँकलन पूरा किया जा सकेगा

(श्री राधेश्याम शर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

आप पक्षपात करती हैं। अधिष्ठाता मंडल को ही समय दे रही है।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

मैं एक सदस्य के नाते तो बोल ही सकता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अब नीति और सिद्धान्त की बात तो ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि विधान सभा में बोलने का बहुत कम समय है। प्रदेश में 3 1/2 करोड़ एकड़ जमीन है जिसमें से 2 1/2 करोड़ एकड़ उपजाऊ है और एक करोड़ एकड़ परती है। इस एक करोड़ एकड़ में सिंचाई के कोई साधन नहीं है, वह प्रकृति की, आकाश की कृपा पर निर्भर है।

जहाँ तक नहरों का प्रश्न है गत 2 वर्षों में जितना पानी नहरों द्वारा दिया गया है वह पहले 30 वर्षों में कभी नहीं दिया गया। मैं पूर्वी जिलों की तो नहीं जानता, वहाँ के माननीय सदस्य बता सकते हैं लेकिन पश्चिमी जिलों में, हमारी माँट ब्रान्च में तो रिकार्डेड पानी दिया गया है जो शायद अंग्रेजी राज्य में भी कभी नहीं दिया गया था। उसी की वजह से आज खाद्यान्न में इतनी बढ़ोत्तरी हुई है। पार साल जो खाद्यान्न हुआ वह गत 30 वर्षों की तुलना में ड्योढ़ा और इस वर्ष 2 1/4 गुना पैदा हुआ है। यह सब नहरों और रजबहों में अधिक पानी आने के कारण ही हुआ है। सत्य को तो सत्य कहना पड़ेगा। इसके लिए कुतर्क की बात की जाय, तो बात ही दूसरी है।

अब मैं माननीय मंत्री जी से मथुरा जिले की बात बतलाना चाहता हूं। मथुरा जिले के लोग भी समझें कि मैंने सदन में मथुरा जिले के बारे में पूरी तरह से बात कही। मथुरा जिले में एक गोवर्धन ड्रेन है जिसमें राजस्थान और हरियाणा का पानी आता है। आपने उस पूरी ड्रेन को देखा है। उसके बनवाने में बहुत बड़ा घपला हुआ है। ज्यादा नहीं तो तो कम से कम एक तिहाई रकम खायी गयी है। आप इसकी जाँच करा लें कि किस प्रकार से यह बनायी गयी है। वह ड्रेन तो बन गयी है जिसका पानी मथुरा जिले को तबाह कर रहा है, लेकिन एक और ड्रेन हुलवाना बन रही है जिसमें 15 करोड़ की स्कीम है। अगर उसकी क्षमता कम कर दी गयी तो उस ड्रेन से पानी नहीं निकल पायेगा और फिर जो भी सरकार आयेगी, क्योंकि प्रजातंत्र में कोई सरकार अमर तो होती नहीं है, वह सरकार फिर हुलवाना ड्रेन की भी जाँच करायेगी। इसलिये मुझे निवेदन करना पड़ रहा है कि आप उसको ठीक से बनवायें। तथा इस ड्रेन के किसानों को तत्काल मुआबजा दिया जाय। मथुरा जिले में 5 तहसीलें हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र से आपका सरहद मिलता है। माँट और सादाबाद तहसीलों की समस्या बड़ी गंभीर है। कौलाहार गाँव पर अलीगढ़ जिले से 12 नाले आ कर पड़ते हैं जो माँठ तहसील और सादाबाद को गलाते हैं जो कि अलीगढ़ जिले में से आते हैं। यहाँ डूंडीसरा नाला ठीक नहीं हुआ है। तुलागढ़ी की समस्या है। इरोली जुन्नारदार में एक नाला पट गया है, उसको अभी तक खोदा नहीं गया है। इन सभी नालों से 50 गाँव जलमग्न हो जाते हैं। पानी की निकासी का अभी पूरा प्रबन्ध नहीं है। पतवाया नाला इतना भयंकर नाला है जिसकी सफाई कभी हुई नहीं, उसकी सफाई की बहुत जरूरत है। इस नाले पर हमारे माँट क्षत्र में तो पाँच पुल बने हैं, पर अलीगढ़ जिले में भी पतवाये नाले पर दो पुल बनना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ तो अब सिर्फ पारसौली नौसेशपुर व मुडौलियों पर पुल का बनना बहुत आवश्यक है। सिंचाई विभाग इन्हें अवश्य बनवा दे। वरना ये गाँव इस पतवाये नाले में डूबते ही रहेंगे।

इसके अलावा हमारे यहाँ मानजाठी मिठौली, सकतपुर, चौकड़ा, कौलाना आदि 60–70 गाँव खादर के ऐसे है जहाँ के लोगों ने कभी सिंचाई देखी ही नहीं। यदि भगवान की कृपा से पानी बरस गया तब तो उनको पानी मिल जाता है, वरना कभी पानी

[श्री राधेश्याम शर्मा]

के दर्शन नहीं होते। मेरा निवेदन है कि जहाँ सिंचाई की आज तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है वहाँ पर आप नलकूप लगवा दें। हमारे खादर क्षेत्र में नौह झील—बाज से नीचे तो ये, बहुत जरूरी है माँट तहसील में बेरा गाँव भी एक बहुत बड़ा गाँव है, वहाँ नलकूप का लगना बहुत आवश्यक है। जो अति शीघ्र लगना चाहिये।

इस विभाग द्वारा बहुत सी मान्यवर, ड्रेन्स खुद रही है। पूरे जिले में जहाँ जहाँ इनकी खुदाई का काम हो रहा है वहाँ बड़ी गड़बड़ी और भ्रष्टाचार है। जिस हिसाब से उनकी खुदायी होना चाहिए वह नहीं हो रही है। कहीं ज्यादा होना चाहिये तो कम है, कहीं बिलकुल नहीं है और कागज में चढ़ा है कि खुद गयी। मैंने दरबै कसेरा गाँव में खुद जाकर देखा है कि वहाँ ड्रेन खुदी ही नहीं, वास्तव में वहाँ कोई खुदाई का काम नहीं हुआ है। इन ड्रेनों की बरसात से पहले आप खुदायी करवा दें। हमारे यहाँ कई सकरे नाले है जो 30 साल से कोई देखने तक नहीं गया है।

साथ ही एक बात और कहना चाहूंगा। इस विभाग में जो पतरौल हैं या और छोटे कर्मचारी है उनकी समस्याओं की ओर भी आप ध्यान देने की कृपा करें। यह लोग नीचे की कड़ी है, अगर यही काम ठीक करेंगे तभी आपका काम ठीक होगा, वरना, आपका काम ठीक से नहीं चल पायेगा। आज एक पतरौल रहने वाला बुलन्दशहर का है उसको तैनात कहीं दूर पर कर दिया जाता है, किसान उसको ढूंढ़ता है वह उसे मिलता ही नहीं। अगर छोटे कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझा देंगे तो आपके विभाग में चार चाँद लग जायेंगे।

(इस समय 2 बजकर 28 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मान्यवर, अगर मैं मथुरा जिले की बात न कहता तो अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करता। इसलिय मैंने मथुरा जिले की बात को मंत्री जी के सामने रखा है। वैसे जितना बजट माननीय मंत्री जी ने रखा है अगर इससे भी ज्यादा रखा जाता तो वह यहाँ अवश्य पास हो जाता। जहाँ तक एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव आया है, मैं भी जब विरोध पक्ष म बैठता था तो रखता था, उसका कोई महत्व नहीं है। इस बजट का हम सभी समर्थन करेंगे और इसे पास करेंगे। निवेदन इतना ही है कि इन सब पैसे का उपयोग सही प्रकार से होना चाहिये। तभी अगली बार जब इस बजट पर मैं बोलूंगा तब विभाग की जितनी अच्छाइयाँ होंगी, जितने अच्छे काम होंगे, उनके ऊपर मैं बोलूंगा, इस विभाग के कार्य कलापों की मैं विस्तृत चर्चा करूंगा। मेरा विश्वास है यह बजट किसानों में खुशहाली लायेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदानों पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत करते हुए यह कहा कि इस शासन की यह मंशा है कि प्रदेश में जो 78 प्रतिशत किसान है, उनकी खेती को सघन बनाने के लिए सिंचाई के संबंध में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। मान्यवर, जहाँ तक कि मंत्री जी इस बात के लिए अपनी कमियों के बारे में भी जो यहाँ पर घोषणा की है, उससे साफ जाहिर है कि वास्तव में मंत्री जी इस सूबे के लिए कुछ करना चाहते है, क्योंकि यह तो सर्व विदित है कि माननीय मंत्री जी किसानों के हितैषी रहे हैं और किसानों के बीच में रहे हैं और किसानों को क्या दिक्कतें है, उससे आप सभी लोग परिचित है और सब लोग जानते है। माननीय मंत्री जी, मैं ही नहीं, उत्तर प्रदेश का किसान और उत्तर प्रदेश का बुद्धिजीवी और उत्तर प्रदेश का पढ़ा–लिखा इंजीनियर आपको बधाई देगा, जब आप अपने विभाग के बड़े-बड़े पदों में एक जातिवादी दल के उस गिरोह को समाप्त करके एक नई परम्परा कायम करने की घोषणा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करेंगे। आप जिस तरह से देखें, चाहे अभियन्ता, चाहे सहायक अभियन्ता की पदोन्नति का सवाल ले लीजिए।

लेकिन मान्यवर, मुझे विश्वास है, आप अन्य मंत्रियों की तरह से अपने विभाग के सचिव, संयुक्त सचिव तथा मुख्य अभियन्ता की फाइलों पर आँखें मूंद कर दस्तखत करने की गलती नहीं करेंगे। भूतपूर्व सिंचाई मंत्री श्री बलबीर सिंह की तमाम शिकायतें आपके मुख्य अभियन्ता हरी कृष्ण ने किया है। आज जो भ्रष्टाचार और अन्याय की कहानी हम लोगों को सुनाई जा रही है, उसकी सब जिम्मेदारी मुख्य अभियंता की है। बहुत से एस0 ई0 को जानता हूं योग्य भी है, लेकिन उनको नहीं नियुक्त किया। लेकिन इन्हीं के हाथों से, चाहे जितना भी बड़ा करप्ट, भ्रष्टाचारी व्यक्ति रहा हो, वह नियुक्त किया गया। श्रीमन्, जैसा हमारे मित्र नेगी जी ने विजीलेंस के आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप की बात कही, सबसे पहले आप मुख्य अभियन्ता की चरित्र पंजिका को मंगाइये, जब से इस विभाग में नौकरी किया है, ए0 ई0 से लेकर अधिशासी अभियंता तक इनके रिकार्ड देखिये कि इनके खिलाफ क्या भ्रष्टाचार के आरोप थे। मान्यवर, अगर आप चाहते है कि इस इंजीनियर की लखनऊ में रखना या विधायक के कहने से फलाँ की नियुक्ति करेंगे, लेकिन मान्यवर, बिना आपकी स्वीकृति लिये हुए अपने–अपने चाटुकार व्यक्ति की नियुक्ति किये हुए हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह सही है कि आपने इनके ऊपर अंकुश लगाने का काम किया है, क्योंकि खलबली मची हुई है। ये बहुत परेशान है। अभी तक ये बेलगाम थे, ये हिटलर से भी ज्यादा तानाशाह आपके मुख्य अभियंता महोदय है।

मान्यवर, आपने कुछ बातें कही है, इस सिचाई के संबंध में, आपके तावान के बारे में कही है कि नहरें एक तो आकस्मिक, अपने आप ही टूट जाती है, दूसरे कुछ व्यक्ति काट लेते हैं, जिसके खेत में नहर कट गयी हो, या किसी किसान के खेत में नहर टूट गयी, उसकी फसल भर गयी, उसको मुआवजा न देकर तावान बाँधा गया, यह उचित बात नहीं है। अगर आप की नहर अचानक टूट जाय, चाहे बाराबंकी का चाहे मेरठ का मामला हो, वहाँ किसानों को जो नुकसान होता है उसका मुआवजा देने की व्यवस्था होनी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि आपके बजट का मैं विरोधी नहीं हूं लेकिन पहली बार जो बजट आपने रखा था उसको विभाग के लोगों ने जहाँ तक मेरी जानकारी है 25–30 करोड़ रुपया सरेन्डर कर दिया, इन लोगों से जवाब तलब कीजिये। मान्यवर, बड़े भारी भारी पुलों, ड्रेनों के नक्शे ये लोग पेश करते हैं, सलाम करते हैं, इसमें भी चाल है। इनकी आप जाँच करायें। जो पुल, भवन आदि का निर्माण होता है उसमें सीमेन्ट कितनी लगी, ईटा फर्स्ट क्लास लगवाया गया, अगर इन सारी बातों की जाँच कर लें तो उत्तर प्रदेश का कोई इंजीनियर नहीं है जिसने इसमें भ्रष्टाचार न किया हो।

सिंचाई विभाग ने इसके पहले इंटरनेशनल डेवलपमेन्ट कमीशन के माध्यम से सहायक कृषि प्रसार निरीक्षण जिनका वेतनमान 230–385 था, आपातकाल में 175–275 कर दिया गया और उन्हें ट्यूबवेल चालक बना दिया। मै निवेदन करना चाहता हूं कि उनका पुराना वेतनमान रखा जाये और अगर उनकी विभाग में खपत न हो तो जहाँ से आये थे वहाँ वापस कर दिया जाय।

मान्यवर, मेरा निर्वाचन क्षेत्र बाराबंकी का हैदरगढ़ क्षेत्र है। जहाँ एस0 ई0 श्री आर0 डी0 गुप्ता है, जो मुख्य मन्त्री के रिस्तेदार हैं। मैंने बलबीर सिंह जी से भी निवेदन किया था। ये अपना काम तो स्वयं नहीं करते बल्कि अधिशासी अभियन्ता, खण्ड 28, हैदरगढ़

[श्री सुन्दर लाल दीक्षित]

और हमारे क्षेत्र में 40 पड़ता है, को बुला लेते हैं और वहीं रहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने अपने व्यक्तियों को ठेकेदार नियुक्त कर रखा है, सारी योजनायें चौपट कर रखी है, इन्हें हटा कर किसी अन्य व्यक्ति को पोस्ट करने की कृपा करें। अपने क्षेत्र के बारे में मैं दो शब्द और कहना चाहूंगा। एक हैदरगढ़ ड्रेन है जो रेलवे के नीचे से होकर जाती है। लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारियों से मिला तो उन्होंने कहा कि यह रेलवे से सम्बन्धित है। इसको बढ़ावें। चिलुलवा, पिचरुवा, सोनिकपुर ड्रेन पिछले साल लिख कर आ गया था जब बजट पेश हो रहा था कहा गया, यह पूरा हो जायगा। मैंने देखा कि कागज पर पेमेन्ट पहले हो गया।

श्री राजेन्द्र सिंह—
कौन-कौन से ?

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—
किवलौआ, सोनिकपुर, हैदरगढ़ आदि। पेमेन्ट हो गया। कार्य अभी सम्पन्न नहीं हुआ। एक बात यह निवेदन करना चाहूंगा कि इनका वास्ता गरीब किसानों से है। 31 साल हो गये, अभी तक राजकीय नलकूप नहीं लगा। मेरा निवेदन है कि कयला, खानपुर, भारूपुर, रौनी में सरकार ट्यूबवेल लगवाने का आदेश दे।

अभियन्ता कहीं जाते नहीं है, फर्जी दौड़ा बनाते है। अपने अधिकारियों से कहें कि सारे आँकड़े आपके पास आने चाहिये कि कहाँ-कहाँ दौड़े पर यह जाते है। आपके पास सूची आनी चाहिये कि कौन कौन अभियन्ता कहाँ कहाँ गया, कौन-कौन इंजीनियर कहाँ कहाँ गया दौरे पर। दौड़ा दिखा देते हैं और घूमते रहते हैं बाहर। मै इन शब्दों के साथ आपके इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—
माननीय उपाध्यक्ष जी, चूंकि सिंचाई मंत्री जी स्वयं किसान हैं, इसलिए सिंचाई की बहुत सी बातों की जानकारी उनको है। माननीय मंत्री जी ने नहरों की पटरी को पक्का कराने का इरादा किया और तावान द्वारा किसानों की परेशानी तथा नलकूप को समय के अन्दर ठीक कराने का जो स्वयं का सकल्प किया है, सिंचाई मंत्री जी इसके लिये बधाई के पात्र हैं। बधाई के पात्र इसलिये भी है कि किसान आज 30 सालों से इन समस्या के लिये अपने आँसू बहाता चला आ रहा है। माननीय मंत्री जी ने इस ओर स्वयम् का ध्यान देकर बहुत ही अच्छा काम किया है और किसानों के आँसुओं को धीरे धीरे पोछने का जो विचार किया है, संकल्प किया है, इसके लिये वह धन्यवाद और बधाई के पात्र है। मान्यवर, कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो केंन्द्रीय स्तर से ही ठीक हो सकती है, केन्द्रीय सरकार द्वारा ही ठीक हो सकती है। मान्यवर, म चाहता हूं कि मंत्री जी केन्द्रीय नेताओं से विचार विमर्श करें। मान्यवर, बहुत ही महान विचारक स्वर्गीय डाक्टर लोहिया कहा करते थे कि इस देश की नदियों की एक बार सफाई और गहराई कर दी जाय तो बहुत सी समस्याएं सिंचाई की अपने आप हल हो जायेगी, बाढ़ की समस्या हल हो जायगी। मान्यवर, जब से यह नदियाँ बह रही है आज तक दुर्भाग्य से इस ओर सरकार का ध्यान नहीं गया है, बह बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है, मान्यवर। मैं चाहूंगा कि हमारे सिंचाई मंत्रीजी केन्द्रीय नेताओं को परामर्श दें और उनको इस बात के लिये तैयार करें ताकि इस प्रदेश की बहुत सी समस्यायें हल हो सकें। देश में जो धन का अपव्यय हो रहा है, नहरों में, उसकी समस्या हल हो सके। मान्यवर, यह बड़े दुख की बात है कि नलकूप 4–4, 5–5 महीने बन्द पड़े रहते हैं। जब शिकायते होती है, जब बहुत दबाव होता है तब मुख्य अभियन्ता महोदय दौरा करते हैं दौरा करने में अपने ही अधिकारियों और कर्मचारियों से सलाह मशिवरा करके चले आते है और विधायकों को कोई सूचना नहीं मिलती कि नलकूप ठीक हुआ कि नहीं। कितने नलकूप

खराब थे, उनकी खराबी का क्या कारण है, नहीं पता चलता। मान्यवर, 30–32 सालों से यह सिलसिला चल रही है, अगर इस तरह से लापरवाही बनी रही तो यह सिलसिला जारी रहेगा। हम लोग सदन के अन्दर भाषण करेंगे, समस्याओं से अवगत करायेंगे, मंत्री जो सुन लेंगे, अधिकारी गण सुन लेंगे और जब सदन समाप्त हो जायगा तो वह समस्यायें भी समाप्त हो जाती है। यह सिलसिला 30 सालों से जारी है। म चाहूंगा कि जब भी मुख्य अभियन्ता दौरे पर जायं तो क्षेत्रीय प्रतिनिधि को, विधायक को वह साथ में लें। क्षेत्रीय विधायक को विश्वास में लें। मेरी निश्चित जानकारी है, जैसा सभी विधायक बता रहे हैं कि नलकूप महीनों बन्द पड़े रहते हैं, फसल चौपट हो जाती है, पानी नहीं मिलता है। मान्यवर, इसका मुख्य कारण यह है और मेरी निश्चित जानकारी है कि जो ट्यूबवेल में क्वायल लगता है उसमें तांबे के तार लगाये जाते है, ताँबे का तार जितनी आवश्यकता होती है क्वायल में, उतना नहीं लगाते हैं। और ताँबे का तार बाजार में बेच दिया जाता है और जो पैसा मिलता है उसका नीचे स्तर से उपर तक हिस्सा बाँट हो जाता है।

श्री सुरेन्द्र पाल (जिला बाँदा)—
मान्यवर, कोरम नहीं है।

श्री मोती लाल देहलवी—
मान्यवर, मैं चाहूंगा कि क्वायल की जिम्मेदारी किसी को देनी चाहिये कि अगर क्वायल में तार कम है तो उस तार की कमी की जिम्मेदारी किसकी है, यह जिम्मेदारी निश्चित करके जाँच करानी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—
आप जरा बैठ जायं।
(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट—
श्रीमन्, एक मंत्री 25 विधायकों के बराबर होता है। एक मंत्री जी आ गये है, कमी पूरी हो गयी है। यह विशेष ताकत वाले मंत्री हैं यह तो 51 के बराबर हैं।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री मोती लाल देहलवी—
तो मैं यह कह रहा था कि क्वायल के संबंध में जिम्मेदारी निश्चित करके जाँच करानी चाहिये। अगर कम पाया जाय तो अगर उस अधिकारी को दंडित नहीं किया जायगा तो तक यह भ्रष्टाचार के मामले जारी रहेंगे। श्रीमन्, मेरे क्षेत्र में आज भी आधे से अधिक नलकूप बन्द पड़े हैं। आज तक मुझे यह नहीं मालूम हो सका कि नलकूप बन्द होने की वजह क्या है। न तो मुख्य अभियन्ता यह बता सकें और न कोई क्षेत्रीय अधिकारी ही। तो इससे अब काम नहीं चलने वाला है। मान्यवर, हम लोग भाषण करें तो अधिकारी और मंत्री लोग सुनें और सदन समाप्त होने के बाद सारी चीजें समाप्त हो जायं। यह सिलसिला अब जनता पार्टी की सरकार में बन्द होना चाहिये। यदि यह हो जाय तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

मान्यवर, इसी तरह कुछ बम्बे खुदे पड़े हैं और 10 साल हो गये लेकिन पानी उनमें नहीं आया है। खुदाई में सरकार का पैसा खर्च हुआ है लेकिन पानी क्यों नहीं दिया गया है। तो समझ में नहीं आता कि सरकार का यह रुपया क्यों बरबाद किया जाता है। रुपया लैप्स हो जाता है लेकिन जनता की समस्यायें पड़ी रहती हैं।

[श्री मोती लाल देहलवी]

मान्यवर, इसी तरह फसल के पहले बम्बों और नहरों की सफाई होनी चाहिये लेकिन वह नहीं होती है। सफाई न होने से पानी की कमी रहती है और पानी आखिरी दम तक नहीं पहुंच पाता है जिससे बहुत से किसानों को पानी नहीं मिल पाता है। इसलिये फसल के पहले या समय पर नहरों और बम्बों की सफाई यदि हो जाय तो किसान पानी से वंचित नहीं रहेगा। इन सुझावों के साथ मैं सिंचाई मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय (जिला बस्ती)--

उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, सिंचाई विभाग ऐसा विभाग है जिसका असर सीधे गाँव के लोगों पर पड़ता है। जो साहित्य पढ़ने के लिये मिला है और इसमें जो योजनायें और आँकड़े दिये गये हैं उनको देखने के बाद यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह विभाग प्रगति की ओर है। पिछले साल मंत्री जी ने जो इस बजट पर भाषण दिया था उसमें अनेकों आश्वासन दिये गये थे लेकिन उनका किस हद तक पालन हुआ इसको हम सब जानते हैं। यदि ईमानदारी से कहा जाय तो अनुचित नहीं होगा कि काँग्रेस शासन की तरह जनता राज्य में भी योजनायें किताबों में बनी हैं, उनका पालन नहीं हो रहा है। मैं सिंचाई मंत्री जी द्वारा जो बजट रखा गया है उसका हृदय से स्वागत करते हुये उनसे माँग करता हूं कि जैसा उन्होंने भाषण में आवश्वासन दिया है कि मैं अपनी योजनाओं का पालन कराने में सफल हूंगा, मुझे विश्वास है कि हमारे मंत्री जी जो किसान है, युवक है, अनुभवी हैं, उनकी देख रेख में यह विभाग प्रगति करेगा।

मान्यवर, जमींदारी बंधों के सवाल सभी क्षेत्रों में है, खासकर पूर्वी जिलों में, मेरी समझ में नहीं आता कि जमींदारी बंधों को सौतेला समझकर उनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। इसलिये निवेदन है कि इन बंधों के बारे में मंत्री जी अपनी स्पष्ट नीति बनाएं कि इन बंधों से हमको कोई मलतब नहीं है। यदि ऐसा है तो गाँव सभायें उनका इंतजाम करें या जो कुछ होना हो वह हो। हमें दुख इस बात का है कि जब रुपया खर्च करना होता है तो सरकारी अधिकारी इन बंधों पर लाखों रुपये खर्च करते हैं। और जब बाँध बाढ़ में टूट जाता है तो कहते हैं कि बाँध मेरा नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। कितना मखौल है। 22 तारीख को बैठक हुई, माननीय मंत्री जी आपको स्मरण भी होगा, हमारे बाँसी तहसील में बाँध है पिछले चार पाँच वर्षों से इस बाँध पर एक लाख से अधिक रुपया खर्च हुआ है लेकिन आप के इंजीनियरों ने कहा कि इस पर विभाग ने रुपया खर्च नहीं किया है। मैं सदन के सामने आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और इस बात को चैलेन्ज के साथ कहना चाहता हूं उस बाँध में 4-5 वर्ष से रुपया विभाग ने खर्च नहीं किया है तो मैं इस सदन से त्याग पत्र दे दूंगा। माननीय मंत्री जी अपने भाषण में इसका आश्वासन देने का कष्ट करें। यदि मेरी बात सही होगी तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को जो झूठी सूचना माननीय मंत्री जी को देते हैं, बरखास्त करेंगे।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी अपने भाषण में पत्रों के उत्तर के सन्दर्भ में बड़े जोरदार शब्दों में आश्वासन दिया। मैं स्वयं इस का सबूत हूं। मेरे तार का जबाब रजिस्टर्ड पत्रों का जबाव नहीं आया। मैंने एक जाँच के बारे में लिखा था। माननीय मुख्य अभियन्ता उसकी जाँच करायें। मैंने तत्कालीन मंत्री जी से भी इस बारे में निवेदन किया। मंत्री जी ने कड़े ढंग से उसकी जाँच के आदेश दिये लेकिन कुछ नहीं हुआ। नौ महीने हो गये। मेरी समझ में नहीं आता कि मंत्री से बड़ा अधिकारी कौन होता है। मंत्री के आदेश के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी। उसमें सही क्या था, गलत क्या था, जाँच करने से ही इसका पता चलता लेकिन जाँच नहीं हुई क्योंकि उस मामले में लाखों का घोटला था। इस सम्बन्ध में मैंने 3 तारीख को माननीय मंत्री जी से कहा उन्होंने स्पष्टीकरण

माँगा लेकिन आज तक उसकी जाँच नहीं हो रही है। मान्यवर, पत्रों का उत्तर मिलना चाहिए। सरकार मेरे पत्रों के सम्बन्ध में क्या कर रही है इसकी जानकारी मुझे मिलनी चाहिए ताकि मैं जनता को बता सकूं।

मान्यवर, हमारे बस्ती जिले में बूढ़ी राप्ती और राप्ती नदियों के बीच 60 किलोमीटर का दोआबा है पूरब से पश्चिम तक। इस दो आबें में कोई ट्यूबवेल नहीं है, कोई नहर नहीं है। मैंने पिछले साल भी सुझाव दिया था। वहाँ पर बड़े-बड़े जलाशय हैं, चवर ताल, परासी ताल, लेवड़ ताल हैं। भूतपूर्व राजा, जमींदार उन तालों में बाँध बनवा कर उस इलाके में सिंचाई करते थे लेकिन दुख है कि काँग्रेस सरकार ने और हमारी जनप्रिय जनता सरकार ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहाँ पर जो ताल हैं इनका सर्वेक्षण करायें और एक योजना बनायें जो सिंचाई के लिए उपयुक्त हों।

अन्त में केवल एक बात और कहना चाहता हूं.....

श्री उपाध्यक्ष—

श्री हुक्म सिंह परिहार.....

श्री विश्वनाथ पाण्डेय—

वह यह है कि बाढ़ आने वाली है एक महीने के बाद निश्चित रूप से पानी बरसेगा यदि नहीं भी पानी बरसेगा तो भी दुर्भाग्य से हमारे जिले में बाढ़ आ जायगी नेपाल की कृपा से। पिछली बाढ़ से टूटे हुये बाँध थे मैंने मंत्री जी से 22 तारीख की भी बैठक में निवेदन किया आज भी कहता हूं कि एक महीने के अन्दर उन टूटे हुये बाँधों की मरम्मत नहीं की गयी तो हमें दुर्दशा के दिन देखने पड़ेंगे। मान्यवर, एक मोटी किताब हम लोगों को मिली है। मैं दावा करता हूं कि इस किताब के आँकड़े सरासर गलत हैं। पेज 452 पर हमारे बस्ती.....

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय—

जिले के कौवा ताल के बारे में लिखा है और प्रगति जीरो दिखाई है अन्त में लिखा है कि बरसात के कारण काम बन्द है। अभी दो महीने से वहाँ काम बन्द है। काम हो रहा है फिर भी प्रगति जीरो लिखी हुई है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती। मेरा निवेदन है कि केवल सरकारी अधिकारियों पर ही विश्वास न किया जाय विधायकों के भी सूचना पर विश्वास करके जाँच कराई जाय जनता को लाभ मिले।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी के अनुदान का समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री हुक्म सिंह परिहार—

मान्यवर, कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने का मतलब कुछ नहीं है। सिंचाई जैसे अनुदान पर कटौती कर दी जाय तो यह प्रदेश कहाँ जायगा इसका किसी को कोई अहसास नहीं है। कटौती की यह पुरानी परम्परा चली आ रही है। कटौती करने वालों से मैं कहूंगा कि वह अपने सुझाव दें और जो घिसीपिटी परिपाटी चली आ रही है उसे छोड़ें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हुक्म सिंह परिहार]

सिंचाई मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि नलकूप विभाग में जो समस्याएं हैं उनको वह हल करें।

(इस समय 3 बजे अधिष्ठाता, श्री राधेश्याम शर्मा पीठासीन हुए।)

किसी भी क्षेत्र में जहाँ 100, 150 नलकूप हैं वहाँ एक एस0 डी0 एम0 कार्यालय तक नहीं है। आगरा रीजन में आगरा तथा मथुरा दो जिलों में एक अधिशासी अभियन्ता है और करोड़ों का बजट होता है। एक अधिशासी अभियन्ता वहाँ पर बैठकर ठीक तरह से सुपरवीजन नहीं कर सकता। नलकूप खराब पड़े हैं और किसान बरबाद हो रहे हैं। लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। मैं सिंचाई समिति का सदस्य हूं और लगातार इस समिति का सदस्य रहा हूं। सर्वसम्मति से यह तय हुआ था इस समिति द्वारा कि ब्लाक स्तर पर एक एस0 डी0 ओ0 कार्यालय स्थापित होना चाहिये और टेकनिकल आदमी जैसे मिस्त्री आदि भी वहाँ हों खेद है कि अधिकारियों ने इस सिफारिश से आपको अवगत नहीं कराया और बजट में इसका कोई प्राविजन नहीं किया गया। सिंचाई समिति की सिफारिश मौजूद है, मंत्री जी का नोट भी है कि इसे मान लिया जाय लेकिन इस पर अधिकारियों ने इसे नहीं माना। इस विभाग के अधिकारी इतने नाकारा हैं कि जब तक इस विभाग का आपरेशन मंत्री महोदय नहीं करते तब तक किसी भी हालत में सिंचाई की समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। सर्वसम्मति से पास सिफारिशों को भी इन अधिकारियों के द्वारा लागू नहीं किया जाता है और वे उनको कपड़े में फेक देते हैं। इस विभाग में सबसे अधिक भ्रष्ट अधिकारी हैं। बाकायदा इस विभाग में कमीशन लिया जाता है, जितने इंजीनियर हैं उन सबका कमीशन बंधा हुआ है और कोई भी मंत्री इसको रोक नहीं पाया है और आप भी मंत्री जी इसको रोकने में सफल नहीं हो सकेंगे। नलकूप विभाग में भी भ्रष्टाचार है और वहाँ भी कमीशन बंधा हुआ है। ओखला बाँध के बारे में यह आश्वासन दिया गया था कि साढ़े 12 क्यूशेक पानी दिया जायगा। विभव जी के जमाने में यह वायदा किया गया था और 67 में संविद सरकार ने तथा 72–73 में भी बाकायदा आश्वासन दिया गया था। कि इस नहर में राम गंगा से पानी मिलेगा लेकिन 15 साल का सरकार का आश्वासन समाप्त हुआ और इस नहर को पानी नहीं मिला। इसकी वजह से आगरा और मथुरा दोनों जिले बरबाद हो रहे हैं। यदि माननीय मंत्री जी इस नहर को पानी दे दें तो यह उस क्षेत्र की जनता के लिये बहुत बड़ा काम हो जायेगा। अभी तक हम लोग कहते थे कि अब तक पूर्वी जिलों के लोग हुये हैं, वे सारा पैसा पूरब में ले गये हैं। इस तरह से आपके रहते भी यदि यह मामला टाला जायेगा तो सब खत्म हो जायेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इस नहर में पानी दें ताकि वहाँ की जनता की परेशानी दूर हो सके। (व्यवधान)।

(श्री बाबू सिंह (अलीगढ़) का नाम पुकारे जाने पर)

श्री पुरुषोत्तम दास (जिला मिर्जापुर)—

इसके बाद मेरा नम्बर था....

श्री अधिष्ठाता—

मेरी निगाह वहाँ चली गई। आपको अवसर मिलेगा।

श्री पुरुषोत्तम दास —

आपने पहले मेरा नाम ले लिया था।

(व्यवधान)।

एक सदस्य—

जो रोजाना बोलते हैं, उन्हीं को समय दे रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता––

ऐसी बात नहीं है। आप कृपया बैठें। मैंने उनको बुला लिया है।

श्री मुकीमुर्रहमान––

कोरम नहीं है, घन्टी बजवा दें।

*श्री बाबू सिंह (जिला अलीगढ़)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सिंचाई मंत्री द्वारा जो बजट पेश है, उसके समर्थन में मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। हर जगह और हर साल सिंचाई के सम्बन्ध में मेरे जिले में एक विकट समस्या खड़ी हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या जो है वह निचली नहर से 40 मील तक चुवान होता रहता है जिससे जनता में बहुत बड़ी परेशानी है। इसके बारे में पिछली सरकार और उसके पहले की सरकारों से भी कहा जाता रहा किन्तु यह अभी तक ठीक नहीं हो पाया है। इसके बारे में 62–63 में सिंचाई विभाग की एक बहुत बड़ी मीटिंग नैनीताल में बुलाई गयी थी और उसमें इस सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया था इस नहर में 30 मील तक चुआन होता है और इसमें जो नीचे से पानी निकलता है उसका 1/4 पानी सिपेज में निकल जाता है किन्तु सरकार अभी तक उसमें काबू नहीं पा सकी है। 40 गाँव इस नहर के किनारे बसते हैं और चुआन बढ़ता जा रहा है। वहाँ हजारों एकड़ जमीन जो काश्त के काबिल थी वह बेकार होती चली जा रही है। वहाँ के निवासियों को जोतने के लिये जमीन नहीं रह गयी है लेकिन हमारी सरकार बेहद उदासीन है। कई दफे इस बात का सवाल आया भी है और आप स्वयं कहते हैं कि आप ट्यूबवेल लगायेंगे, चुवान के पानी के नहर में डाल देंगे या नहर की साइड को पक्का कर देंगे, लेकिन अभी तक उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। समस्या गम्भीर होती जा रही है। वहाँ की जनता भूखों मर रही है। ऐसी जमीनें बेकार पड़ी हुई हैं जिनमें चुआन होता है और किसानों को उसका लगान देना पड़ रहा है। मैं मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि वह इसको देखें इसमें अलीगढ़ से लेकर बुलन्दशहर एटा आदि जहाँ नहरें निकली हैं यहाँ गाँव के लोग परेशान हैं।

बाढ़ के मुताल्लिक भी सवाल आया है। हमारा इलाका वार्डर में पड़ता है यह जो नरौरा बाँध बना हुआ है इसके साढ़े 16 मील तक जो गाँव हैं जिनमें कंचनपुर, किरतौली, अलिया नगला, सीकरी, फतेहपुर आदि कई गाँव हैं इसमें भयंकर कटाव हो रहा है। महमूदपुर जो एक दफे कट चुका है और दुबारा बसाया गया है, वह बहुत बड़ा गाँव है वह भी कटाव पर है। अगर ये गाँव कट जाते हैं तो गंगा जो है वह बूढ़ी गंगा में आ जायेगी अगर उसमें आ जाती है तो सोरों से लेकर 50 गाँव घोर संकट में फंस जायेंगे इनको आप बाढ़ से बचा नहीं सकते। मैंने मंत्री जी से दरख्वास्त की और उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी इसका समाधान करेंगे।

हमारे यहाँ एक चितपुरा तालाब है उसमें आठ नाले डाल दिये गये हैं। इसमें से साइफन से होकर पानी एल0 जी0 सी0 में जा रहा है। 43 मील लम्बे आठ नाले पड़ने से यह समुद्र बन गया है। जब पानी पड़ता है तो यह भयंकर रूप धारण कर लेता है मैं यह नहीं कहता जब यह नाला निकाला गया होगा उस वक्त बड़े सूझबूझ कर निकाला गया होगा लेकिन जब इस नाले से साइफन से होकर पी0 एल0 जी0 सी0 में जायेगा तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बाबू सिंह]

उससे बड़ी परेशानी होगी। पिछले मंत्री बलबीर सिंह जी मौके में गये थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि यह ठीक हो जायेगा। वह नाला नीम नदी से केवल दो कि0 मी0 और कुछ मीटर है। आपके टैकनिकल लोग न मालूम क्या कहते हैं कि जब नाला नदी में गिरेगा तो इतनी जोर से गिरेगा कि जमीन कट जायेगी इसलिये इसे खतम करने में असमर्थ हैं। आप पहाड़ों से पानी उतारते हैं यहाँ तो केवल 4, 6 फीट की बात है जिसमें हजारों एकड़ जमीन और कम से कम 50 गाँव बचाये जा सकते हैं। जिस वक्त बरसात होती है उस वक्त घरों में पानी घुस जाता है सारे खेत मक्का और बाजरा के जो हैं भर जाते हैं और फसल गल जाती है। इसलिए मैं मंत्री जी से दरखास्त करूंगा कि चीफ इंजीनियर साहब फाइल लेकर मौके पर जायं, टैकनिकल लोग वहाँ जाकर देखें। यह बात कई दफा कही गई लेकिन यहाँ आकर भूल जाते हैं। श्रीमन्, इसके लिये एक दफा आया कि चितपुरा में रिमाडलिंग की जाय जिस पर 14 लाख का खर्च आया उसका दूसरा उपाय भी है जिस पर 4 लाख रु0 आयेगा। इससे सही मानों में लाभ होगा और सरकार की भी बचत होगी।

श्रीमन् एक और जरूरी बात है हमारे यहाँ एक गैंग रहती है जिस तरह से पी0 डब्लू0 डी0 में लोग काम करते है पहले कभी-कभी डेली वेजेज पर रहते थे अब उनको मुश्तकिल कर दिया गया है उसी तरह से इन कर्मचारियों को भी मुश्तकिल किया जाय।

एक और प्रश्न तावान का है यह एक भारी बीमारी है। अगर मेरा खेत नीचे है तो मेरी सारी फसल मारी जाती है लेकिन मुझ पर तावान भी ठोक दिया जाता है। मेरा सुझाव है कि आप वहाँ के जो सरपंच, प्रधान लोग हैं उनसे दरयाफ्त करें और पता लगाये बिना उनसे मालूम किये ही तावान लगा दिया जाता है।

आप नहरों के लिए जमीन एक्वायर करते हैं। मैं मंत्री जी के सुझाव से सहमत हूं उन्होंने कहा जमीन जो महकमा लेता उसके लिए जिस तरह से हरयाणा में होता है वही महकमा रुपया देता है उसी तरह से यहाँ भी होना चाहिये लेकिन यहाँ क्या होता ह हमारे खेत में नहर खोल रहे हैं, हमने तो आपको रुपया दे दिया है। अब वह गरीब आदमी आगरा में जाकर रुपया लेगा, तो क्या वह ले पाएगा। हमारे यहाँ रामघाट में कालोनी बनी ह, वहाँ के किसानों को भी मुआवजे का पैसा नहीं मिला है, यहाँ पर खोजवाते है तो फाइलें नहीं मिलती हैं। आज तीन साल से पैसा उन्हें नहीं मिला है। एक बात और है, आप जितना पैसा लेते है उतना पानी दें यानी जितना पानी देते है उतना ही पैसा लें। तीन पानी देते है तो तीन का और एक पानी देते है तो उसकी अनुपात से उसका भी पैसा लें और यदि पूरा पाँच पानी दें तो पूरा पैसा लें। हमारे किसानों के साथ न्यायसंगत काम होना चाहिए।

श्री पुरुषोत्तम दास (जिला मिर्जापुर)—

मान्यवर, हमारे देश और प्रदेश में 80 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर करते हैं....

श्री राम बक्श (जिला फर्रुखाबाद)—

मान्यवर, हम लोगों को कभी मौका नहीं मिलता है, यदि आप बता दें कि आज भी मौका नहीं मिलेगा तो मैं सदन से चला जाऊं।

श्री अधिष्ठाता—

पहले आप इन्हें बोलने दें। आप क्यों जाएं आपको अवश्य मौका मिलेगा....

(व्यवधान)।

*श्री पुरुषोत्तम दास—

यहाँ की जमीन उपजाऊ है। यहाँ खेती उत्तम तरीके से होनी चाहिए। हमारा छान्नवे क्षेत्र है, वह गंगा नदी की बाढ़ से इतना डूब जाता है कि वहाँ के किसानों को कभी खरीफ की फसल नहीं मिल पाती है। जो रबी की फसल बचती है, उसके लिये ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उस उपजाऊ जमीन के इलाके में ट्यूबवेलों का इंतजाम किया जाए, नहीं तो वहाँ की उपजाऊ जमीन बेकार सी चली जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी तरीके से—आपके सर्वेयर वहाँ जाकर जाँच-पड़ताल करें और जहाँ भी उचित समझें ट्यूबवेल्स लगाने की कोशिश करें। हमने यह भी देखा है मध्य प्रदेश के बार्डर पर जो क्षेत्र है, वहाँ के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा तरीका निकाला है, वहाँ ऐसी मशीनें रहती हैं जो हर जगह पहुंचकर पत्थर पर भी बोर कर देती हैं। हमारे मौसोल क्षेत्र में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, वह मशीन वहाँ पर भी उपलब्ध कराकर पानी की व्यवस्था की जाए। वह मशीन उत्तर प्रदेश में भी आ जावे, जिससे ट्यूबवेल बोर होकर पानी मिल सके। छान्नवे क्षेत्र में कुछ लिफ्ट लगी हुई है, उमापुर, माण्डा, महेवा, पाली, चेहरा, बजरा, चकिया, नरोइया, गंगापुर, बदेबरा, भतड़ा, जिगना, रघईपुर, सिकरा से होते हुए छान्नवे क्षेत्र में गिर जाती है, लेकिन ये कभी भी ठीक से पानी नहीं देती है। एक बहाना यह जाता है कि बिजली नहीं है, इसका ट्रांसफार्मर जल गया। मैंने कई बार सरकार को लिखा ऐसी जगह पर स्पेयर पार्ट्स रखे जायें। जब ट्रांसफार्मर जल जायं तो दूसरा ट्रांसफार्मर लगा दिया जाय। यह नहीं है कि मरम्मत होने के बाद तब ट्रांसफार्मर लगे। किसानों के लिये 13 कार्तिक तीन असाढ़ लगा रहता है, अगर समय पर उनको पानी नहीं मिलता तो सारी फसल बेकार हो जाती है। ऐसे स्थानों पर ट्रांसफार्मर स्पेअर तरीके से रखे जायं। इस तरीके से पानी की व्यवस्था कर्मचारियों की वजह से नहीं हो पाती। साथ ही साथ लेविल इतना खराब हो गया है, राजकुमार के पुरा में इतना पानी बोझता है कि सारी फसल सड़ा देता है। इसका लेविल सही करवाएं जिससे हर जगह पानी कायदे से पानी उपलब्ध हो सके और पानी का सदुपयोग हो सके। एक मील आगे चल कर जो गाँव पड़ रहे है वहाँ के लिए पानी की व्यवस्था करवा दें। हड़गढ़, अर्जुनपुर और नारायणपुर लिफ्ट हैं। लेकिन कभी भी कायदे से पानी नहीं चल पाता। कभी ट्रांसफार्मर जल जाता है, कभी बिजली उपलब्ध नहीं हो पाती। कभी मरजी में आया तो वहाँ पर कर्मचारी बैठा है, तो वह चला देता है। कहीं शादी वगैरह पड़ गयी, तो वह चला जाता है। ऐसी स्थिति में किसान को पानी नहीं मिल पाता। और वह कुछ कर नहीं पाता। सिर्फ रो चिल्ला कर रह जाता है। माननीय मंत्री जी का ध्यान ज्यादा क्या है। इसलिये विशेष व्यवस्था करेंगे। साथ ही साथ मुझे कहना है कि मेरे क्षेत्र में एक ददरी डैम है। वह 112 फीट की जगह 132 फीट करके 20 फीट उसको बढ़ाया जा रहा है। वहां की स्थिति यह है कि अगर बारिश हो जाय, पानी गिर जाय, तो बाँध में काफी पानी भर जाता है। बाँध से हमेशा पानी बहता रहता है। उसको 20 फीट ऊंचा करने का प्राविधान करें या 20 की जगह पर 25 करवा दें, एक बड़ी भारी शिकायत यह है कि इस बाँध में इतनी बड़ी धांधली है कि आपको जाँच करनी होगी। आपके विभाग के अधिकारियों को जाँच करनी चाहिए। इतनी बड़ी लूट हो रही है कि 200 मीटर मिट्टी की जगह एक मीटर की मिट्टी का चार्ज किया जा रहा है। सेक्शन पर जितनी मिट्टी होनी चाहिए, उसकी जाँच करानी होगी, कि उतने का पेमेंट हुआ है या उससे ज्यादा का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री पुरुषोत्तम दास]
पेमेंट हुआ ह। सारा का सारा पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। सोन नदी की बालू का प्राविधान है लेकिन लोकल बालू लगायी जा रही है। इसकी जाँच होनी चाहिए कि जिस एवरज से सीमेंट और बालू लगनी चाहिए, उस एवरेज से लगी है या नहीं।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री पुरुषोत्तम दास—

अगर आप जाँच नहीं करवायेंगे तो लखनऊ में रह कर अधिकारियों से आप कुछ नहीं कर सकते। आपको बड़ा शौक है। आप बधाई के पात्र हैं। सारी बातों का निरीक्षण किया जाय। सारा का सारा दुरुपयोग हो रहा है। एक बात और कह कर समाप्त करूंगा। आपके विभाग में जिससे कुव्यवस्था है, जब से आप आये हैं, आप बधाई के पात्र हैं, इतना जरूर देखा जाय कि आपका विभाग चाहता है कि वह हरिजन विहीन हो जाय। वहां जो दशा है अधिकारियों और कर्मचारियों की कि वह बताने के लिये समय नहीं है। वहां हरिजनों के साथ जितना अन्याय हो रहा है, आप बाकायदा उसकी जांच करवाएं। आप अपने माध्यम से जाँच करवा लें और देखें कि कितनी गड़बड़ियाँ हैं, हरिजनों के साथ किस तरह से अभद्र व्यवहार किया जा रहा है।

(श्री लक्खी सिंह का नाम पुकारे जाने पर तथा कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

आपको भी समय मिलेगा। मथुरा भी एक जिला है।

*श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)—

माननीय अधिष्ठाता, यह देखिए जिलेवार करने लगे। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो मंत्री जी ने अनुदान माँगा है इस सिंचाई विभाग का मैं उसका समर्थन करता हूं। चूंकि मेरे अन्दाज में यह थोड़ा है इस विभाग के लिए, यह इससे दुगुना होना चाहिए था, लेकिन इस बंद (सिंचाई विभाग की पुस्तिका दिखाते हुए) को किसने बनाया है, इस कुरान को किसने बनाया है और इस पुराण को किसने बनाया है। यह मेरी समझ में नहीं आता है। मकराना का नाम कहीं पर नहीं है, मैंने काफी पढ़ लिया है। इसमें कहीं पर मकराने का नाम नहीं है। पहले सिंचाई मंत्री थे माननीय बलबीर सिंह और दूसरे छोटेकल्लू मंत्री थे। ठीक रपट लिखना भोजपुरी में खराब कर देते हो। छोटे कल्लू ने बड़े काम किए सारे प्रदेश में। खैर मथुरा लिख दिया।

(लाल बत्ती होने पर) मुझे ज्यादा समय देना।

श्री अधिष्ठाता—

आपके 7 मिनट है।

श्री लक्खी सिंह—

60 मिनट है, 60।

श्री अधिष्ठाता—

नहीं (5 प्लस 2) 7 मिनट।

श्री लक्खी सिंह—

मेरा भार थोड़ा बहुत अपने भाषण में हल्का कर दिया, लेकिन माननीय मंत्रीजी को सुझाव देना चाहता हूं और अगर मंत्री जी सुनेंगे और अमल करेंगे तो उनके लिए यह बहुत ही हितकर सुझाव होंगे और यह अधिकारी बैठे हैं। श्रीमन्, बजट का पैसा जो हम देते हैं पास करके तो 100 में से 50 रुपया भी खर्च हो जाये तो फिर निर्माण कार्य बहुत बढ़िया हो जायगा, लेकिन बलबीर सिंह ने यह कहा था कि 25 परसेंट भी रुपया नहीं खर्च करते हैं,

*वक्ता ने भाषणा का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप नये सिंचाई मंत्री हैं, जरूर सख्ती से कन्ट्रोल करें, जो हम पैसा पास करें वह पूरा का पूरा वहाँ पर लगा दें।

मान्यवर, दूसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि हर एक नहर की पटरी और बन्ध की पटरी पक्की करदी जानी चाहिए। इससे दो फायदे होंगे। एक तो गुन्डे लोग पटरी नहीं काटेंगे, पटरी कटवाते हैं ये काँगरेसिया ये काँगरेसिया। मिश्रा जी, तिवारी जी पटरी कटवाते हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, ऐसे ही सदन चलायेंगे। इतने पुराने सदस्य हैं अधिकारियों से सीधे बात करते हैं। नाम ले रहे हैं तिवारी जी का। इस सदन की परम्परा है इनको आप मना कीजिए।

श्री अधिष्ठाता—

लक्खी सिंह जी मेरी ओर देख कर बोलें।

श्री लक्खी सिंह—

काना को काना न कहिये। मान्यवर, मैंने काने को काना नहीं कहा है। कांग्रेस वाले लोग पटरियां कटवाते हैं, बस लुटवाते हैं। धान की खेती के लिए हर महीने नहर चलनी चाहिए, लेकिन मथुरा की नहर नहीं चलती है? गर्की के इलाके में धान की फसल जब होती है जब कि 12 मास नहरें चलें, जैसे कि पूर्वी जिलों में चलती हैं।

अब मैं अपने माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि 2–4 अवसरवादी आदमियों के कहने पर आप हलवाना ड्रेन में कोई गड़बड़ी न कर देना अन्यथा मेरा अनशन होगा 1–2 महीने बाद। अनशन भी वैसे ही नहीं होगा, मैं मर कर ही उनके घेर से निकलूंगा। हलवाना ड्रेन सकरी न हो जाय, वह निकले जिससे आगरा जिला, किरावली तहसील, मथुरा तहसील और छाता तहसीलें और गोवर्धन की भी जहां पर कृष्ण जी ने गिरवर को उठाया था, को फायदा हो जब वहां पर बाढ़ आये।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में और हमारे जिले में खारा पानी है जिससे वहां पर ट्यूबवेल सफल नहीं होते हैं। तो मेरी प्रार्थना है कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा माइनर निकाली जाय। जहां पर छोटे-छोटे थाती रकबा है। वर्ष 1962–63 में जब कांग्रेस का शासन था तो 22 माइनर निकालने का प्रोग्राम था, लेकिन माननीय तिवारी जी की सरकार ने उनको काट दिया। पिछली विधान सभा में माननीय राममूर्ति जी का भी सुझाव था और उन्होंने 22 माइनर्स को छाता तहसील के लिए स्वीकार किया था, मेरी प्रार्थना है कि वे सारी की सारी अब निकलनी चाहिए।

मान्यवर, सेमरी में एक मेला लगता है, यह 10–15 दिन चलता है जिसमें देवी की पूजा होती है। मेरी प्रार्थना है कि वहां पर जो तालाब है उसको भरवाइये। बाहर से वहां पर यात्री लोग आते हैं तो छाता नहर का उस तालाब तक ले जाइये। एक और प्रार्थना यह है कि जान हाथिया और राकोली में जो पानी भर जाता है उसको पंपिंग सेट से निकलवाइये और उसे गोवर्धन ड्रेन में डलवाइये ताकि इन गांवों का रकबा बच जाय और वहां पर रबी की फसल होती रहे।

अमीनाबाद, लखनऊ में पुलिस तथा व्यापारियों के बीच संघर्ष की सूचना

श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

मैं एक मिनट श्रीमन्, लूंगा। अमीनाबाद में पुलिस और व्यापारियों के बीच संघर्ष मे काफी लोग घायल हुए हैं।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

यह जीरो आवर में उठाना चाहिये था।

श्री आरिफ मोहम्मद खां—

यह घटना अभी जीरो आवर के बाद घटी है। श्री राम अग्रवाल से टेलीफोन पर बात हुई थी। मर्चेन्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि दो लाशें थाने में रूकी पड़ी हैं। 50 आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं। बड़ा तनाव है। आप सरकार को आदेश दें कि वह इस पर एक वक्तव्य दे।

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया बैठें। सदन का कार्य प्रक्रिया नियमावली संविधान और मेज पार्लियामेंनटरी प्रेक्टिस के आधार पर चलता है। आप जानते हैं कि मैं नियमों के विपरीत कभी सदन की कार्यवाही चलाता नहीं हूं। आप नियम के अन्तर्गत अगर कोई चीज लायेंगे तो मैं अवश्य स्वीकार करूंगा। इस तरह नहीं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां—

नियम 311 को निलम्बित करके आप इसे ले सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

मैं अपने सारे अधिकारों को समझता हूं। आप अगर लिख कर देंगे तो उस पर विचार किया जायेगा। आप कृपया बैठें।

1979–80 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 72– सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य–राजस्व लेखा), अनुदान संख्या 73– सिंचाई विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या 105– सिंचाई विभाग (निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय) तथा अनुदान संख्या 106–सिंचाई विभाग (बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय) (क्रमागत)

श्री बदन सिंह (जिला आगरा)—

मैं सिंचाई मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा बजट सदन में प्रस्तुत किया है और वे उन मुद्दों तक पहुंचे हैं जहां सुधार की आवश्यकता थी।

मैं सुझाव देने के पूर्व अपने क्षेत्र की कुछ बात कहना चाहता हूं। मैं उस स्थान से आता हूं जहां पर सम्राट अकबर ने 12 वर्ष तक शासन किया था। उस क्षेत्र की समस्यायें आज भी ज्यू की त्यूं बनी हुई हैं। हमारा क्षेत्र हर वर्ष बाढ़ और गर्की की वजह से तबाह हो जाता है। आप इस प्रकार के मंत्री हैं जो वहाँ के लिये कुछ कर सकते हैं। मेरे क्षेत्र फतेहपुर सीकरी में राजस्थान का सारा पानी नदी, नालों और बांधों से बहकर आता है। जब इस प्रदेश का पानी हमारे क्षेत्र में आकर गिरता है तो हमारे यहां बाढ़ आ जाती हैं। पारसाल भी हमारे यहां इस बाढ़ के कारण एक करोड़ रुपये की हानि हुई थी। 39 गांव बुरी तरह प्रभावित हुये थे। आप इस समस्या को हल करने की क्षमता रखते हैं, इसलिये आपसे अनुरोध है कि आप इस ओर विशेष ध्यान देने की कृपा करें, क्योंकि यह मामला दूसरे प्रदेश से संबंधित है। आप राजस्थान सरकार से कहें कि वह अपने पानी को नियंत्रित करें। वह अपना पानी हमारी तरफ न आने दे। वे यह दलील देते हैं कि पानी का प्राकृतिक बहाव जिधर होगा उधर ही पानी जायेगा। लेकिन उनका प्राकृतिक बहाव पानी का हमारी तरफ नहीं है, वह अपने पानी को अजान बांध

में बांध लेते है और राजस्थान के सभी नाले, बंधे, नदियां, अजान बांध में पानी लाकर इकट्ठा करते हैं और अजान बांध में 93 मोरी हैं, जिनके द्वारा हमारी तरफ पानी अपने क्षेत्र को बचाने के लिए छोड़ देते हैं और हमारा क्षेत्र बाढ़ का शिकार बन जाता है। इस संबंध में राजस्थान सरकार से आप बात कर इस समस्या को हल करवायें। मान्यवर, मेरे फतेहपुर सीकरी ब्लाक में 63 ग्राम सभायें हैं, उनमें से 32 ग्राम सभाओं में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां पर केवल बरसात की कृपा के ऊपर ही किसान निर्भर करता है। अब तक इस क्षेत्र के विषय में यह रिपोर्ट लगी हुई थी कि वह पहाड़ी क्षेत्र है और कोई भी नलकूप सफल नहीं हो सकता, लेकिन मैं माननीय भूतपूर्व सिंचाई मंत्री को बधाई दूंगा, वहां पर उन्होंने सर्वेक्षण करवाया। अब उस क्षेत्र के साभरा, दाऊदपुर, गांवों में ऐसे नलकूप निकल आये हैं जो कि आर्टिजन वेल कहलाते हैं, जो बिना किसी मशीन के पानी दे रहे हैं। मान्यवर, मेरे पत्र के उत्तर में सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार उन ट्यूबवेल को हस्तान्तरित कर ले और पानी की गूल निर्मित करने का काम सम्पन्न करे। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन नलकूपों का पानी जो अव्यवस्थित रूप से बह रहा है आप वहां पर गूल बनवाने की व्यवस्था करें और उनको सेण्ट्रेल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड से हस्तान्तरित कर लें। दूसरा मैं सुझाव अपने क्षेत्र के विषय में यह देना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में 144 ग्राम सभायें है, उनमें से 39 ग्राम सभाओं में गरकी रहती है। उस गरकी को दूर करने के लिये मैं यह आपसे कहूंगा कि कुल नाले वगैरह वहां पर निकलवा दिये जायं, तो उन गरकी के गांवों का जनजीवन बच सकता है। मई, बुजुर्ग, दुलारा, बहरावती, जाताना, चुरयारी आदि गांवों में नाले निकलवा दें। मान्यवर, मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं कि शासन ने बहुत कुछ पैसा सिंचाई के लिए दिया है, लेकिन वहां पर जो अभियंता हैं, वह आपसी लड़ाई के कारण कुछ भी काम नहीं करवा पा रहे हैं। मैं शिकायत लिखित रूप में दे सकता हूं। मेरे पास उनके भ्रष्टाचार के प्रमाण हैं। लेकिन मैंने सुना है कि उन अभियंताओं को मेरे कहने से ट्रांसफर तो कर दिया गया है, लेकिन उनके कुछ दलाल और ठेकेदार आदि आप से उनके स्थानान्तरण रोकवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि जो ऐसे लोग हैं उनको मेरे क्षेत्र से हटा दिया जाय जिससे कि सिंचाई में दिया हुआ पैसा मेरे क्षेत्र मे लग सके। मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं सिंचाई के बजट का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं।

*श्री राम बक्स--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन आप से एक आग्रह है कि आप जो इस सदन में नये सदस्य आये हैं उन्हें थोड़ा सा विशेष अवसर दें।

श्री अधिष्ठाता--

आप इस पर टिप्पणी न करें। समय न बरबाद करें। मैं जानता हूं।

श्री राम बक्स--

सिंचाई मंत्री जी ने जो यह अनुदान प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। अपने जिले के संबंध में कुछ समस्य और कुछ सुझाव यहां पर प्रस्तुत करना चाहता हूं हमारा उमर्दा क्षेत्र तहसील छिबरामऊ कन्नौज में स्थित है, वहां पर अधिकांश सिंचाई नहरों के माध्यम से होती है। जब से जनता पार्टी शासन में आई है, तबसे नहरों ने भरपूर पानी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम बक्स]

दिया है और बम्बों में भी पानी आया है, जिससे फसलों में वृद्धि हुई है। लेकिन इन नहरों की वजह से दूसरी समस्या पैदा हो गयी है। वह समस्या यह है कि नहरों के बन जाने से पानी का जो प्राकृतिक बहाव था वह अवरुद्ध हो गया है। वर्षा के समय में जगह-जगह पानी इकट्ठा हो जाता है। खरीब व रबी की फसल चौपट हो गई। धान की भी फसल नहीं होती है। इस तरफ ध्यान दें। नई बरसातियां निकालनी चाहिए, पुरानी जो है उनकी सफाई हो। हमारे क्षेत्र में कम से कम 2 बरसातियां इसी वर्ष बन जानी चाहिए। वह है लोह की और झील की बरसाती। बड़े साहब ने अपने जूनियर इंजीनियर को उसके सर्वे के लिए कहा लेकिन वह अभी तक नहीं हुआ। जो पैसा बरसातियों की सफाई के लिए दिया जाता है उसका कम से कम 50 प्रतिशत ठेकेदार, जूनियर इंजीनियर से लेकर बड़े अधिकारियों तक बंटता है जिससे सफाई ठीक से नहीं होती न पुलियों में सही मेटेरियल लगता है। सारे अधिकारी भ्रष्ट नहीं हैं लेकिन अधिकांशतः भ्रष्ट हैं। इसके अलावा हमारे क्षेत्र में पानी की नालियों के लिये रामगंगा कैनाल द्वारा काम हो रहा है जिसमें 14 करोड़ रुपये व्यय करके पटरियां पक्की कराने की योजना का प्राविधान है। अगर यह वास्तव में योजना है तो मैं अनुरोध करूंगा कि उधर ध्यान दें जिस से इस क्षेत्र की नहरों की पटरियां पक्की करायी जा सकें और हमारे क्षेत्र का विकास करने से अपना सहयोग प्रदान करें।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट—

सिंचाई मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का मैं समर्थन करता हूं लेकिन उनसे अपेक्षा करता हूं कि मेरे द्वारा दिये गये सुझावों की ओर विशेष गम्भीरता से ध्यान देंगे।

श्री अधिष्ठाता—

आपको 7 मिनट में समाप्त करना है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट—

मैं 7 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। दूसरे माननीय सदस्यगण कह रहे थे पूरब के मंत्री थे, वहाँ की चर्चा करते थे, आज पश्चिम के कुछ मंत्री हैं, उधर सिंचाई की व्यवस्था की ओर ध्यान दे रहे हैं। मैं निवेदन कर दूं, हम इटावा, बुन्देलखंड के लोग कहाँ जायें। न हम पश्चिम में आते हैं न पूरब में।

"बखिया हुई तो और भी चादर उधड़ गयी,
बन्धन खुले तो जिस्म की रग-रग बिगड़ गयी।"

अपेक्षा तो यह थी कि उस समय की जो योजनाय, जो जनहितकारी थीं उनको विशेष गम्भीरता से लिया जायेगा। मेरा मकसद पुरानी काँग्रेस सरकार से है, क्या हमने इसके लिए बीड़ा उठाया है कि अगर पुरानी सरकार ने कोई योजना बनायी है तो उसका उलटा करना है। अगर यही बीड़ा उठाया है तब तो मुझे कुछ नहीं कहना वरना मेरा चार्ज है (नक्शा दिखाया) कि 5 नदियों के नामकरण पर पंजाब का नाम है।

श्री अधिष्ठाता—

वैसे ही बोलें। नक्शा तो सब जानते हैं।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट—

लेकिन वहाँ की स्थिति यह है कि 5 नदियां एक जगह से निकलती हैं, जबकि हमारे यहाँ जमुना, चम्बल, क्वारी, सेंध, पहुज नाम की पाँच बड़ी बड़ी नदियाँ एक जगह आकर मिलती हैं। इन पाँच नदियों की अथाह जल शक्ति का इस्तेमाल अभी तक इस प्रदेश के हित में नहीं किया गया है। यह पाँचों नदियाँ इटावा में मिलकर आगे चल कर यमुना के

रूप में बहती हैं। यह यमुना आगे चल कर इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। यह गंगा बिहार से होकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। यदि आप इस पानी को कंट्रोल कर सकें तो इससे उत्तर प्रदेश ही नहीं पटना (बिहार) और पश्चिमी बंगाल की बाढ़ की समस्या का समाधान होगा साथ ही सिंचाई की व्यवस्था भी ठीक प्रकार से हो सकेगी। मेरा निवेदन यह है कि इस पर बाँध बनाना चाहिये। तीन साल पहले जब माननीय नारायण दत्त तिवारी मुख्य मंत्री थे फतेहपुर कैबिनेट कमेटी में यह निर्णय हुआ था कि यहाँ पंचनद बाँध बनाया जायेगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, इसे स्वीकृत किया गया था। अभी तक इस पर कोई कार्य नहीं हुआ है। जितनी भी योजनायें बनी हैं उनसे डेढ़ और ढाई के अनुपात में ही बेनिफिट कास्ट रेशियो वाली स्वीकृति की जाती रही हैं। मेरा आप से निवेदन है कि इसका बेनिफिट कास्ट रेशियो अनुपात 6:1 है। आप स्वयं इन तथ्यों पर गम्भीरता से विचार करें। पुरानी सरकार ने इसे स्वीकृत किया था तब से इस पर बराबर चर्चा हो रही है। जितने सर्वे हुये हैं, नाम के ही केवल सर्वे हुये हैं। गम्भीरता पूर्वक कोई भी सर्वे हुआ नहीं। कहा जा रहा है कि सर्वे हुआ था राक्स नहीं मिले।

मान्यवर, जरूरी है कि इसका सर्वे ठीक से हो बड़ी मात्रा में राक्स उपलब्ध हैं, न होने का कोई प्रश्न ही नहीं। मेरी जानकारी है कि वहाँ पर राक्स अवेलेबिल हैं। यह गम्भीरता से इस पर ध्यान दें। हमें खेद है कि तीन साल से हो गये अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया। कई मंत्रियों को मैंने इससे समझाया। मैं तो जिस मंत्री को समझा देता हूं वही मंत्री चले जाते हैं। आपकी समझ में आ जाये फिर कहीं ऐसा न हो कि आप दूसरे विभाग में चले जायें। बलबीर सिंह जी की समझ में यह बात आई थी, उन्होंने कहा कि इसको होना चाहिये, वह भी बदल गये। जगह ही बदल जाती है, मान्यवर, इस लिये पुनः इसकी वकालत करनी पड़ी। मेरा निवेदन यह है कि अन्तिम रूप से इस पर निर्णय लें। पुराने मंत्री ने इसको माना था। इसका सर्वे कराकर इस पर ध्यान दें। इसके द्वारा इटावा, फतेहपुर, कानपुर, यहाँ तक कि बुन्देलखंड तक इससे सिंचाई हो सकेगी। माताटीला तक सिंचाई हो सकती है। जहाँ पाँच पाँच नदियाँ बहती हैं पानी को यदि बाँध दिया गया तो इससे बाढ़ कन्ट्रोल हो सकेगी. . . .

(इस समय 3 बजकर 54 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इसके लिये एक सर्किल खुला और एक डिवीजन खुला लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसको विशेष रूप से देखें। इसी तरह से बरचौली लिफ्ट कैनाल है। सिंचाई विभाग के संबंध में जो पुस्तक मिली है उसमें लिखा है कि इस योजना के प्रारम्भ कार्य प्रगति पर हैं। लेकिन इसके बाद इसी के आगे लिखा है, इसमें विरोधाभास है, आगे लिखा है कि आगणन बन चुका है। तो पता नहीं कि इसमें स्थिति क्या है? मेरा चार्ज है कि इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी तरह से सहसों, विन्डबा, खुर्द लिफ्ट कैनाल का निर्माण कराया जाय। (लाल बत्ती जलने पर) श्रीमन्, लाल बत्ती जल गयी है मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष––

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट––

मैं राजकीय नलकूपों के बारे में विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि जमुना और चंबल का इलाका जो मान सिंह लाखन सिंह का इलाका रहा है वहाँ के लिये विशेष व्यवस्था की जाय। इसके लिये सोचने की जरूरत है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप समाप्त करें ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

यह जो इलाका है इसके लिये राजकीय नलकूपों की व्यवस्था की जाय । सिदौस, जाजेपुर, चौरेला, विन्डवा , विड़ौरी, निठौली, हरौली, पर्थरा, मउआ, सूड़ा की पट्टी, चंबल और क्वारी की पट्टी है तो गोहना से लेकर दासपुर, मानपुर, खरका, बसंतपुर, सेहौली, सड़रापुर, अयाना, जूही खा, फरेहा, असेवता, असेवा, जगनपुरा, भोरेपुरा, बड़ेरा, नगला सिमार आदि गाँव जो जमुना की पट्टी में हैं यह उपेक्षित हैं । इनके विकास के लिये कदम उठाने की आवश्यकता है ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप अपना भाषण समाप्त करें । आप इतना तेज बोलते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

मैं समाप्त कर रहा हूं । श्रीमन्, मेरा सुझाव है कि सिंचाई विभाग के वर्क चार्ज कर्मचारियों को रेगुलर किया जाये । मस्टर रोल प्रथा बंद की जाये व पुराने मस्टर रोल कर्मचारियों को वर्क चार्ज पर किया जाय ।

राज्य कर्मचारियों की भांति ही वेतन, महंगाई भत्ता व अन्य सुविधायें वर्क चार्ज कर्मचारियों को दी जायें ।

विभाग के छटनी शुदा कर्मचारियों को शुरू होने वाली परियोजनाओं में वरीयता के आधार पर खपाया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका जो सुझाव रह गया है उसको लिख कर मंत्री जी को दे दीजियेगा ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

विभाग में ठेकेदारी प्रथा बंद की जाये । हैवी अर्थ मूविंग कारपोरेशन बनाया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप अब समाप्त करें । कृपया बैठें ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

मैं आखिरी बात कह कर समाप्त करता हूं कि माननीय मंत्री जी याद रक्खें कि--

जोगन की भोगन की विकल वियोगन की जग में न जागती जमाते रह जायेंगी,
कहत रत्नाकर न सुख के रहे जो दिन, तो ये दुख द्वंद की न रातें रह जायेंगी ।
प्रेम नेम छांड़ ग्यान क्षेम जो बतावत हो अरे भीति ही नहीं तो का छतें रह जायेंगी,
घाते रह जायंगी न कान्ह की कृपा ते इतीं ऊधो बस कहिये को बातें रह जायंगी ।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं ।

श्री सुरेन्द्र पाल (जिला बाँदा)--

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और देश की लगभग 86 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है और लगभग 70 प्रतिशत लोग खेती करते हैं । मान्यवर, इस देश की अर्थ व्यवस्था की रीढ़ कृषि है और कृषि के लिये आवश्यक है अच्छे बीज, अच्छी खाद एवं सिंचाई की व्यवस्था उत्तम हो । सिंचाई कृषि से संबंधित है, सिंचाई तीन प्रकार की होती है, नहरों द्वारा, ट्यूबवेल से और तीसरे डाल सिंचाई है । देश में लगभग 17.5 प्रतिशत भूमि की सिंचाई पहले होती थी, लगभग 25 प्रतिशत सिंचाई अब हो रही है । मान्यवर, मंत्री जी ने एक किताब निकाली है "सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश की कार्य प्रगति"। उन्होंने उसमें कहा है कि राज्य की सिंचाई सन् 1978-79 में महत्वपूर्ण रही । तो यह

महत्वपूर्ण सिंचाई तो हमारी समझ में नहीं आयी। उत्तर प्रदेश का बुन्देलखण्ड आज भी पानी के लिये सिसक रहा है। मान्यवर, बुन्देलखण्ड में 32 लाख हेक्टेयर जमीन खेती के योग्य है जिसको देखते हुये यह क्षेत्र सिंचाई में सबसे पिछड़ा है। चाहे जो सरकार रही हो लेकिन उन्होंने बुन्देलखण्ड की बराबर उपेक्षा की है। यदि बुन्देलखण्ड के हर खेत को पानी दे दिया जाय तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बुन्देलखण्ड पूरे उत्तर प्रदेश को भोजन दे देगा।

मान्यवर, बाँदा जिले के नहरों के पुनरोद्धार के संबंध में मंत्री जी ने जो कहा तो वह बात मेरी समझ में नहीं आती कि 141 लाख रुपया जो बताया है कि केन नहर के पुनरोद्धार में लगाया जायेगा तो मान्यवर, जब उस नहर में पानी ही नहीं आयेगा तो उसके पुनरोद्धार करने से क्या फायदा है? मेरी समझ में आप नहर विभाग के कमचारियों को 141 लाख रुपया देकर उनका पुनरोद्धार कर रहे हैं परन्तु नहर का पुनरोद्धार होने वाला नहीं है। चूंकि मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार में एक समझौता हुआ है जिसके आधार पर यदि ऐसा ही बना रहा तो लगभग 70 फीसदी फसल बाँदा जनपद की सूख जायेगी और पूरा जनपद सूखे की चपेट में आ जायेगा। इसलिये निवेदन है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार में जो केन नहर का समझौता हुआ है उसको रद्द कर यदि केन नहर में केन नदी से लिफ्ट इरीगेशन द्वारा पानी डालकर सिंचाई की व्यवस्था करें तो अच्छा होगा।

मान्यवर, जहाँ तक नलकूपों की बात है तो बुन्देलखंड में जो नलकूप मिले हैं उनकी संख्या 375 है जबकि पूर्वी क्षेत्र में 7116, पश्चिमी क्षेत्र में 8010, मध्य क्षेत्र में 1710 नलकूप मंत्री जी ने दिये हैं। इसलिये इस तरह यह आप सौतेला व्यवहार बुन्देलखंड में करते रहेंगे तो मेरी समझ में यह बात नहीं आती जबकि आप स्वीकार कर चुके हैं कि बुन्देलखंड को सिंचाई सुविधायें नहीं मिली हैं, तो घड़ियाली आँसू बहाने से बुन्देलखंड को कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिये मंत्री जी वहाँ नलकूपों की संख्या आप बढ़ायें।

मान्यवर, बाँदा जनपद में अपने निर्वाचन क्षेत्र नरैनी के संबंध में कहना चाहता हूं कि नरेनी ब्लाक और इस क्षेत्र में न नहर है और न सिंचाई के कोई दूसरे साधन हैं और वहाँ नलकूपों से ही सिंचाई हो सकती है लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि वहाँ किसी गाँव में काफी पहले कभी सर्वेक्षण कराया गया था जो कि सफल नहीं हुआ। तो वही लक्षमण रेखा अभी भी बनी हुई है और जब लिखा पढ़ी की जाती है तो अधिकारी लोग कह देते हैं कि वहाँ सर्वेक्षण सफल नहीं हुआ था इसलिये वहाँ नलकूप सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिये निवेदन है कि वहाँ पुनः सर्वेक्षण कराया जाय। क्योंकि वहाँ एक आर्टीजन वेल चल रहा है। वरना पूरा जनपद सूखे की चपेट में आ जायगा।

मान्यवर, बोरिंग में जो डीप रिंग मशीन इस्तेमाल होती है उसकी भी व्यवस्था करायी जाय और सर्वेक्षण कराया जाय। इस संबंध में बाग नदी में लिफ्ट इर्रीगेशन की व्यवस्था की जाय तो किसी हद तक वहाँ सिंचाई की समस्या को हल कर सकता है। मान्यवर, मै इसमें राय देना चाहता हूं कि केन नदी से कोलावल गाँव के पास से लिफ्ट इर्रीगशन की व्यवस्था की जानी चाहिये। बागै नदी से रेहुची गाँव के पास से लिफ्ट इर्रीगेशन की व्यवस्था की जाय। बागै नदी से मसौनी पम्प कैनाल का सर्वे हो चुका है और वह सरकार के विचाराधीन है लेकिन पता नहीं वह योजना क्यों खटाई में पड़ी है। यदि

[श्री सुरेन्द्र पाल]

यह मसौनी पम्प केनाल सफल हो जाए, इसका निर्माण करवा दिया जाए तो हजारों एकड़ भूमि सिंचित हो सकती है। इसके अतिरिक्त वागै नदी से काजीपुर पम्प कैनाल की व्यवस्था की जाए। फतेहगंज से कड़ैली नदी का पानी उठाकर सिंचाई की व्यवस्था की जाए। बानगंगा का पानी रोककर सिंचाई की व्यवस्था की जाए। पंचमपुर बाँध के पूर्वी उत्तरी भाग से पानी उठाकर सिंचाई की व्यवस्था की जाए। वागै नदी से पथरा गाँव की लिफ्ट इर्रीगेशन के जरिये सिंचाई व्यवस्था की जाय तो काफी हद तक यह समस्या हल हो सकती है। इसके अतिरिक्त मैं आपको कुछ गाँवों के नाम बता रहा हूं जो आज भी वीरान पड़े हुए हैं। यदि पानी नहीं हुआ तो भगवान के भरोसे रहते हैं। फतेहगंज, बघेला, बारी, रसिन, चन्दौर, पौहार, मऊ, लोहिया, पतौरा, लूक, धौरही, नढुआ, परसहर, सिजहरी, मटखना कलिंजर आदि गाँव हैं जो भूमि उपजाऊ होते हुए भी वीरान पड़े हुए हैं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण व्यवधान)

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

मैं सिंचाई मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करते हुए अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, मेरा क्षेत्र इलाहाबाद जिले की तहसील मंझनपुर, जमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। वह भी बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है। बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों की व्यवस्था के हिसाब से वहाँ. . . .

(शोर)

अमीनाबाद, लखनऊ में पुलिस तथा व्यापारियों के बीच संघर्ष के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)—

श्रीमन्, लखनऊ में यहाँ पर आपका सदन हो रहा है इस समय। पूरे उत्तर प्रदेश के रिप्रेजन्टेटिव यहाँ पर मौजूद हैं, आपका मंत्रि-मंडल यहाँ पर मौजूद है और श्रीमन्, आपके यहाँ रहते हुए यहाँ पर गोली कांड होना, जिसमें चार आदमी मर गये, यह बहुत गंभीर बात हो जाती है। अभी-अभी एक सेकेण्ड पहले मुझे खबर मिली है। मैं चाहती हूं कि . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

आपने जो सूचना दी है। उसे मैं शासन को भेज दूंगा और सोमवार को इसके बारे में. . . . . .

श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

आज मंत्री जी भी यहाँ हैं, लखनऊ भी यहीं है, जिन्होंने गोली चलाई है, वे भी यहीं हैं। आप यह कहिये कि आज शाम को सदन उठने से पहले शासन की तरफ से इस मामले में वक्तव्य आना चाहिये। श्रीमन्, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि कानून के लिए रिस्पेक्ट रहेगा कि असेम्बली के चलते हुए यहाँ से दो किलोमीटर की दूरी पर दिन के ढाई बजे गोली काँड होता है? कहिये, कि अगर शासन नहीं चला सकते तो त्याग पत्र दें। इनके असेम्बली में बैठे होते हुए गोली चले तो इन्हें सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं हैं। आज ही वित्त मंत्री जी को त्याग पत्र देना चाहिए, इन्हीं के आदमियों ने गोली चलाई है। मैं हजरतगंज खाना खाने गया था लेकिन वहाँ खाना नहीं मिल सका। वहाँ आतंक फैला हुआ है और सब दूकाने बंद हो रही है।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जब तक सरकार का वक्तव्य नहीं होगा, हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। आज ही वक्तव्य हो जाना चाहिए। इतना बड़ा गोलीकाँड हो गया। आप लोगों को तो उठकर भागना चाहिए और वहाँ जाकर देखना चाहिए।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि यह माननीय सदन चल रहा है और माननीय सदन के चलते हुये इसी शहर में, राजधानी में, यहाँ से करीब डेढ़ किलोमीटर पर इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है जैसा कि माननीय सदस्यों ने बताया कि चार व्यक्ति गोली काण्ड में मारे गये। अब यह झूठी बात हो तो सरकार को कहना चाहिए .....

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सच है झूठ है उसे कहें....

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठे.....

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, हो सकता है यह गलत बात हो, लेकिन चूंकि सदन के सामने आ गई है तमाम लोगों के अन्दर एक एजिटेशन है तो अच्छा होता, माननीय मंत्री जी यहाँ पर है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री है, लखनऊ कोई दूर नहीं है टेलीफोन पर सूचना मिल सकती है, अगर संभव हो तो आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री से निवेदन करूंगा घण्टे भर में, दो घण्टे में, माननीय सदन के चलते हुए क्या तथ्य हैं यदि उसके बारे में सूचित कर दें, तो उचित होगा।

(संसदीय कार्य मंत्री के पुकारे जाने पर)

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, हमारी बात भी सुन लें। मान्यवर, बिक्री कर के सबंध में यह झगड़ा हुआ है। माननीय वित्त मंत्री के पास वित्त विभाग है यह नहीं हो सकता कि उनको अब तक इसकी जानकारी न हो। दो घण्टे पहले की बात हो गयी है। माननीय वित्त मंत्री जी को चाहिए था कि स्वतः इस सदन को सूचना देते, अवगत कराते, पूरे प्रदेश में आतंक फैल रहा है। लखनऊ में दुकानें बंद होती चली जा रही हैं। हजरतगंज को दखने से मालूम होता है कि आतंक का राज्य हो, अराजकता की स्थिति है। इसलिये मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी स्थिति स्पष्ट करें, सदन को इससे अवगत करायें। सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश को मालूम हो कि लखनऊ में क्या हो रहा है।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

उपाध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा कि अगर घटना घटी है तो आपके द्वारा कहना चाहूंगा कि यह विधान सभा में बतायें। यह उत्तर प्रदेश की राजधानी है और हम लोग सब विधान सभा में बैठे हैं। इसलिए आप के माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बहुत दूर की बात नहीं है दो मिनट में वायरलेस से, टेलीफोन से, जानकारी करके बताने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय संसदीय कार्य मंत्री.....

आचार्य धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)—

अगर सही बात आ जाती है तो यह गलतफहमी के आधार पर जो झूठी खबर फैलती है, वह बच जायेगी। श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि सदन उठने से पहले जानकारी प्राप्त करके सूचित कर दे कि वास्तविक स्थिति क्या है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय संसदीय कार्य मंत्री इस मामले की सूचना मंगा लें और सदन उठने से पहले दे दें।

श्री देव बहादुर सिंह—

जानकारी हो तो अभी दे दें, नहीं तो सदन उठने के बाद दे दें . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

हमारे साथ बैठे थे। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक चल रही थी, उनके पास कोई इत्तला नहीं होगी. . . . . .

श्री देव बहादुर सिंह—

दो मिनट में जबाव. . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने निर्देश सरकार को दे दिये हैं।

(श्री नाथू राम शिक्षक का नाम पुकारे जाने पर)

श्री देव बहादुर सिंह—

कोई जबाव नहीं दे रहे मंत्री जी. . . .

श्री उपाध्यक्ष—

जबाव के लिए नहीं बुलाया है. . . ..

(व्यवधान) . . . . . .

श्री नाथूराम शिक्षक—

(व्यवधान) मान्यवर, ...

श्री देव बहादुर सिंह—

सदन उठने से पहले. . . . .

(श्री नाथू राम शिक्षक का नाम पुनः पुकारे जाने पर)

श्री देव बहादुर सिंह—

आपको उत्तर नहीं दिया. . . . .

1979–80 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 72–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य–राजस्व लेखा), अनुदान संख्या 73–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) अनुदान सख्या–105 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय) तथा अनुदान संख्या 106—सिंचाई विभाग (बहु प्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय) (क्रमागत)

श्री नाथू राम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, मैं इलाहाबाद जिले के मंझनपुर तहसील से आता हूं। मेरे क्षेत्र में लिफ्ट सिचाई योजना और शारदा नहर के द्वारा सिंचाई का प्रबन्ध है, किन्तु इन पर पानी बराबर नहीं पहुंच पाता। मान्यवर, जहाँ पर नहरी सिंचाई के क्षेत्र घोषित होता है और पानी नहीं दिया जा सकता है नहरों से वहाँ पर ट्यूबवेल लगाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। जिन क्षेत्रों में नहरों का पानी दिया जाता है वहाँ बम्बियों की संख्या कम होने से नहरों को काट दिया जाता है इसलिये मेरा अनुरोध है कि बम्बियों की संख्या को बढ़ाया जाय ताकि नहरों की कटाई बन्द हो सके। किसानों को सिंचाई के लिये बिजली की व्यवस्था प्रातःकाल से सायंकाल तक की जानी चाहिये ताकि जाड़े की रात्रि में सिंचाई उनको न करना पड़े। मेरे क्षेत्र में दो बरसाती नदियाँ ससुरखदेरी एवं किलनहाई हैं जो बरसात में विकराल रूप धारण कर लेती हैं तथा दूसरे समय में सूखी पड़ी रहती हैं। मेरा निवेदन है कि इन नदियों की सफाई करा दी जाय और उनके किनारे ट्यूबवेल लगा कर या नहरों द्वारा पानी देने की व्यवस्था की जाय। इस प्रकार इनको सिंचाई की नहरों के रूप में बदला जाय। इसमें किसी किसान को क्षति होने वाली नहीं है, न किसी को शिकायत होने वाली है। जिस समय सिंचाई विभाग में नहरों से पानी चालू हो उस समय इस विभाग के कर्मचारियों

और अधिकारियों को क्षेत्र में जाकर देखना चाहिये कि अनावश्यक पानी न बहे। उसकी देख भाल करने वाला वहाँ कोई नहीं होता है। मेरे क्षेत्र में जो पुरानी माइनर्स हैं उनको और आगे बढ़ाया जा सकता है, उसके लिये व्यवस्था की जाय। जमुना नदी किनारे होने के कारण वहाँ सिंचाई व्यवस्था की कमी है इसलिये मेरी माँग है कि ट्यूबवेल बिछाये जायं। अब कुछ ऐसा अहसास होने लगा है कि जो सरकारी कर्मचारी अपने कार्यों से समाज का अहित करते हों और समाज को उनसे लाभ न पहुंचता हो तो उनको नौकरियों से बरखास्त करने की प्रत्तिक्रिया अपनाई जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री बाबूराम वर्मा (जिला बस्ती)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई सम्बन्धी अनुदानों का समर्थन करते हुए कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश में कृषि ही एक ऐसा धन्धा है जिससे 80 प्रतिशत लोगों की जिन्दगी का ताल्लुक है। राज्य की सम्पूर्ण आय का लगभग 54 प्रतिशत कृषि से ही आता है। कृषि के उत्पादन की वृद्धि में सिंचाई का बहुत बड़ा योगदान है और जब तक खेती का उत्पादन नहीं बढ़ेगा तब तक हमारा प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता। सिंचाई मंत्री ने यह बजट बड़ी संजीदगी के साथ पेश किया है और अपने बजट में यह भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वे लक्ष्य ईमानदारी के साथ पूरे किये जायेंगे। खास तौर से मैं अपने जिले बस्ती के सम्बन्ध में सिंचाई मंत्री का ध्यान खींचना चाहता हूं। हमारा बस्ती जिला पूर्वांचल का बहुत पिछड़ा हुआ जिला है। आबादी की दृष्टिकोण से, औद्योगिक दृष्टिकोण से दोनों से पिछड़ा है। खेती ही एक मात्र सहारा है। पूर्वांचल जिलों के जो आँकड़े सिंचाई के सम्बन्ध में दिये गये हैं वे इस प्रकार हैं। वाराणसी में 516 हजार हेक्टर भूमि है जिसमें कृषि योग्य भूमि 379.9 हजार हेक्टर है उसमें 309.77 हजार हेक्टर भूमि की सिंचाई होती है। गोरखपुर में 633.1 हजार हेक्टर भूमि है जिसमें 520 हजार हेक्टर भूमि कृषि योग्य है उसमें से 190.34 हजार हेक्टर भूमि की सिंचाई होती है। देवरिया में 536 हजार हेक्टर भूमि में 485 हजार हेक्टर भूमि कृषि योग्य है और 267.38 हजार हेक्टर भूमि में सिंचाई होती है।

मान्यवर, बस्ती में कुल 731 हजार हेक्टर भूमि है जिसमें 640 हेक्टर भूमि कृषि योग्य है और सिंचाई होती है केवल 85.19 हजार हेक्टर भूमि में। इससे पता चलता है कि वहाँ सिंचाई के कितने साधन हैं। हमारे जिले में एक बानगंगा नहर है जिसमें केवल बरसात में पानी आता है और बाकी वह सूखी रहती है। इसके अतिरिक्त जो दो पम्प कैनाल हैं उनमें भी बरसात में ही पानी आता है रबी की फसल को पानी इनसे नहीं मिल पाता है। इन कैनालों के द्वारा मैं समझता हूं कि केवल कागज और नक्शों में ही सिंचाई होती होगी, वास्तव में सिंचाई का काम नहीं हो पाता है। केवल ट्यूबवेलों से ही सिंचाई होती है। सरकार द्वारा जो ट्यूबवेल आवंटित किये गये हैं उनमें भी वाराणसी में 10, देवरिया में 7, गोरखपुर में 10 दिये गये हैं किन्तु हमारे बस्ती जिले को एक भी ट्यूबवेल नहीं दिया गया है। कहा जाता है कि जिले में नहरों का जाल बिछ गया है जिससे सिंचाई होगी। इस पुस्तिका में सिंचाई के लिये 2 योजनायें हमारे यहाँ के लिये हैं किन्तु उनकी कोई चर्चा नहीं है–घाघरा और राप्ती पंप कैनाल। इस तरह से हमारे क्षत्र की उपेक्षा की गई है और इस तरह बस्ती जिले की सिंचाई समस्या का निदान नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ केवल 85 हजार हेक्टर भूमि में सिंचाई होती है। वहाँ के लोग गरीबी के कारण निजी साधन इकट्ठा करने में असमर्थ हैं। वहाँ छोटे-छोटे किसान है जो स्वतः सिंचाई के साधन

[श्री बाबू राम वर्मा]

नहीं जुटा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो दो नहर की योजनायें बनी हैं वे राप्ती से होकर हमारे क्षेत्र से दूर पथरा से होकर जा रही हैं। इसके अलावा हमारा जो क्षेत्र कुवानों नदी के किनारे-किनारे लगभग 40 कि0 मीटर गया है जो राप्ती पम्प कैनाल से उस भूमि का धरातल से 30 फीट ऊपर है जहाँ उस नहर से पानी नहीं जा सकता है और उस तरह से 40 कि0 मीटर × 8 किलो मीटर तक पानी नहीं पहुंच सकता है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी सैं निवेदन करना चाहूंगा कि वे बस्ती जिले की आवश्यकता को देखते हुए तथा सिंचाई की व्यवस्था को देखते हुए वहाँ पर कम से कम 100 राजकीय नलकूप देने की कृपा करें। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में दो नाले हैं बैड़ा और रेहावर। इन नालों को बाँधकर एक जलाशय बना दिया जाय जिससे हजार डेढ़ हजार हेक्टर भूमि में सिंचाई हो सकती है। हमारे क्षेत्र में एक जसोवर ताल है जिसमें से कठिनइया नदी निकलती है वह ताल पट गया है- जिससे हजारों एकड़ जमीन में ताल का पानी फैल जाता है। सारी फसल नष्ट हो जाती है। जिसको गहरा किया जा सकता है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह उसका सर्वेक्षण करा लें और उसको गहरा करा दें, तो सारा पानी निकल जाएगा और हजारों एकड़ भूमि बच जायगी और आगे जाकर उस पानी का उपयोग भी हो जाएगा। अन्त में मैं सिंचाई बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री बिन्दू लाल (जिला गोंडा)—

मान्यवर, मैं सिंचाई विभाग के बजट का समर्थन करता हूं। मंत्री जी ने भी कहा है कि प्रदेश की रीढ़ कृषि है और कृषि के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता पानी की है। यह सही है कि कुछ वर्षों में अपने प्रदेश में पानी के साधन बढ़े हैं और 40 परसेंट तक कुल सिंचित भूमि हो गयी है, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं, जिनकी पिछले 20 वर्षों से बहुत ही उपेक्षा की गयी है। उनमें से एक गोंडा है, जहाँ जमीन सबसें ज्यादा है। वहाँ की 745 हजार हेक्टर भूमि में से केवल 51 हजार हेक्टर भूमि सिंचित है यानी 7 प्रतिशत भूमि पर ही सिंचाई हो रही हैं। उसमें भी कुछ ऐसे भाग हैं, जो ट्रांस राप्ती के उस पार हैं, उसमें एक परसेंट भूमि ही सिंचित है। जबकि बहुत से ऐसे जिले हैं, जहाँ पर 70–75 परसेंट तक भूमि के सिंचाई की व्यवस्था है। अभी तक कहा जाता था कि ट्रांस राप्ती एरिया में ट्यूबवेल सफल नहीं हैं। लेकिन सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने सर्वे और काम कराकर यह पाया है कि यह वहाँ सफल हो सकते हैं। उसने जो वहाँ पर 11 लगाए, उसमें से 7 सफल हुए और कहा कि इस क्षेत्र में भी ट्यूबवेल लगाये जा सकते हैं। लेकिन इस पर जब मंत्री जी से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास बड़ी रिग मशीनें नहीं हैं। अतः मेरा निवेदन है कि वह मेरे ऐसे क्षेत्र के लिए बड़ी रिग मशीनों की अविलम्ब व्यवस्था करें।

एक बात और है, इस सरकार द्वारा हर जिले को बराबर से ट्यूबवेल देने की बात है और कहते है कि विधायक उनमें से अपने-अपने क्षेत्र के लिए बराबर से बाँट लें। मैं इसे उचित नहीं समझता हूं। इसका मतलब तो यह है कि जहाँ 100 हैं, वहाँ भी तीन मिलेंगें और जहाँ एक भी नहीं है, वहाँ भी तीन मिलेंगे। हम प्रदेश का जो पिछड़ापन दूर करना चाहते हैं, इस तरह से वह कैसे दूर होगा, इस तरह से विषमता कैसे मिटेगी? जैसे हमारी प्रदेशीय सरकार केन्द्र से दावा करती हैं कि हमारा प्रदेश पिछड़ा हुआ है, इसलिये हमें ज्यादा अनुदान मिलना चाहिये। उसी आधार पर हम भी माँग रखते हैं कि हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, अतः इसके हिसाब से हमें ज्यादा अनुदान और ज्यादा ट्यूबवेल मिलने चाहिए। इसलिये मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पिछड़े जिले में जो पिछड़े क्षेत्र हैं, उस के लिए आरक्षण होना चाहिए, स्पेशल व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं तो वह हमेशा पिछड़ा का पिछड़ा रहेगा और प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो सिंचाई पड़ताल में भ्रष्टाचार की शिकायत है, वह बिलकुल सही है। पहले पड़ताल करने की व्यवस्था में यह था कि पड़ताल के बाद काश्तकार को एक पर्चा दिया जाता था और वह उसके अनुसार एक महीने के समय के अन्दर आपत्ति कर सकता था, यदि कोई गलत इन्द्राज हो। लेकिन अब यह व्यवस्था समाप्त हो गयी है और यह किया गया है कि पड़ताल की एक कापी ग्राम प्रधान को दे दी जाएगी। तो उसको देने से काम नहीं चलेगा। एक तो ग्राम प्रधान को भी कापी नहीं दी जाती है और उसे दे भी दें तो वह उसे स्थिति बता दें किसान को यह जरूरी नहीं है। इसलिये जो पहले व्यवस्था थी, वही पुनः लागू की जानी चाहिए। एक महीने के अन्दर अपना आब्जेक्शन कर सके। अगर आब्जेक्शन सही ह तो सही कर दिया जाय। अगर नहीं मिलता है तो एक महीने के टाइम के अन्दर तो वह राजस्व विभाग में वसूली के लिए भेज दिया जाता है, तो जिसने भेजा है उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मान्यवर, हमारे गोंडा जिले में बाढ़ की समस्या है और पिछले साल गोंडा जिले में इतनी भयंकर बाढ़ आयी, हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री यादव जी ने निरीक्षण किया था, सिंचाई मंत्री वहाँ गये थे।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठें।

श्री बिन्दू लाल—

सात मिनट नहीं हुए।

श्री उपाध्यक्ष—

आप सात मिनट बोल चुके।

*श्री रणवीर सिंह (जिला ललितपुर)—

मान्यवर, माननीय सिंचाई मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। कृषकों के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता होती है वहाँ उन्हें बीज मिले, खाद मिले, लेकिन उससे भी ज्यादा आवश्यक है कि पानी की व्यवस्था हो। इस दृष्टि से बुन्देलखंड का क्षेत्र और उसके आस पास के जिले जिनमें इटावा वगैरह आते हैं, जैसा गौरीशंकर जी ने कहा बड़ी उपेक्षा की दृष्टि से देखें जाते है सिंचाई के मामले में। गौरी शंकर जी का पंचनद का सुझाव बुन्देलखंड और अन्य जिलों को भी लाभ देगा। बुन्देलखंड में तीन प्रकार की योजनाएं हैं, लघु सिंचाई योजना, वृहत योजनाएं और इसके अलावा कुछ और सिंचाई योजनाएं हैं।

लघु सिंचाई योजनाओं का जहाँ तक ताल्लुक है, ललितपुर जिला जहाँ पर पानी की कमी के कारण सैकड़ों पशु मर जाते हैं और पानी की यहाँ तक कमी है कि अगर देखा जाय तो अभी भी दुर्गन्ध के मारे निकलना मुश्किल है, पहाड़ी क्षेत्र की नदियाँ बहुत हैं, नदियों की दृष्टि से जामनी, सहजाद, सजनम, बेतवा, सोनरई, जमडार, केन, नारायणी और घसान इत्यादि हैं। इसके अलावा करीब दस नाले हैं। किन्तु दुख इस बात का है कि वृहत योजनाओं के अन्तर्गत वहाँ पर डैम बने, उन डैमों में जितनी व्यवस्था बुन्देलखंड के लिए होनी चाहिये वह है ही उसके अलावा मध्य प्रदेश को भी पानी जाता है। ललितपुर जनपद पहले की उपेक्षा सुखी है ही। लेकिन जितना पानी मिलना चाहिए, उतना पानी नहीं प्राप्त होता है। इसके अलावा पूर्व सरकार ने कुछ सर्वे करवाया था कि जमडार नदी के किनारे जमडार डैम और नारायणी नदी के किनारे नारायणी बांध बनाया जाय। घसान नदी का जो क्षेत्र है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रणवीर सिंह]

उसमें भंडारा और बिरधन ब्लाक आता है, उसके सिंचाई के लिए खर्च हुआ था। वहां पर घसान नदी से लिफ्ट योजनाएं सम्भव हो सकती हैं। इसके अलावा यह जो नदियां हैं उनका पानी दूसरे जिलों को चला जाता है। मेरा सुझाव ह कि इन आठ-दस नदियों पर 10-12 चेक डैम बनाये जायं। और सरकार द्वारा, विद्युत् विभाग, एल0एस0जी0डी0, ऐग्रीकल्चर और सिंचाई विभाग की म्युचुअल अण्डरस्टैंडिंग से विद्युत की लाइन डाली जाय, जगह-जगह चेक डैम बनाये जायें और लिफ्ट दिये जायं। पूर्व सरकार ने ध्यान दिया ही नहीं। वर्तमान सिंचाई मन्त्री जी से मैं निवेदन करूंगा, वह कृषक के पुत्र होने के नाते स्वयं पानी का महत्व समझते हैं, जो नदियों में चेक डैम हो उनके माध्यम से पानी दें।

हमारे यहां पर चन्देलों के तालाब ह, जिनकी संख्या लगभग 90 है। उनकी दशा अच्छी नहीं है, अगर सुधार दी जाये तो पूरे क्षेत्र में सिंचाई की बड़ी सुविधा हो जावेगी। वृहत योजना के अन्तर्गत राजघाट योजना है जो 1·53 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करेगी। वहां पर किसानों की भूमि ले ली गयी है, जिससे वे विस्थापित हो गए हैं और उनको मुआवजा भी नहीं मिला है। इसके लिए एक बोर्ड बन गया है, जिसके कारण कुछ परेशानी हो सकती है। लेकिन मान्यवर, उनको मुआवजा शीघ्र से शीघ्र दिलाने की कृपा करें। रीजनल डैम है उससे 12,470 हेक्टेयर की सिंचाई होगी और 50 मिलियन क्यूसेक पानी पेय जल योजना को सप्लाई करेगा। यह स्कीम 4.32 करोड़ की लागत की है। इसके बारे में काफी प्रगति हुई है, मैं मानता हूं, परन्तु मान्यवर, एक सबसे बड़ी परेशानी है, कि वहां के किसानों को मुआवजा नहीं मिला है, उनकी भूमि को अधिग्रहण कर लिया गया है और उस भूमि को उन्हें बोने को नहीं दिया गया है। वह खदानों में काम कर रहे हैं। उनको मुआवजा देने की जल्दी से जल्दी व्यवस्था करें।

मान्यवर, अब मैं नलकूपों के बारे में कहना चाहता हूं, वहां पर भूजल सर्वेक्षण आ था और परीक्षण के द्वारा दो नलकूप स्वीकृत हुए थे उनमें से एक नलकूप 113 फीट की गहराई तक खोदे जाने के बाद बन्द कर दिया गया और दूसरा नलकूप जो था उसका परीक्षण ही नहीं हुआ। अतः मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि दूसरे नलकूप का परीक्षण कराया जाय और पुनः जल का सर्वेक्षण जल सर्वेक्षण समिति द्वारा करावें। मान्यवर, यह सूखा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में कोई भी मन्त्री दौड़ा नहीं करता है। मेरा माननीय सिंचाई मन्त्री जी से अनुरोध है कि वे यहां पर अपना दौड़ा अवश्य लगावें और यहीं की सिंचाई की परेशानियों को देखें और उनको दूर करने का प्रयास करें। मान्यवर, दूसरे जिलों में डी0पी0ए0 की स्कीम चल रही है, वह भी हमारे जिले में नहीं है। नहरें टूट जाती हैं तो किसानों पर तावान लगाया जाता है। 80-90 किलोमीटर तक के किसानों पर यह लगा दिया जाता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सिंचाई मन्त्री जी से यह कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में नहर की पटरियों पर टायर वाली बैलगाड़ियों से छूट दे दी जाय। जिन बैलगाड़ियों में टायर के पहिए नहीं हैं उनको भी इन नहरों की पटरियों पर चलने की अनुमति दे दी जाय। गोविन्द सागर डैम जो है उसके राइट कार्नर की पटरी को पक्का कराया जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)--

मान्यवर, सिंचाई विभाग का किसानों से बड़ा ही पुनीत सम्बन्ध है। सिंचाई विभाग एक ऐसा विभाग है जिस पर किसानों को निर्भर रहना पड़ता है। मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश में सिंचाई विभाग में बहुत काम हुआ है। जनता सरकार के आने के बाद इस बात की कोशिश की गयी है कि जनता को सिंचाई सम्बन्धी सुविधायें दी जायं और उनको तेजी से किया जाय। देवरिया जिले में सिंचाई विभाग से 8 बड़े पुल बने हैं और बड़े-बड़े

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नालों पर भी पुल बने हैं। सिंचाई विभाग में बहुत काम करने की आवश्यकता है, लेकिन पिछले वर्ष सिंचाई विभाग का करोड़ों रुपया सरेंडर कर दिया गया और वह खर्च नहीं हो पाया हम बजट पास करते हैं लेकिन अधिकारी उस पैसे को खर्च नहीं कर पाते हैं और जो लक्ष्य रखा जाता है वह पूरा नहीं हो पाता है। मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जितना पैसा स्वीकृत किया जावे वह पूरा का पूरा खर्च हो जाना चाहिए वह सरेण्डर न करना पड़े। आज जो आपने गण्डक परियोजना चलाई है उसमें नहरों में पानी का अभाव हो रहा है। पानी की सप्लाई सुचारु रूप से नहीं हो रही है। इस सम्बन्ध में मैं आपके द्वारा माननीय सिंचाई मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे किसानों को जब भी पानी की आवश्यकता हो, उनको मिलता रहे। वहां पर नहरों में पानी न आने के कारण गेहूं की बुवाई के समय किसानों को बड़ी दिक्कत उठानी पड़ी। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इन नहरों के किनारे पर बड़े पैमाने पर ट्यूब-वेल्स लगवायें जिनसे नहरों में पानी डलवायें। मैं अपने जनपद देवरिया का उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे यहां पर नहरों का तो काम हुआ लेकिन ड्रेनेज का काम भी साथ-साथ चलना चाहिए था, हमारे अधिकारियों की लापरवाही के कारण उस पर ध्यान नहीं दिया गया। नतीजा यह हुआ कि नहरें तो बन गयी लेकिन ड्रेने नहीं बनीं। देवरिया में कभी बाढ़ से फसलें नष्ट हो जाती हैं और कभी सूखे से। पिछली बार जल भराव के कारण हजारों एकड़ फसल बरबाद हो गयी। वहां पर ड्रेनेज के लिए 2 करोड़ रुपया दिया गया लेकिन आज तक देवरिया जिले में कोई ड्रेन नहीं बनी। हमारे निर्वाचन क्षेत्र में गौरी बाजार के उत्तर में पूरे इलाके हैं। हजारों रुपए की फसलें डूब जाती हैं, वह बाढ़ का पानी नहीं होता है जल जमाव का पानी होता है। मैंने उस जल जमाव से पानी से भरे खेतों को माननीय मन्त्री जी को दिखाया था लेकिन अभी भी कुछ नहीं हो पाया है।

हमारे यहां पर एक श्री आर० के० लाल एक्जीक्यूटिव इंजीनियर है जो बड़े ही भ्रष्ट हैं। उनके कार्यकाल में ड्रेनें नहीं लेकिन रुपए का पेमेन्ट हो गया। मेरी मन्त्री जी से प्रार्थना है कि उस अधिकारी को वहां से हटावें। मैंने जांच के लिए माननीय मन्त्री जी को एक प्रार्थना पत्र भी दिया था। उन्होंने आदेश भी दिए थे लेकिन एक वर्ष हो गया मुख्य अभियन्ता की ओर से कोई सूचना नहीं आई है। देवरिया जनपद में जो नये ट्यूबवेल्स बने हैं न उनको बिजली मिल पा रही है और न उनको सामान ही मिल पा रहा है। हमारे माननीय सिंचाई मन्त्री जी बड़ी मेहनत से काम करते हैं हमेशा उन्होंने कर्मठता से काम किया है। मैं आशा करता हूं कि वे सिंचाई विभाग में जो उदासीनता और भ्रष्टाचार है, उसको समाप्त करावें और यह देखें कि अगर किसी विभागीय अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत करता है तो एक माह या 2 माह में उसके सम्बन्ध में इन्क्वायरी पूरी करा ली जाय और उस शिकायत के सम्बन्ध में उस माननीय विधायक को सूचित कर दिया जाय। साथ में उससे भी सम्पर्क स्थापित किया जाय।

मान्यवर, हमारे जनपद में अभी भी नहरों का काम पूरा नहीं हुआ है। नहरों के अभाव में देवरिया जिले का आधा हिस्सा आज भी सिंचाई की सुविधा नहीं पा रहा है। मेरी प्रार्थना है कि नहरों का जाल हमारे जनपद में बिछा दिया जाय।

*श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सिंचाई मन्त्री जी के बजट का समर्थन करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि यह बजट बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका सीधा सम्बन्ध गाँव

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[गिरीश चन्द्र तिवारी]

और किसानों से है। इस विभाग का सम्बन्ध बाढ़ नियन्त्रण, पानी की निकासी और खेत को पानी उपलब्ध कराना ही है।

हमारे यहाँ अलीगंज तहसील के ग्राम नरदोली के पास गंगा जी का नाला निकलता है जो एटा जनपद में होता हुआ फर्रुखाबाद में प्रवेश करता है। इसमें पानी भर जाने पर जब बाढ़ आती है तो दो ढाई सौ गाँवों का विनाश हो जाता है। इस नाले पर बाँध बना कर इसे बन्द करने की आवश्यकता है। आप इसके सर्वे के लिए आदेश दें और आवश्यक कार्यवाही तुरन्त करने की व्यवस्था करें।

कायमगंज के क्षेत्र में गंगा के किनारे ग्रामवासियों ने 20–25 वर्ष पूर्व बाँध बनाया था। वह बाँध 15–20 साल तक तो सुरक्षित रहा और आसपास के इलाके बाढ़ से सुरक्षित रहें, पर अब यह बाँध नष्ट हो गया है। इस बाँध के नष्ट हो जाने से आस-पास के गाँव में बड़ा नुकसान होता है। अतः बाढ़ से किसानों को बचाने के लिए इस बाँध को बनवाने की आवश्यकता है।

साथ ही हमारे यहाँ पानी की निकासी की समस्या भयंकर है। हमारे यहाँ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पानी भर जाता है और उसकी निकासी की व्यवस्था नहीं है जिसके कारण तमाम गाँव बरबाद हो जाते हैं। वहाँ जो नाले हैं उनकी खुदाई व सफाई कई वर्षों से नहीं हुई है। कागज पर तो सफाई दिखला दी जाती है पर मौके पर अगर जाकर देखा जाय तो काम बिलकुल किया हुआ नजर नहीं आयेगा। हमारे यहाँ एक बधार नाला है जिसकी 20 साल से सफाई नहीं हुई है। इस नाले के कारण एटा और फर्रुखाबाद के कई गाँव नष्ट हो जाते हैं। बरसात में तो इन गाँव में आने–जाने का रास्ता ही रुक जाता है। अतः निवेदन है कि इन नालों की सफाई कराई जाय, नए नाले भी बनवाए जायं।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में ग्राम डिजौटा, पहाड़पुर, मनिकपुरा, बिलछड़ी आदि ऐसे गाँव हैं कि जहाँ सिंचाई के आज तक कोई साधन नहीं है। एक भी नलकूप वहाँ नहीं लगा है। नलकूप इतने महंगे हैं कि काश्तकार नहीं बना सकता। 10–10 हजार एकड़ के क्षेत्रफल में एक भी नलकूप नहीं है। किसान भगवान की कृपा पर ही निर्भर करता है। अतः ऐसे क्षेत्रों में राजकीय नलकूप लगाने की व्यवस्था की जाय।

इसके अलावा नहर विभाग से पहले किसानों को पर्चियाँ मिला करती थीं। अब 5–6 साल से पर्चियाँ मिलना बन्द हो गयी हैं। इस कारण बड़ा भ्रष्टाचार है। पतरौल जब जैसा चाहता है इन्दराज कर लेता है। जब अमीन किसान के पास कर वसूली के लिये जाता है तभी उसे पता चल पाता है।

श्रीमन, जो मेरे सामने कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो खेतिहर मजदूरों के सम्बन्ध में है। कुछ ऐसे खेतिहर मजदूर हैं जिनके नाम एक विश्वा जमीन भी नहीं है, उनके नाम 175, 200 ढाई सौ रु0 का बिल जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो इस प्रकार की गड़बड़ी है उन्हें ठीक किया जाय और जिनके नाम इस तरह के गलत बिल हैं उन्हें अपनी उजुरदारी प्रार्थना देने का अवसर प्रदान करने की व्यवस्था कर दें कि हर काश्तकार को एक महीने का समय मिले और उन्हें पर्चा मिलने लगे। श्रीमन, मैं माननीय मन्त्री जी से एक विशेष निवेदन करूंगा। हमारी सरकार ने पिछले वर्ष गाँव–गाँव तक पहुंचाने के लिए सड़कों के निर्माण के लिए जगह-जगह पर मिट्टी डलवाई है। लेकिन जहाँ पर बम्बा, नाले आदि आ गये हैं, वहाँ पर पुलियों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारे क्षेत्र में घुसरापुर, कन्डेमऊ में पुलिया के अभाव से सड़कें बन्द हैं। अगर वहाँ पर पुलिया का निर्माण हो जाय तो वहाँ के किसानों की बहुत बड़ी सहायता हो सकती है। इन शब्दों के साथ में माननीय मन्त्री जी के बजट का समर्थन करता हूं।

(श्री रामजी का नाम पुकारे जाने पर तथा कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

अब श्री रामजी जी को मैंने बुला लिया है।

श्री रामजी (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं जो आपने मुझे इस सिंचाई के बजट के ऊपर बोलने का मौका दिया है। माननीय सिंचाई मन्त्री जी ने जो सिंचाई से सम्बन्धित बजट प्रस्तुत किया है और उसमें जो योजनाएं उन्होंने रखी हैं, वास्तव में जनता सरकार की नीति के अनुकूल है। हम यह अनुभव करते हैं पिछले 30 वर्ष में जब काँग्रेसी हुकूमत थी, बहुत सी योजनाएं लागू की गयी थीं, वे योजनाएं केवल कागज पर रहीं। अनेक नहरें तो खोदी गयीं, तालाब और पोखरे खोदे गये लेकिन उनको निर्माण करने का और समाप्त करने का, दोनों पक्ष देने का काम उसी समय हुआ था। पिछले दो वर्ष जनता पार्टी जब से हुकूमत में आई है, सिंचाई के कार्यक्रम की ओर उसने विशेष ध्यान दिया जिससे खेती का, गाँव का विकास हो सका। उस ओर हमारी सरकार ने ध्यान दिया है। नहरों की खुदाई, नलकूपों का लगाया जाना, यह सब काफी बड़ी मात्रा में हुआ है।

हमने अनुभव किया कि जनता सरकार के आने के पहले काँग्रेसी हुकूमत में नलकूपों का लगाना प्रायः बन्द हो गया था। उन दिनों जो नलकूप थे, उनसे सिंचाई का काम बन्द हो गया था। यह सब होने के बावजूद जनता शासन ने जिस प्रकार से हम उम्मीद करते थे कि वे नलकूप जो वर्षों से बेकार पड़े हैं, वे चालू होंगे, सुधार होगा, लेकिन सुधार की दृष्टि से जो विभागीय सेन्ट्रालाइजेशन आफ पावर हो गया है, उसकी वजह से मिस्त्री अनेक जगहों पर दौड़ता है। एक ट्यूबवेल के बनाने में जो एक दिन का समय लगना चाहिए, उसे हफ्तों और महीनों लग जाता है। नलकूप बेकार पड़े हुए हैं। इस सम्बन्ध में जो सेंट्रलाइजेशन आफ पावर है, यांत्रिक कार्यों का जो सम्बन्ध है, वह डिसेन्ट्रलाइजेशन डिविजन स्तर पर होना चाहिए। जब उनके पास शिकायत पहुंचे, तो वे जल्दी से सामान नलकूपों को दे सकें और सिंचाई का काम जल्दी से हो सके। सिंचाई और विद्युत् विभाग में आपस में ताल-मेल नहीं है। खुदाई नलकूप की हो जाती है लेकिन वहाँ पर बिजली मिलने में कठिनाई होती है इतनी कि सिंचाई का काम वहाँ पर बिलकुल नहीं होता है और इस नाते जो सिंचाई विभाग और विद्युत् विभाग में आपस में तालमेल नहीं है, इसके कारण किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। खेतों के उत्पादन में जो सहयोग मिलना चाहिए और लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि ताल-मेल इस प्रकार स्थापित करें जिले स्तर पर भी, बिजली विभाग और सिंचाई विभाग में ताकि ट्यूबवेल को बिजली दी जा सके।

मान्यवर, अधिक समय नहीं लेकर माननीय मन्त्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। आजमगढ़ जिले में 18 नदियाँ हैं और बाढ़ में इनसे सारा जिला प्रभावित होता है। बलिया और गाजीपुर भी उससे प्रभावित होते हैं। पिछली बार भी मैंने निवेदन किया था कि जो छोटी-छोटी नदियाँ हैं उनकी खुदाई होनी चाहिए, ताकि पानी का अवरोध समाप्त हो जाय और पानी का प्रवाह तेजी के साथ बड़ी नदियों में जा सके। नदियाँ धीरे-धीरे पटती जा रही हैं जिससे बरसात के दिनों में वाटर लेंगिंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। केवल बाँधों के निर्माण से बाढ़ से बचा नहीं जा सकता। बाँध तो अनेक जगहों पर बने हैं, जो कमजोर हैं। मेरे क्षेत्र में मऊ का बाँध बना जो अनावश्यक था लेकिन तकनीकी दृष्टि से इंजीनियर्स ने बनाया वह अधूरा है जो पूरा होना चाहिए। मऊ बाँध को बखतावरगंज तक बढ़ाना चाहिए जिससे उसका लाभ जनता को प्राप्त हो सके। सहरोज बाँध पूरा होना चाहिए जिससे इसका लाभ कम से कम जनता को मिल सके।

[श्री राम जी]

बताया गया कि शासन फण्ड नहीं देता, अगर देता है तो वहाँ के अधिकारी रेगुलेटर की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। जो छोटे-छोटे नाले हैं, पट गये हैं, उनकी खुदाई जिस गति से होनी चाहिए, वह विभाग से नहीं दिया। मुझे बताया गया कि 16 लाख रुपए आजमगढ़ में दिए गए थे लेकिन विभागीय स्तर पर नाले की खुदाई नहीं हुई। यहाँ पूछने पर बताया गया कि जब तक डी0एम0 का आदेश नहीं होगा, हम खुदाई नहीं कर सकते। इसलिए जो अधिकार डी0 एम0 को दिए गए हैं वह अधिशासी अभियन्ता को दे दिए जाने चाहिए ताकि वे उस फण्ड का प्रयोग कर सकें। जब तक यह कार्य विभागीय स्तर पर नहीं होगा जब तक सिंचाई साधनों में वृद्धि हो पायेगी, जनता की सुरक्षा कर पायेंगे, यह कहना कठिन है।

मैं माननीय मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन कर रहा हूं।

श्री जय राम (जिला गाजीपुर)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि योगली पन्त कैनाल गाजीपुर जिले से होकर जाती है . . .

कई सदस्य—

यह कब तक चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या खतम करना चाहते हैं ? तो आप अपना भाषण कल देने के लिए रोक रखें।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत 5 सूचनाएं आज प्राप्त हुई हैं जिनमें से मैंने श्री सुरेन्द्र पाल की सूचना, जिसमें उन्होंने कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सात राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों में पूरक परीक्षा समय से न होने के कारण उत्पन्न संकट के बारे में सूचित किया है, को स्वीकृत किया पर वक्तव्य एक जून को होगा। इसके अतिरिक्त श्री बाबूराम शुक्ल, श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री श्री नारायण की सूचनाएं अस्वीकृत हुयीं।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मैंने एक सूचना दी थी आगरे में कल एक वाल्मीकी को पुलिस वालों ने जिन्दा जला दिया, मिट्टी का तेल छिड़क कर।

श्री उपाध्यक्ष—

यह किस समय आपने दिया था ? 12.50 पर दिया था। यह निर्धारित समय के बाद आया।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, कुछ तो वक्तव्य दिला दें। पुलिस वालों ने जिन्दा जला दिया।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष—

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मन्त्रणा समिति ने अपनी आज दिनांक 26 मई, 1979 की बैठक में सदन के 28 मई, 1979 के कार्यक्रम के सम्बन्ध में यह संस्तुति की है कि उक्त दिन के लिए निर्धारित अनुदानों की माँगों पर मतदान के उपरान्त उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथ-कर) विधेयक, 1979 पर विचार एवं पारण के प्रस्ताव लिए

जायें और तत्पश्चात् उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1979 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किए गए संशोधन पर विचार एवं सहमति की मदें ली जायं।

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से, जिनकी सूचना श्री उपाध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, सहमत है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, मैं समझ नहीं पाया कि क्या तय हुआ कार्य-मन्त्रणा समिति में। कब बुलाई गयी कार्य मन्त्रणा समिति. . . .

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मुझे सूचना ही नहीं दी गयी।

श्री उपाध्यक्ष--

सूचना थी आपको।

श्री देव बहादुर सिंह--

किसने सूचना दी थी, मान्यवर।

श्री मधुकर दिघे--

कल जब हम लोग बैठक में उपस्थित थे तभी हम लोगों ने विचार किया था कि बैठक बुला ली जायें। द्विवों से उपाध्यक्ष ने कहा था कि क्या इसकी नोटिस देनी पड़ेगी। तो आपने कहा कि नहीं, ऐसे ही बुला ली जाय। दूसरे यह कि मैं माननीय श्यामधर मिश्र जी से निवेदन करूंगा कि हम जब पहले कार्य-मन्त्रणा समिति में बैठे थे तो हमने यह निर्णय लिया था कि जैसी आवश्यकता होगी हम एक-एक विधेयक ले लेंगे, एडजेस्ट कर लेंगे तो उन विधेयकों को जो आसानी से हो सकते थे और जिनकी आवश्यकता है, उन्हें समय दे दिया गया।

श्री देव बहादुर सिंह

मान्यवर, निवेदन है कि पुनः कार्य-मन्त्रणा समिति बुला लें। हमें नहीं मालूम कि विधेयक कितने आवश्यक हैं। कितना-कितना समय दिया गया है।

श्री मधुकर दिघे--

मैं समझता हूं कि आप स्वयं देखें। आपका खुद का कहना था कि वह विधेयक ले लिए जायं जो कन्ट्रोवर्शियल नहीं हैं। विधेयकों के नाम नहीं बताए थे। सचिव ने यह कहा था कि जब यह विधेयक वहाँ से आते हैं तब यह सदन में आ जायं। तभी हम उन विधेयकों को लेंगे। जो नान-कन्ट्रोवर्शियल हैं जैसे होम्योपैथी वाली तो उसके लिए आपने कहा था कि ठीक है ले लिया जाय। इसी तरह से कृषि उधार वाला था उसके लिए भी आपने कहा था और परिवहन वाला था जिसको आपने स्वीकार किया है। जो लम्बी चर्चा वाले हैं उनको 12 तारीख के बाद ले लिया जाय, यह कार्य-मन्त्रणा समिति में तय हो गया था।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

मन्त्री जी ने कहा कि जो नान-कन्ट्रोवर्शियल बिल हैं उसके बारे में सहमति हो गयी है तो यह जो नागर स्वायत्त शासन वाला है अब यह नान-कन्ट्रोवर्शियल नहीं रह गया है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो यहाँ से पास होकर गया था। अब वहाँ से लौटाया गया है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

इसमें संशोधन हुए होंगे। आपने कहा था कि जून में चुनाव करायेंगे, चुनाव नहीं हुए। मेरा निवेदन यह है कि और बिल तो आप ले लें लेकिन नागर स्वायत्त शासन वाले पर हम बोलेंगे। जब आप एप्रोप्रियेशन बिल पास कर दें तो उसके बाद इसे रखें। मान्यवर, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, दिघे जी बड़ी आसानी से निकल जाना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह मुनासिब नहीं है। कार्य-मन्त्रणा समिति ने एक सर्व सम्मति से फैसला ले लिया है और कन्ट्रोवर्शियल भी नहीं है। हमने देख लिया है, इसे मान लेना चाहिए।

श्री श्यामधर मिश्र—

कार्य मन्त्रणा समिति ने एक मत से नहीं किया है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

अगर कोई फैसला ले लिया है तो मैं निवेदन करूंगा कि पुनर्विचार करें।

श्री श्यामधर मिश्र—

मुझे स्मरण है कि एक बार पहले कार्य-मन्त्रणा समिति में यह बात आई थी कि जो छोटे-छोटे बिल हैं, जो विवाद ग्रस्त नहीं हैं उनको ले लिया जायगा। लेकिन श्रीमन, यह भी बात तय हुई थी कि ऐसे बिल कहाँ और कब लिए जायेंगे, इस पर विचार कर लिया जायगा। मैं तो कार्य-मन्त्रणा समिति का सदस्य हूं, मुझे नहीं मालूम कि मीटिंग कब बुलाई गयी, हो सकता है कि मैं न आ सकूं लेकिन सूचना तो मुझे मिलनी चाहिए। कल मैं सदन में था, आज मैं था, किसी ने सूचना नहीं दी। यह कैसी बात है कि सूचना न दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

आपके घर पर टेलीफोन गया था।

श्री श्यामधर मिश्र—

नहीं गया। हमें सूचना नहीं है, यह विधिवत् मीटिंग नहीं है।

श्री देव बहादुर सिंह—

यह स्थिति विवादास्पद हो गयी है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि कार्य-मन्त्रणा समिति में 28 तारीख को इस पर पुनः विचार कर लें कि कौन सा विवादस्पद है या नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

28 को तीन बजे मीटिंग रखी है। यह दोनों छोटे विधेयक थे इसलिए रखे गए थे।

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, यदि आप चाहें तो पास कर लें लेकिन व्यवस्था की बात है जिसमें आप स्वयं समझें।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, अब इसे मान लें।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल (जिला आगरा)—

मान्यवर, आप व्यवस्था दें कि आज कोई कार्य-मन्त्रणा समिति की बैठक हुई कि नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

3 बजे अपराह्न से 4 बजे अपराह्न तक आज कार्य-मन्त्रणा समिति की मीटिंग हुई है।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

यदि हुई है तो कार्य-मन्त्रणा समिति के सदस्यों को आमन्त्रित नहीं किया गया था। उनको कोई सूचना नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

सूचना हमारे यहाँ से गयी है, मिली न हो तो अलग बात है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, यदि आपकी राय है तो मेरी भी राय है कि इसको पास कर लें।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से, जिनकी सूचना श्री उपाध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, आप कहेंगे कि जहर खा लो तो यह लोग कहेंगे कि "हाँ"।

नीरा की बिक्री तथा नीरा से गुड़ बनाने के उद्योग में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—

मान्यवर, प्रदेश में 30 सितम्बर, 1975 तक पर्वतीय तथा कुछ पश्चिमी जिलों को छोड़कर शेष 37 जिलों में ताड़ी का कारोबार होता था। 1-4-78 से पूरे प्रदेश में पूर्ण ताड़ी बन्दी लागू करने से पूर्व भी राज्य सरकार ने शासनादेश दिनाँक 28 अगस्त, 1975 द्वारा 1 अक्तूबर, 1975 से प्रदेश के उपर्युक्त 37 जिलों में से 17 जिलों में ताड़ी बन्दी लागू करते हुए ताड़ी की दुकानों को समाप्त कर दिया क्योंकि इन जिलों में पर्याप्त ताड़ी उपलब्ध न होने के कारण कृत्रिम ताड़ी का प्रचलन था जिसे ठेकेदार क्लोरल हाइड्रेट, रीठा आदि मिलाकर बनाते थे। क्लोरल हाइड्रेट विष है जो जन स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त हानिकारक है। उपर्युक्त 17 जिलों में ताड़ी बन्दी के बाद प्रदेश के केवल 20 जिलों में ताड़ी की बिक्री होती रही। इनमें से पूरब में स्थित लगभग 9 जिले—बलिया, देवरिया, गाजीपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती, वाराणसी, जौनपुर तथा मिर्जापुर ताड़ बहुल्य जिले हैं। इन जिलों में भी ताड़ी की सप्लाई की निरन्तरता बनाए रखने के निमित्त क्लोरल हाइड्रेट, जो विष है, के प्रयोग का प्रचलन ताड़ी के व्यापारियों द्वारा होने लगा। चूंकि ताड़ी का कारोबार करने वालों की अपेक्षा ताड़ी का उपभोग करने वालों की संख्या अधिक है इसलिए जन-स्वास्थ्य को विष से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से तथा कमजोर वर्ग जो ताड़ी का उपभोग करते थे उनके परिवारों को नशे की लत से उत्पन्न कठिनाइयों से बचाने के निमित्त राज्य सरकार ने 1-4-78 से पूरे प्रदेश में पूर्ण ताड़ी-बन्दी लागू कर दी है।

ताड़ी बन्दी लागू होने के उपरान्त राज्य सरकार ने ताड़ी बन्दी से बेरोजगार हुए व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के निमित्त उद्योग विभाग के माध्यम से ताड़ वस्तु योजना के कार्यान्वियन का प्रयास किया है ताकि नीरा की बिक्री तथा ताड़ गुड़ व समान पदार्थोंके निर्माण के उपयोगों का प्रदेश में ग्राम उद्योग के रूप में विकास हो। इसके निमित्त राज्य सरकार ने उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत लगभग 4000 व्यक्तियों को जो ताड़ी का कारोबार करते थे प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था की और प्रशिक्षण के दौरान उन्हें स्टाइपेण्ड भी दिया गया। राज्य सरकार ने नीरा उद्योग के विकास के लिए यू0 पी0 नीरा रूल्स 1951 के अन्तर्गत आवश्यक व्यवस्था की किन्तु ताड़ी के व्यापारियों ने उपर्युक्त नियमावली को उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी। उच्च न्यायालय ने इस सम्बन्ध में दायर सभी रिट याचिकाओं को निरस्त कर दिया और उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने अपने आदेश दिनाँक 24 जनवरी, 1979 द्वारा राज्य सरकार को 1951 की नियमावली के स्थान पर नये नियम बनाने के लिए निर्देशित किया। तदनुसार राज्य सरकार ने 1951 की नियमावली खंडित करके विज्ञप्ति दिनाँक 19 फरवरी, 1979 द्वारा यू0 पी0 नीरा रूल्स,

[श्री रमाशंकर कौशिक]
1979 लागू कर दिए हैं। इस प्रकार 1951 की नियमावली के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र दिया जाना सम्भव नहीं है।

यू0 पी0 नीरा रूल्स, 1979 तामिलनाडु तथा गुजरात जहाँ नीरा से निर्मित वस्तुओं के विकास के सम्बन्ध में लगभग पिछले 20 वर्षों में सराहनीय कार्य हुआ है, के आधार पर बनाए गये हैं। नीरा को ताड़ी में परिवर्तित होकर न बिकने दिए जाने के लिए नियन्त्रण के निमित्त तामिलनाडु तथा गुजरात में भी यह व्यवस्था की गयी है कि नीरा के फुटकर अनुज्ञापी सीधे ताड़ तथा खजूर के पेड़ों से नीरा प्राप्त न करें वरन थोक विक्रेता से नीरा की सम्पूर्ति हो। नीरा के फुटकर विक्रेता तथा नीरा के थोक विक्रेताओं द्वारा नियुक्त टैपर्स नियमों का उल्लंघन न करें इसके लिए नियमों की योजना के अन्तर्गत थोक विक्रेता को उत्तरदायी ठहराया गया है। इस प्रकार यू0 पी0 नीरा रूल्स, 1979 पूर्ण रूपेण व्यावहारिक हैं और उसी प्रकार के हैं जैसे तामिलनाडु तथा गुजरात में लागू हैं। जब इन प्रदेशों में उपर्युक्त नियमावली द्वारा की गयी व्यवस्था से अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हो सकता है, यदि नियमावली को सहानुभूति से लागू करने का प्रयास सब मिल जुल कर करें।

उपर्युक्त नियमावली 1979 के अन्तर्गत 16 किलोमीटर के अन्दर भी पर्याप्त संख्या में ताड़ के पेड़ की उपलब्धि तथा नीरा की खपत की सम्भावना पर अनेक अनुज्ञापत्र दिए जा सकते हैं। नियमों में किसी जाति विशेष के लिए अथवा धनवानों और निर्धनों के बीच भेदभाव की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। सरकार की नीति यह है कि नियमानुसार नीरा का कार्य करने वाले प्रशिक्षण प्राप्त उपर्युक्त व्यक्तियों को अनुज्ञापन मिले। जहाँ तक निरीक्षण कार्य का सम्बन्ध है आबकारी विभाग के अतिरिक्त पुलिस भी आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए प्राधिकृत है और इस सम्बन्ध में कोई नयी व्यवस्था नहीं की गयी है।

यह सत्य है कि ताड़ी अधिक नशीली नहीं होती है किन्तु कम नशीली होने एवं सस्ती पड़ने के कारण इसका उपभोग मदिरा की अपेक्षा अधिक मात्रा में होता है जिसके कारण उपभोक्ता लगभग मदिरा के समान नशे से ही पीड़ित हो जाता है और उसको तथा उसके परिवार को नशे के इस अभिशाप से छुटकारा दिलाने में हम सबको सहायक होना है। नीरा में जिस तीव्र गति से किण्वन होता है उसको देखते हुए इस बात का भी प्रयास आवश्यक है कि किण्वन को रोक कर उपभोक्ताओं को अच्छा नीरा प्राप्त हो। इसके निमित्त उस पर नियन्त्रण आवश्यक है, नहीं तो नीरा के नाम पर उपभोक्ताओं को ताड़ी ही प्राप्त होगी और राज्य सरकार की मद्य निषेध नीति विफल हो जायगी। इन परिस्थितियों में यह अपेक्षित है कि यू0 पी0 नीरा रूल्स, 1979 जो पूर्णरूपेण व्यावहारिक हैं कि उचित रूप से कार्यान्वयन का सहानुभति से मिलजुलकर प्रयास किया जाय ताकि गुजरात तथा तामिलनाडु की भांति उत्तर प्रदेश में भी नीरा पर आधारित ग्रामोद्योग का विकास सम्भव हो सके।

श्री भीषम (जिला बरेली)—

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि नीरा से गुड़ बनाने का लाइसेन्स दिया गया है। तो क्या वह लाइसेन्सदार नीरा बेच रहे हैं या गुड़ बनाकर बेच रहे हैं या ताड़ी बेच रहे हैं ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, वैसे नीरा से गुड़ बनाने की जो व्यवस्था है वह ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही है और उसी योजना के अन्तर्गत जो नीरा चुआने वाले लोग थे उनको प्रशिक्षण दिया गया है और गुड़ बनाने की दीक्षा दी गयी है।

श्री रमा शंकर कौशिक—

जहाँ तक इस बात का सवाल है कि नीरा से लोग ताड़ी भी बना रहे हैं, ऐसा सम्भव है क्योंकि यह कोई मुश्किल काम तो है नहीं ? और चोरी तो हर ढंग से हो सकती है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, हो सकता है ऐसी कई बातें हैं। अगर माननीय सदस्य ऐसी कोई बातें शासन के संज्ञान में लायेंगे तो निश्चित रूप से जो कार्यवाही आवश्यक होगी, वह की जायगी।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल (जिला आगरा)—

मान्यवर, यह सर्वविदित है कि नीरा के नाम पर सिर्फ ताड़ी ही बिक रही है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि एक वर्ष में, 6 महीने में, 3 महीने में, कुछ मन्त्री जी के पास आँकड़े हैं, उनसे बतायें कि राज्य सरकार ने कितना रुपया अभी तक उस पर खर्च कर दिया जो ट्रेनिंग दी गयी और गुड़ वगैरह बनाया गया उसमें। गुड़ और दूसरी चीजें का जो उत्पादन हुआ, उससे कितनी आमदनी हुई ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

यह योजना शासन के जरिए से नहीं चल रही है। खादी कमीशन के जरिए से यह योजना चलाई जा रही है जो खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के मार्फत इस योजना को चलाता है। खादी कमीशन ही उसका हिसाब रखता है। हमारे पास उसका हिसाब नहीं है लेकिन अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो हिसाब मंगाकर उन्हें दिखा दिया जायगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात को देखते हुए कि सरकार की जो उनकी मद्यनिषेध नीति है, कतई नाकामयाब हो रही है, उन्होंने स्वीकार किया है कि नीरा की ताड़ी लोग आम तौर पर बना रहे हैं, आपने बेकार उस पर बन्धन लगा दिया है, तो क्या ताड़ी बनाने वालों का रोजगार छीनने के लिए ताड़ी, जोकि ज्यादा नशीली वस्तु नहीं है, उसको बनाने में आज्ञा देंगे ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जहाँ तक नियमों का सवाल है, जो नीरा चुआने वाले लोग थे, उनको अधिक से अधिक इस काम में लगाया जा सके, यह शासन की नीति है और उन लोगों को इसके लिए लाइसेन्स देने की भी व्यवस्था की गयी है। माननीय सदस्य को मैं बता दूं कि गोरखपुर में ही 160—170 को इस सम्बन्ध में लाइसेन्स दिए गये हैं। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि इसमें परसेन्टेज बहुत कम है, यह सही है कि इसमें 6–7 वी0बी0 की स्ट्रेन्थ होती है। आम तौर से जो शराब, जो माननीय नेगी जी को शायद पसन्द होगी, वह 48 वी0 बी0 की होती है। लेकिन मान्यवर, ताड़ी के ऊपर जो रोक पहले भी लगाई गई, उससे मद्य निषेध की नीति का उतना ताल्लुक नहीं है जितना इस बात से कि ताड़ी के जरिए से क्लोरल हाइड्रेट नामक पदार्थ मिलाकर लोगों को पिलाया जाता है, जोकि बहुत जहरीला होता है, वह न पिलाया जा सके।

श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)—

मन्त्री जी ने यह स्वीकार किया है कि नियमों में किसी जाति विशेष और निर्धन या धनवान के भेदभाव की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। सरकार की नीति है कि नियमानुसार नीरा का कार्य करने वाले प्रशिक्षण प्राप्त उपयुक्त व्यक्तियों को अनुज्ञा-पत्र मिले। उसके सम्बन्ध में मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो एक जाति विशेष के लोग, जो दर पुश्तों से इस ताड़ी के रोजगार में लगे हुए थे, इस नियम से ऐसा हो रहा है कि उन लोगों को लाइसेन्स न मिल कर के बस्ती जिले में नवी खां, मन्जूर खां ऐसे जालिम लोगों को मिल गया है, प्रशिक्षण के आधार पर कि वे ताड़ी के प्रत्येक पेड़ से सौ-सौ रुपए वसूल कर रहे

[श्री बाबू राम वर्मा]
है और जो लोग नहीं दे रहे हैं उनके हाथ-पाँव तोड़े जा रहे हैं। क्या इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी नीति में सुधार करके केवल ताड़ी पेशा करने वाले लोगों को ही नीरे का लाइसेन्स देने की कृपा करेंगे ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में बिल्कुल तैयार हू। नियमों में भी अगर परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ती है तो भी। वह इस दृष्टि से कि कुछ लोग जिनकी संख्या सात-आठ हजार थी इस रोजगार में लगे थे उनको रोजगार मिल सके और साथ ही साथ सब से बड़ी बात यह कि जो जहर पिलाया जाता है, वह न पिलाया जा सके तो इसके लिए अगर नियमों में परिवर्तन की भी आवश्यकता हो तो वह की जायगी। यदि ऐसी भी शिकायत हो कि किसी व्यक्ति विशेष को हटाया जाय तो उसके लिए भी मैं तैयार हूं।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)--

यह समस्या गरीब हरिजनों के शोषण से और पैसे वालों को खुश करने से जुड़ी हुई है। मान्यवर, यह नीरा उतारने का काम हरिजन लोग परम्परा से करते चले आ रहे हैं। मेरे ख्याल से मन्त्री जी को यह नहीं मालूम है कि नाम तो नीरा का है वह ताड़ी हो गयी है। नीरा धूप लगते ही ताड़ी की शक्ल में बदल जाती है वह ताड़ी हो जाती है। ताड़ी बिक रही है। परम्परागत हरिजनों को, गरीबी से छुड़ा कर कुछ ठेकेदार बनाए गये हैं और हास्यास्पद तो यह है कि शराब बिक रही है। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि शराब पीने से कितने लोग मरे हैं और ताड़ी पीने वालों की कितनी मौतें हुई हैं तो आँकड़े नहीं होंगे। तो गरीब हरिजनों की समस्या समझते हुए पूर्ववत जिस तरह से चाहे यह प्रतिबन्ध लगवा दें कि कोई चीज मिलावट की नहीं होगी, अपना इन्सपेक्टर भेज दें, जाँच कर लिया करें।

श्री उपाध्यक्ष--

आप प्रश्न करें. . . .

श्री मोती लाल देहलवी--

क्या पूर्ववत् जिस तरह की परम्परा हरिजन नीरा उतारने की क्रिया करते थे उनको फिर से वही अधिकार देंगे ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, मैंने तो निवेदन किया कि हमारी कोशिश तो यही है कि अधिक से अधिक उन लोगों को इस काम में लिया जा सके। इस काम में हरिजन थे, पासी थे और दूसरे लोग थे इसमें कोई सन्देह नहीं है। ठेकेदारों को किसी प्रकार से उसमें समायोजन करने का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि प्रशिक्षण प्राप्त कर लें। चूंकि यह शुरू का मामला है इसमें दिक्कत आ रही है। गुजरात और तामिलनाडु में इस सम्बन्ध में बहुत ही उपयोगी काम हुआ है और वह भी खादी बोर्ड के जरिए हुआ है। ग्रामोद्योग को आगे बढ़ा कर हुआ है।

आचार्य धर्म दत्त वैद्य (जिला बरेली)--

माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी ने कहा कि हजारों आदमी जो नीरे का काम करते थे उनको ताड़ी के ऊपर रोक लगाने की वजह से दूसरे काम में लगाने की बात की जा रही है, क्या मन्त्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि नीरा एक मादक पेय नहीं है इसलिए खादी बोर्ड द्वारा इस तरह का गुड़ बनाने की बात की जायगी जैसे आजकल गन्ने का रस बनता है और इसे गन्ने की रस की तरह बेचा जाय जिससे कि उन लोगों को काम भी मिलेगा और नीरा का भी सदुपयोग होगा।

श्री रमाशंकर कौशिक--

जहाँ तक ताड़ गुड़ तथा दूसरे गुड़ की तुलनात्मक बात है तो यह निश्चित बात है कि ताड़ गुड़ गन्ने के गुड़ से महंगा होता है लेकिन ऐसा नहीं है उसकी खपत कलकत्ता तथा बंगाल में ज्यादा है। जहाँ तक नीरे के बेचने का सवाल है उसे जितने समय तक रोका जाना सम्भव है उस समय तक रोकने की व्यवस्था कर दी गयी है।

श्री आरिफ मोहम्मद खाँ (जिला बुलन्दशहर)--

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि ताड़ी पर प्रतिबन्ध लगाने का कारण मद्य निषेध से नहीं है बल्कि क्लोरो हाइड्रेट जैसे विष पदार्थ मिलाने से है जिसके कारण यह प्रतिबन्ध लगाया गया है। क्लोरेट हाइड्रेट इसलिए मिलाया जाता है कि वह ताड़ी से सस्ता पड़ता है तो क्या माननीय मंत्री ताड़ी पर लगे कर हटा लेंगे ताकि वह क्लोरो हाइड्रेट से सस्ती पड़े ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

ताड़ी बन्दी करने का कारण मात्र मद्य निषेध नहीं है। मद्य निषेध से ही होता तो ताड़ी की बन्दी वहाँ भी है जहाँ मद्य निषेध नहीं है। जैसे गोरखपुर, आजमगढ़ तथा देवरिया में ताड़ीबन्दी है लेकिन मद्य निषेध नहीं है। जो मूल कारण ताड़ी बन्द करने के पीछे है वह यह है कि उसके जरिए विष पिलाने का सिलसिला बहुत दिनों से चलता आ रहा था। इसीलिए जब मद्य निषेध नहीं था तब भी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में ताड़ीबन्दी का कार्यक्रम लागू किया गया था। जहाँ तक क्लोरो हाइड्रेट मिलाने का सवाल है उस का ताल्लुक पैसे से नहीं है बल्कि ताड़ी को और जहरीली तथा नशीली बनाने से है उसमें और अधिक नशा लाने से उसका ताल्लुक है। इसलिए पैसे से उसका कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री फजलुल बारी (जिला गोंडा)--

कितने आदमियों को गुड़ बनाने का लाइसेन्स दिया गया था और जबसे लाइसेन्स उनको दिया गया तबसे कितना गुड़ उन्होंने बनाया ? दूसरे जो नूर मोहम्मद का नाम लिया गया तो क्या वह ताड़ी निकालने का काम करते थे जो उनको प्रशिक्षण तथा लाइसेन्स देने की जरूरत पड़ी ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

जैसा माननीय सदस्य को ज्ञात है कि 1 अप्रैल, 1978 से यह योजना चालू की गयी थी। पिछला वर्ष जो रहा है उसमें प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम रहा है। उसके दौरान भी गुड़ बनाना सिखाया जाता रहा है। जिस आधार पर गुड़ बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है। वह बात तो अभी आई नहीं है। पिछले वर्ष यह कार्यक्रम चलाया गया था। इसमें डेढ़-दो हजार लोगों को प्रशिक्षित किया गया। अब जिनका नाम माननीय सदस्य ने लिया है, उसको मैं दिखवा लूंगा, उन्होंने क्यों प्रशिक्षण लिया है। वैसे इस समय मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्री जयराम (जिला गाजीपुर)--

मान्यवर, कई सदस्यों के कहने से यह बात साबित हो रही है कि इसमें बहुत से लोग थे। हमारे जिले में भी हैं। गाजीपुर में लगभग 3 हजार से ऊपर आदमी इस पेशे को करते थे जोकि मुख्यत: भर और पासी जाति के थे। इस समय हमारे जिले को जो ठेका दिया गया वह बहुत ही बदमाश, पैसे वाले लोगों को दिया गया है और प्रशिक्षण लेने वाले भी उसी जाति के लोग हैं, उनकी समितियाँ हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि जिन जिलों में इस तरह के ठेके दिए गए हैं उनको तत्काल निरस्त करने के आदेश दिए जायेंगे और सचमुच में जो प्रशिक्षण प्राप्त लोग हैं उनको नीरा बेचने के लाइसेन्स देने की कृपा करेंगे ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, लाइसेन्स डी0 एम0 देते हैं और डी0एम0 के सलाहकार उसमें रहते हैं और वहाँ आबकारी विभाग के एक अधिकरी भी रहते हैं साथ ही साथ एक ग्रामोद्योग विभाग के सदस्य भी रहते हैं। जहाँ तक इस बात का सवाल है कि गाजीपुर में किसी खास व्यक्ति को ठेका दिया गया है उसके बारे में माननीय सदस्य मुझे पहले बता दिए होते उसकी व्यवस्था करा देता। फिर भी जो आपने कहा है, उसकी हम जाँच करा लेंगे और आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

श्री भीषम—

उपाध्यक्ष महोदय, दवा में जहर मिला दिया गया, दवा बन्द नहीं हुई, तेल में मिलाया गया, वह बन्द नहीं हुआ। ताड़ी इसलिए बन्द कर दी गयी कि उसमें मिलावट होती थी और नीरे की व्यवस्था शहरी लोगों के हाथ में ही दे दी गयी तो फिर कहाँ तक इसकी सम्भावना है कि मिलावट नहीं होगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय भीषम जी, आपका सवाल यही तो है कि जिन गरीबों के लिए सरकार ने नीरा के ऊपर पूर्वी जिलों में प्रतिबन्ध हटाया था उनको लाभ न पहुंचाकर बड़े आदमियों को ही लाइसेन्स दिया गया है, क्या इसके ऊपर सरकार विचार करेगी कि लाइसेन्स गरीबों को ही मिल सके ?

श्री भीषम—

जी हाँ, यही है।

श्री रमा शंकर कौशिक—

विचार किया जायेगा।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि नीरा बेचने के लिए जहाँ तक लाइसेन्स की बात है, नीरा में यदि धूप लग जाय तो वह ताड़ी हो जायेगा और ताड़ी में प्रतिबन्ध है। तो क्या जनता पार्टी सरकार नीरा बेचने की ऐसी व्यवस्था करेगी जैसे नीरा को बोतलों में भरकर बेचा जाय ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

उसकी व्यवस्था है, जो लाइसेन्स दिया जाता है वह दो तरह का है। एक थोक का और दूसरा फुटकर का, जो चुआ कर लाते हैं, जिसको पेड़ों से नीरा चुआने का लाइसेन्स प्राप्त है। वही लोग उसे चुआकर थोक लाइसेन्सदार के पास ले जाते हैं, जिनके पास उसे रखने के साधन हैं।. . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य का कहना है कि जो लोग चुआने का लाइसेन्स भी लिए हैं उनको ही बेचने का अधिकार प्राप्त हो जाय, उनका मूल प्रश्न यह है।

श्री विक्रमा राय (जिला आजमगढ़)—

क्या पूर्वांचल के किसी भी ऐसे जनपद की मन्त्री जी को जानकारी है, जहाँ पर ताड़ी या नीरा के ठेकेदारों के पास फ्रिज या आईस बाक्स है ? मेरी जानकारी में एसी व्यवस्था कहीं नहीं है और उस नीरा का दुरुपयोग हो रहा है और ताड़ी के रूप में ही उसे बेचा जा रहा है और इसी को लेकर यह सारा विवाद खड़ा हुआ है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

यह व्यवस्था तो सब जगह है, जहाँ थोक का लाइसेन्स दिया गया है। इसके लिए शर्त ही यह है। यद्यपि यह बात भी सही है कि उस नीरा को फ्रिज में बहुत ज्यादा टाईम तक अच्छा नहीं रखा जा सकता है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या यह मन्त्री जी की जानकारी में है कि ताड़ी शब्द हटाकर नीरा रखकर, वही ताड़ी बेची जा रही है और उसी के लिए यह सारा बवाला खड़ा हुआ है ?

(मन्त्री जी को उत्तर के लिए नहीं पुकारा गया।)

श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)—

मन्त्री जी से बहुत सवाल हुए हैं और मेरे कुन्द दिमाग के आज फाटक खुल गये हैं। मैं समझता था कि यह शराब मन्त्री है, अब यह भी पता चला कि यह ताड़ी और नीरा मन्त्री भी हैं। तो वह मेरे सवाल का सम्भलकर उत्तर दें, मैं यह जानना चाहता हूं कि 16 किलोमीटर के अन्तर्गत एक थोक विक्रेता को जो अनुज्ञा-पत्र दिए जाते हैं, उसे हटाकर केवल पेशेवर लोगों को लाइसेन्स दिए जाने की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि यह समाजवादी नेता है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, जहाँ तक मैं समझ पाया अपने दिमाग से, वह ठीक ढंग से सवाल को नहीं रख पाए। तो पहले मैं उनका सवाल बता दूं, फिर सम्भलकर उत्तर दे दूंगा। सवाल यह है शायद कि जो नीरा फुटकर में या लोगों को उपभोक्ताओं को बेचने की बात है, वह कैसे बिके ? क्या नीरा चुआने वालों को नीरा सीधे उपभोक्ताओं को बेचने का लाइसेन्स दिया जाय। अब इसके साथ-साथ तमाम दूसरे सवाल जुड़े हुए हैं, उनको अधिक से अधिक सहूलियत और रोजगार का साधन मिलना चाहिए, यह मैं मानता हूं, लेकिन जो एक व्यवस्था 16 किलोमीटर की माननीय सदस्य ने बताई या कुछ पेड़ों के समूह के बीच में लाइसेन्स की व्यवस्था है।

जिसके पास ऐसी व्यवस्था मौजूद है जो कुछ समय तक नीरा को नीरा बनाये रखने की क्षमता रखता हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। वह नीरा चुआने वाला नहीं रोक सकता। दूसरा आदमी ही रोक सकता है। अब प्रश्न मूल रूप से यह है कि क्या उनको भी ऐसी व्यवस्था कर दी जाय उनको भी उपभोक्ताओं को बेचने के लिए लाइसेन्स मिल जाय। मैंने शुरू में निवेदन कर दिया, अगर कोई ऐसी व्यवस्था हो, इस का सदुपयोग हो सके, दुरुपयोग न हो, तो मैं नियमों में भी परिवर्तन करने के लिए तैयार हूं।

श्री देव बहादुर सिंह—

वक्तव्य दिलवा दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष—

वक्तव्य दिलवायेंगे उसके बाद।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, मूल प्रश्न यह है कि जिन जिलों में शराब बिक रही है, शराब के विक्रेता और यह ठेकेदार चाहते हैं, अगर ताड़ी बन्द हो जाय तो शराब की बिक्री बढ़ जाय। मूल बात यह है। मन्त्री जी ने अभी कहा, जो लोग इसका काम करते थे वे परम्परागत हरिजन हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जायगा। उन्होंने उत्तर में यह भी खोल दिया कि एक-एक साल तक प्रशिक्षण में लगता है। जो हरिजन इसका काम करते थे, नीरा बनाने का परम्परागत, उनका यह धन्धा रहा, रोज कुआं खोदना, रोज पानी निकालना, रोज कमाना, रोज खाने का हिसाब रहा। मन्त्री जी कहते हैं उनको रोजगार दिया जायगा, एक साल प्रशिक्षण में लगेगा। तब उनको रोजगार मिलेगा। तब तक उनके सामने रोटी खाने का प्रश्न रहेगा। इस समस्या को देखते हुए जो परम्परागत इस काम को करते रहे हैं, उनको अवसर दिया जायगा कि वह लोग अपना रोजगार वैसे करें ?

श्री रमा शकर कौशिक—

मान्यवर, एक साल प्रशिक्षण का सवाल है, मैंने यह नहीं कहा कि एक साल, प्रशिक्षण में लगता है, मैंने कहा कि पिछला वर्ष प्रशिक्षण का वर्ष था। नीरा पूरे वर्ष नहीं होती। बरसात हो जायगी तो वह काम खत्म हो जायगा। उसके बाद कुवार, कार्तिक, अगहन में होगा। नीरा चुआई पूरे वर्ष नहीं होती है।

जो माननीय सदस्य का प्रश्न हैं उसमें मूलभूत बात यह है कि ताड़ी की व्यवस्था करने की बात को सोच सकते है। इसमें अभी शासन के सामने ऐसा कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

(संसदीय कार्य मन्त्री को पुकारे जाने पर)

श्री जयराम—

मान्यवर,

श्री उपाध्यक्ष—

आप लिख कर भेज दीजिएगा। मन्त्री जी नियमों में संशोधन की बात कर रहे हैं। शासन का जो रुख है, माननीय सदस्य की भावना और पूर्वी जिलों के जो गरीब हरिजन हैं, उनके प्रति शासन की सहानुभूति है।

श्री जयराम—

मैं इस पर जिरह नहीं करता। आदेश शिरोधार्य है। लेकिन मन्त्री जी ने जो बात कही, दरख्वास्त में अपने लेटर पैड के साथ पाँच प्रार्थना पत्र मंत्री जी के यहां और जिला अधिकारी के यहाँ दे चुका और उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष—

उस पर विचार कर लेंगे।

श्री जयराम—

माननीय मन्त्री जी इसकी जानकारी कर लें कि अधिकारियों द्वारा रुपया लेकर ठेका बदमाश आदमी को दिया गया है।

श्री रमा शंकर कौशिक—

जाँच करा लेंगे।

अमीनाबाद, लखनऊ में पुलिस तथा व्यापारियों के बीच हुए संघर्ष के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष—

एक घंटा पहले श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी और आरिफ साहब ने और विरोधी दल के नेताओं ने जो प्रश्न उठाया था, तो माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी, अगर आपको जानकारी हो गयी हो तो उसकी सूचना सदन को दे दें।

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, अभी जो सूचना मुझे टेलीफोन और दूसरे प्रयासों द्वारा प्राप्त हुई है उसके अनुसार मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं। मान्यवर, कई दिनों से जो सेल्स टैक्स सर्वे दल ह उसका विरोध यहां कुछ व्यापारियों की तरफ से यह हो रहा है कि किसी भी प्रकार से जाँच सर्वे दल द्वारा न की जाये। मान्यवर, कई बार शासन द्वारा यह प्रयत्न किया गया है कि इस सर्वे दल का प्रयोग व्यापारियों के हित में होगा और यह उनके साथ सहयोग करे सर्वे दल का मकसद यह है कि जो व्यापारी कर अपवंचना या कर की चोरी करते हैं उनकी जाँच तो हो ही लेकिन सेल्स टैक्स के अधिकारी जो कर लगाते हैं यह सर्वे दल यह भी देखें कि जो टैक्स लगाया गया है वह अधिक तो नहीं है या कम तो नहीं है।

यह दल दोनों प्रकार की जानकारी प्राप्त करेगा। मान्यवर, अखबारों में यह आया कि सेल्स टैक्स न वसूल किया जायेगा और न तो दिया जायेगा और सेल्स टैक्स का रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया जायेगा। सर्वे दल के अधिकारी यदि व्यापारी के यहाँ पर पहुंचते हैं तो उन्होंने एक टेलीफोन नम्बर दिया जो अखबारों में छपा कि सूचना दी जाये ताकि सर्वे दल के आये हुए अधिकारियों का मुकाबला किया जा सके। मान्यवर, पिछले दिनों लगातार जो सर्वे दल व्यापारियों के यहाँ पर गया जिसे यह सूचना मिली कि वहाँ पर बड़े पैमाने पर कर की चोरी हो रही है तो व्यापारियों ने टेलीफोन करके उनके हायर्ड लोग थे उनको बुलवाकर अधिकारियों के साथ मारपीट की और उनको भगा दिया। कई बार अधिकारियों को चोटे लगी हैं लेकिन शासन ने यह नीति अपनाई कि बातचीत द्वारा और सहूलियत से इस मामले में काम किया जाये और बहुत अधिक कड़ाई न बरती जाये जब तक शासन अपनी स्पष्ट नीति घोषित न कर दे। पिछली बार यह नीति घोषित की गयी है कि उत्तर प्रदेश सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि वह यूनिलेटरल ऐक्शन द्वारा बिक्रीकर की समाप्ति कर सके। बिक्री कर के समाप्ति की घोषणा हमने अपने घोषणा पत्र में नहीं की है। बिक्री कर के बारे में हमने कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है।

(व्यवधान)

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, यह बतावें कि आज क्या हुआ? यह क्या कह रहे हैं?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)—

मान्यवर, गोली काण्ड के बारे में बतावें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप उनको कहने दीजिये। वह मामले की पृष्ठभूमि बता रहे हैं।

श्री मधुकर दिघे—

लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि कानून में यह व्यवस्था है। आज भी 2 स्थानों पर सर्वे दल के लोग गये। एक जगह पर सर्वे दल के लोगों को घेरा गया, वे थाने में गये और बच गये। दूसरा सर्वेदल अमीनाबाद में गया वहाँ पर उन लोगों ने उनके कागज छीन लिए और मारपीट की। जब वे भागने लगे तो सेल्सटैक्स की जो गाड़ी खड़ी थी उसमें आग लगाने की कोशिश की। इसकी विस्तृत सूचना जब आ जायेगी, मैं सदन को दे दूंगा। पता लगा कि आग लगा दी। उसके बाद जब वे अधिकारी थाने में पहुंचे तो हजारों की तादाद में जिसमें असमाजिक तत्व भी थे उन्होंने थाने को घेर लिया। चूंकि पुलिस वालों को यह हिदायत है कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना में कम से कम उसमें फोर्स का प्रयोग किया जाय अब भी थाना घिरा हुआ है। अमीनाबाद के सभी लोगों को ज्ञात है कि पोस्ट आफिस और वहाँ पर पावर हाउस है। उनको भी आग लगाने की कोशिश की गयी और पोस्टल वैन को भी आग लगा दी गयी। एक सेल्स टैक्स का कार्यालय है, उसको भी घेरा गया। पत्थर ईंट वगैरह वहाँ पर चली। अभी तक जो सूचना मिली बलरामपुर अस्पताल से कि 35 घायल व्यक्ति वहाँ पर एडमिटेड हैं। उनमें से किसी को भी रायफल की चोट नहीं लगी बल्कि बन्दूक के छर्रे अवश्य लगे हैं। 2 आदमियों को छुरे भी लगे हैं। 2–3 आदमियों को सीने पर पत्थर या लाठी चार्ज के कारण चोटे आयी हैं। कुछ घायलो की स्थिति बड़ी नाजुक है। बाकी सब लोगों को केवल चोट लगी है। अभी तक जो जानकारी हुयी है वह यह है। अभी भी कुछ लोग गोल बना कर विभिन्न स्थानों पर जा रहे हैं और प्रयत्न कर रहे हैं कि सारे बाजार जबरदस्ती बन्द करा दिए जायं। इसलिए आज जो सूचना मैं दे सकता था, वह दे दी।

श्री देव बहादुर सिंह—

कोई मारा तो नहीं गया ?

(व्यवधान)

(श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी के कुछ कहने पर)

श्री मधुकर दिघे—

माननीया स्वरूप कुमारी बख्शी ने जो शहर की विधायिका हैं यहाँ सदन को एक सूचना दी कि 4 आदमी मर गये हैं। पता नहीं उन्होंने कहाँ से यह खबर ली। उनको जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए अभी तक जो मेरे पास सूचना प्राप्त हुयी है कोई भी आदमी मारा नहीं गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीया स्वरूप कुमारी बख्शी ने जो मेरे पास सूचना भेजी है उसमें उन्होंने कहा है कि मेरे क्षेत्र में आज दोपहर में गोली काँड हुआ है, वहाँ की स्थिति गम्भीर है। उनका अनुरोध है कि इस विषय पर सदन में वक्तव्य देने का कष्ट करें। उन्होंने मरने की कोई बात नहीं कही है।

श्री मधुकर दिघे—

जब ये इसके बारे में बतला रही थीं तब उन्होंने यह बात कही थी।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जितनी जानकारी उन्हें है, वह उन्होंने दे दी, और शेष बाद में दे देंगे।

नियम 51 की स्वीकृत सूचना पर तिथि निर्धारण

श्री उपाध्यक्ष—

एक सूचना माननीय अजीत सिंह सेठी ने दी थी वह 25 मई, 1979 को नियम 51 में स्वीकार की थी। उसके लिए कोई तारीख निश्चित नहीं की थी। अब उस पर 1 जून को वक्तव्य होगा।

अब हम उठते हैं और 28 तारीख को 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 53 मिनट पर सोमवार 28 मई, 1979 अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
26 मई, 1979

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पी०—एल० 226 वि० सभा (358)—1980—835।